भारतीय रिज़र्व बैंक Reserve Bank of India
संपदा विभाग Estate Section
कोच्ची Kochi

ई-टेंडर: आरबीआई/कोच्ची/क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/14/25-26/ईटी/652

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची के मुख्य कार्यालय भवन और आवासीय कॉलोनियों में प्लंबिंग और सैनिटरी काम / इंस्टॉलेशन के लिए वार्षिक रखरखाव संविदा के लिए निविदा

भाग I

(तकनीकी और वाणिज्यिक बोली)

नाम : _____

पता : _____

ईमेल आईडी और संपर्क नंबर : _____

प्री-बिड मीटिंग की तारीख और समय	**22 दिसंबर, 2025 को 15:00 बजे**
ई-टेंडर जमा करने की तारीख और समय	**01 जनवरी, 2026 को 14:00 बजे तक**
टेंडर के भाग I के खुलने की तारीख	**01 जनवरी, 2026 को 15:00 बजे**

यह दस्तावेज़ भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की प्रॉपर्टी है। RBI की लिखित परमिशन के बिना इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या दूसरे मीडियम पर कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट या रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, सिवाय उस मकसद के लिए RBI को जवाब देने के। इस दस्तावेज़ के कंटेंट का इस्तेमाल, यहां तक कि ऑथराइज़्ड लोगों/एजेंसियों द्वारा भी, यहां बताए गए मकसद के अलावा किसी और मकसद के लिए करना पूरी तरह से मना है, और यह कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाएगा और इसलिए, भारतीय कानून के तहत सज़ा होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक Reserve Bank of India
संपदा विभाग Estate Section
कोच्ची Kochi

निविदा आमंत्रण सूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची के मुख्य कार्यालय भवन और कॉलोनियों में प्लंबिंग और सैनिटरी कार्य/ इंस्टॉलेशन के लिए वार्षिक रखरखाव संविदा के लिए ई-टेंडर

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची, (इसके बाद 'बैंक' कहा जाएगा) "भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची *के मुख्य कार्यालय भवन, अधिकारी क्वार्टर्स और स्टाफ क्वार्टर्स में प्लंबिंग और सैनिटरी काम/ इंस्टॉलेशन के लिए वार्षिक रखरखाव संविदा" के काम के लिए योग्य टेंडर देने वालों से ई-टेंडर मंगाता है*। टेंडरिंग एमएसटीसी लिमिटेड (http://mstcecommerce.com/eprochome/rbi) के ई-टेंडरिंग पोर्टल के ज़रिए की जाएगी।

इस काम के लिए जानी-मानी कंपनियों/एजेंसियों/फर्मों से टू-बिड सिस्टम के तहत टेंडर मंगाए गए हैं। इसके लिए 01 फरवरी, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक 14 महीने के समय के लिए अनुभवी और कुशल प्लंबर और हेल्पर को रखा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट को शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होने के बाद हर साल दो साल के लिए आपसी सहमति से रिन्यू किया जा सकता है, जो कॉन्ट्रैक्टर के काम, बैंक की एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा और ज़रूरत पर निर्भर करेगा।

टेंडर के पार्ट-I में प्रस्तावित काम के लिए बैंक की स्टैंडर्ड टेक्निकल और कमर्शियल शर्तें हैं, जिन पर टेंडर देने वालों को सहमत होना होगा और टेंडर के पार्ट-II में बैंक की मात्राओं का शेड्यूल है।

जो फर्म एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करती हैं और काम के लिए चुने जाने की इच्छुक हैं, उन्हें सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, जिसमें सही तरीके से भरे हुए, साइन किए हुए और स्टाम्प लगे हुए टेंडर डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं, **01 जनवरी, 2026 को 14:00 बजे** या उससे पहले https://www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर अपलोड करने होंगे।

2. ई-टेंडर की ज़रूरी जानकारी इस तरह है:

ए	ई-टेंडर नंबर	ई-टेंडर संख्या: **आरबीआई/कोच्ची क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/14/25-26/ईटी/652**
बी	निविदा का तरीका	ई-खरीद (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी-व्यावसायिक बोली और भाग II - मूल्य बोली के माध्यम से www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi)
सी	निविदा की वैधता	टेंडर के पार्ट I के खुलने की तारीख से 90 दिन।
डी	कार्य की अनुमानित लागत	**₹22.20 लाख (रुपये बाईस लाख बीस हजार मात्र)**

		जिसमें 18% जीएसटी शामिल है।
ई	वह तारीख और समय जब से NIT और टेंडर एमएसटीसी पोर्टल और बैंक की वेबसाइट पर देखे/डाउनलोड किए जा सकेंगे	29 नवंबर, 2025
एफ	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	**₹44,400/- (केवल चौवालीस हजार चार सौ रुपये)** एनईएफ़टी के ज़रिए आरबीआई, कोच्ची के नाम पर। **एमएसएमई / उद्यम रजिस्टर्ड बिडर्स को ईएमडी के पेमेंट से कोई छूट नहीं है** । सभी बोलीदाताओं द्वारा भुगतान किया जाना है, जैसा कि भाग-I की धारा II- पैरा 1.9 (i) में उल्लिखित है
जी	प्री-बिड मीटिंग की तारीख, समय और जगह (ऑफ़लाइन)	22 दिसंबर, 2025 को 15:00 बजे
एच	प्री-बिड मीटिंग का नतीजा आरबीआई वेबसाइट पर एडेंडम, कोरिजेंडम वगैरह के तौर पर अपलोड करने की तारीख और समय।	23 दिसंबर, 2025 को 15:00 बजे
मैं	टेक्निकल और कमर्शियल बिड (पार्ट-I) और प्राइस बिड (पार्ट-II) के लिए बिडिंग शुरू होने की तारीख वेबसाइट पर देखें; http://mstcecommerce.com/eprochome/rbi	23 दिसंबर, 2025 को 16:00 बजे
जे	टेक्निकल और कमर्शियल बिड (पार्ट-I) और प्राइस बिड (पार्ट-II) जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-टेंडर बंद होने की तारीख	01 जनवरी, 2026 को 14:00 बजे
के	टेक्निकल और कमर्शियल बिड खोलने की तारीख और समय (पार्ट-I)	01 जनवरी, 2026 को 15:00 बजे
एल	प्राइस बिड खोलने की तारीख और समय (पार्ट-II)	अगले दिन, जिसके बारे में सभी बिडर्स को पहले से बता दिया जाएगा।
एम	लेनदेन शुल्क	एमएसटीसी की सलाह के अनुसार

3. टेंडर में हिस्सा लेने के लिए इच्छुक टेंडर देने वालों को ये शर्तें पूरी करनी होंगी:

ए. बोली लगाने वाले के पास *ऑफिस भवन /कमर्शियल जगह/इंडस्ट्रियल घरों के लिए प्लंबिंग और सैनिटरी काम/ इंस्टॉलेशन का वार्षिक रखरखाव संविदा जैसे काम करने का कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए* । इसे शुरू करने के लिए, बोली लगाने वाले को ऐसे कामों के लिए **31 अक्टूबर, 2020 को या उससे पहले जारी किए गए वर्क ऑर्डर और संबंधित कंप्लीशन प्रमाणपत्र की कॉपी जमा करनी होगी**।

बी. बोली लगाने वाले ने पिछले 5 सालों में इसी तरह के काम सफलतापूर्वक किए हों, **यानी 31 अक्टूबर, 2020 के बाद पूरे हुए काम, जिनकी** अलग-अलग लागत इस तरह हो:-

i. तीन कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम नहीं है
या
ii. दो काम, जिनमें से हर एक की लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर होगी।

या

iii. एक काम जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% के बराबर राशि से कम नहीं हो।

सी. बोली लगाने वाले के पास 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले पिछले 3 वित्तीय वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) के दौरान अनुमानित लागत का न्यूनतम 100% वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए, जो ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों (तुलन पत्र, पी एंड एल विवरणी) द्वारा समर्थित हो।

डी. बोलीदाता को अनुमानित लागत के 100% के बराबर राशि के लिए संबंधित बैंकर द्वारा जारी किया गया सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।

ई. बोली लगाने वाले का कोच्ची में सर्विस सेटअप होना चाहिए।

<u>जो फर्म बताए गए पात्रता मापदंड को पूरा नहीं करती हैं और/या ईएमडी जमा नहीं करती हैं, उनके टेंडर पार्ट-II (प्राइस बिड) को खोलने पर विचार नहीं किया जाएगा:</u>

4. सही तरीके से भरे हुए टेंडर दस्तावेज़ और मूल्य बोली एमएसटीसी साइट पर 31 दिसंबर, 2025 को 14:00 बजे से पहले अपलोड किए जाएंगे। फर्मों द्वारा ई-टेंडर जमा करने के बारे में डिटेल्ड गाइडलाइंस टेंडर में दी गई हैं। ईएमडी के बिना मिला कोई भी टेंडर नॉन-बोनाफाइड माना जाएगा और उसे टेंडर प्रोसेस में हिस्सा लेने से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। टेंडर देने वाले या तो टेंडर ओपनिंग इवेंट के दौरान बैंक में मौजूद रह सकते हैं या इसे अपनी लोकेशन पर ऑनलाइन देख सकते हैं।

5. जो बिड करना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वे टेंडर के बारे में अपने किसी भी डाउट को क्लियर करने के लिए प्री-बिड मीटिंग में आएं। ई-टेंडर का पार्ट-I (टेक्निकल और कमर्शियल बिड) 31 दिसंबर, 2025 को 15:00 बजे ऑफिस भवन, आरबीआई, कोच्ची में खोला जाएगा। ई-टेंडर डॉक्यूमेंट के पार्ट-I और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद, अगर कोई फर्म टेंडर में बताई गई ज़रूरी एलिजिबिलिटी नहीं रखती है, तो बैंक ऐसे टेंडर देने वालों के सबमिट किए गए टेंडर को रिजेक्ट करने का अधिकार रखता है।

6. केवल उन निविदाकारों की भाग-II (मूल्य बोली) जो निविदा में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों के अनुसार अपेक्षित योग्यता रखते हैं, योग्य निविदाकारों को इसकी उचित सूचना देने के साथ अगले दिन खोली जाएगी।

7. भविष्य में टेंडर में कोई भी बदलाव / सुधार, अगर कोई हो, तो उसे सिर्फ़ आरबीआई वेबसाइट और एमएसटीसी वेबसाइट पर ही बताया जाएगा, जैसा कि ऊपर दिया गया है और उसे अखबार में नहीं छापा जाएगा।

8. बैंक सबसे कम कीमत का टेंडर स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं है। बैंक किसी भी टेंडर को पूरा या उसका कुछ हिस्सा स्वीकार करने का अधिकार रखता है और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी टेंडर को रिजेक्ट करने का भी अधिकार रखता है।

9. पार्ट II में बताई गई मैनपावर की ज़रूरत सिर्फ़ टेंटेटिव है। बैंक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ (पार्ट II) में बताई गई क्वांटिटी (सफ़ाई के काम सहित) को कम करने का अधिकार रखता है, जिसमें सफल बिडर द्वारा किसी भी मुआवज़े का दावा नहीं किया जाएगा, सिवाय तय रेट पर असल में किए गए काम/काम के।

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक
कोच्ची

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची ने यह दस्तावेज़ काम के बारे में इंटरेस्टेड पार्टियों को बैकग्राउंड जानकारी देने के लिए तैयार किया है। हालांकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसमें दी गई जानकारी को तैयार करने में पूरी सावधानी बरती है और मानता है कि यह सही है, फिर भी न तो भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही इसकी कोई अथॉरिटी या एजेंसी और न ही उनके कोई संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार इस डॉक्यूमेंट में दी गई जानकारी या इसके साथ दी गई किसी भी जानकारी के पूरा होने या सही होने के बारे में कोई वारंटी देते हैं या कोई रिप्रेजेंटेशन, चाहे वह साफ़ तौर पर हो या छिपा हुआ हो, देते हैं।

यह जानकारी पूरी नहीं है। जो लोग तत्पर हैं, उन्हें खुद पूछताछ करनी होगी और जवाब देने वालों को लिखकर कन्फर्म करना होगा कि उन्होंने ऐसा किया है और वे टेंडर जमा करते समय सिर्फ़ आरबीआई की दी गई जानकारी पर निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर दी गई है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसकी किसी भी अथॉरिटी या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार के लिए ज़रूरी नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास यह अधिकार है कि वह काम को आगे न बढ़ाए या काम का कॉन्फ़िगरेशन न बदले, इस डॉक्यूमेंट में दिखाए गए टाइमटेबल को न बदले या लागू होने वाले प्रोसेस या प्रोसीजर को न बदले। इसके पास यह भी अधिकार है कि वह दिलचस्पी दिखाने वाली किसी भी पार्टी के साथ इस मामले पर आगे बात करने से मना कर दे। इसमें दिलचस्पी दिखाने वाले लोगों या एंटिटीज़ को किसी भी तरह के खर्च का रीइंबर्समेंट नहीं दिया जाएगा।

ई-प्रोक्योरमेंट के लिए ज़रूरी निर्देश

यह आरबीआई का एक ई-प्रोक्योरमेंट इवेंट है। ई-प्रोक्योरमेंट सर्विस प्रोवाइडर/कॉन्ट्रैक्टर एमएसटीसी लिमिटेड है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना ऑनलाइन टेंडर सबमिट करने से पहले टेंडर इनवाइटिंग नोटिस और उसके बाद के कोरिजेंडा, अगर कोई हो, को पढ़ और समझ लें।

1	**ई-टेंडर की प्रक्रिया:** **ए) पंजीकरण**: इस प्रोसेस में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर वेंडर का रजिस्ट्रेशन शामिल है जो **फ्री है**। रजिस्ट्रेशन के बाद ही, वेंडर अपनी बिड इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा कर सकते हैं। टेक्निकल बिड के साथ-साथ कमर्शियल बिड जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग इंटरनेट पर की जाएगी। वेंडर के पास क्लास III साइनिंग टाइप डिजिटल सर्टिफिकेट होना चाहिए। वेंडर को इंटरनेट से जुड़े PC से बिडिंग के लिए अपना इंतज़ाम खुद करना होगा। एमएसटीसी ऐसा इंतज़ाम करने के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। (बिना डिजिटल सिग्नेचर के बिड रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी)। **स्पेशल नोट:** टेक्निकल बिड और कमर्शियल बिड www.mstcecommerce.com/eprocn/ (वर्जन 3) पर ऑनलाइन सबमिट करनी होगी। 1. वेंडर्स को www.mstcecommerce.com/eprocn पर ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। वेंडर के तौर पर रजिस्टर करें -- डिटेल्स भरें और अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाएं। सबमिट करें। ज़्यादा जानकारी के लिए, डाउनलोड गाइड / वीडियो / रजिस्ट्रेशन पर जाएं। वेंडर्स को उनके रजिस्ट्रेशन को कन्फर्म करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल उनके ई-मेल पर मिलेगा, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय दिया गया होगा। किसी भी क्लैरिफिकेशन के लिए, वेंडर्स ई-टेंडर के तय समय से पहले आरबीआई / एमएसटीसी से संपर्क कर सकते हैं। **संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी Ltd.):** 1. **केंका - केंद्रीय हेल्प डेस्क** : (विक्रेताओं के लिए), helpdeskho@mstcindia.in, Ph: 07969066600 टेक्निकल दिक्कतों, ई-टेंडर्स, सिस्टम सेटिंग्स वगैरह के लिए सभी वर्किंग डेज़ में सुबह 9:30 AM से शाम 5:00 PM तक। 2. **संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी)** कृपया www.mstcindia.co.in/content/Contact.aspx पर जाएं और अपने रीजनल ऑफिस को अपडेट करें। **संपर्क व्यक्ति (आरबीआई, कोच्ची):** 1. श्री. रिशु वी. सिंह (एएम-टेक.) 9867720817 (rishuvsingh@rbi.org.in) 2.श्रीमती क्षिप्रा रामचंद्र कसार (प्रबंधक) 7093939382 (krkasar@rbi.org.in) 3. श्रीमती विनीता वी (एएम) 9747207776 (vvineetha@rbi.org.in) **बी) सिस्टम की ज़रूरतें:** ज़्यादा जानकारी के लिए, वेंडर https://www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर मौजूद DOWNLOAD SYSTEM SETTING GUIDE देख सकता है।
2	**ट्रांज़ैक्शन फ़ीस के लिए खास नोट:** विक्रेता अपने लॉगिन के माध्यम से "बिड फ्लोर" में विशिष्ट निविदा के विरुद्ध "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके / "इवेंट कैटलॉग" में "लेनदेन शुल्क का भुगतान करें" के माध्यम से लेनदेन शुल्क का भुगतान करेंगे। सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता के पास एनईएफटी या

	ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता चालान में छपे विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि बिना उसमें बदलाव किए भेजेंगे। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता के पास अपने क्रेडिट / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। **ट्रांज़ैक्शन फ़ीस नॉन-रिफंडेबल है**। ट्रांज़ैक्शन फ़ीस का पेमेंट किए बिना वेंडर को ऑनलाइन ई-टेंडर का एक्सेस नहीं मिलेगा। **टिप्पणी:** • बिड लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे इवेंट के बंद होने से काफी पहले ट्रांज़ैक्शन फ़ीस जमा कर दें, ताकि उन्हें बिड जमा करने के लिए काफ़ी समय मिल सके। • टेंडर/कॉरिजेंडम अपलोड करने की जानकारी टेंडर फाइनल होने तक प्रोसेस के दौरान सिर्फ़ ईमेल से भेजी जाएगी। इसलिए वेंडर्स को यह पक्का करना होगा कि एमएसटीसी के साथ वेंडर के रजिस्ट्रेशन के समय दी गई उनकी ईमेल आईडी वैलिड और अपडेटेड हो। वेंडर्स से यह भी रिक्वेस्ट है कि वे अपने क्लास III साइनिंग और एन्क्रिप्शन टाइप के DSC (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) की वैलिडिटी पक्का करें। • एनआईटी में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-टेंडर को एक्सेस नहीं किया जा सकता है।
3	**<u>ई-टेंडर में बोली:</u>** वेंडर्स को डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए My menu में Upload Documents लिंक का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड करने के लिए एक डॉक्यूमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ 5 MB है। लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद, वेंडर्स उस खास ई-टेंडर के सामने अटैच डॉक्यूमेंट लिंक से डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि अगर डॉक्यूमेंट्स किसी ई-टेंडर के साथ अटैच नहीं हैं, तो उन्हें आरबीआई डाउनलोड नहीं कर पाएगा और यह माना जाएगा कि वेंडर ने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए हैं। ज़्यादा मदद के लिए कृपया वेंडर गाइड के इंस्ट्रक्शन्स फॉलो करें। ए) बोली लगाने वालों को ई-टेंडर के लिए ज़रूरी ईएमडी, ई-टेंडर फीस (अगर कोई हो) और ट्रांज़ैक्शन फीस अलग से जमा करनी होगी। अगर कोई ट्रांज़ैक्शन फीस है, तो वह नॉन-रिफंडेबल है। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। जो बोली लगाने वाले असफल होंगे, उनकी ईएमडी आरबीआई वापस कर देगा। बी) इस प्रोसेस में टेक्नो कमर्शियल बिड के साथ-साथ प्राइस बिड जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग शामिल है। जिन बिडर ने ऊपर दी गई फीस जमा कर दी है, वे अपनी टेक्नो कमर्शियल बिड्स और प्राइस बिड सिर्फ इंटरनेट के ज़रिए एमएसटीसी वेबसाइट www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट → न्यू कॉमन पोर्टल → बिड फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चुनाव → ट्रांज़ैक्शन फीस → कॉमन टर्म्स → डॉक्यूमेंट्स अटैच करें → प्राइस बिड पर जमा कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें: ट्रांज़ैक्शन फ़ीस और ईएमडी डिटेल्स सक्सेसफुल भेजने के बाद, वेंडर के लॉगिन में 'अटैच डॉक्यूमेंट्स और कॉमन टर्म्स' टैब चालू हो जाएगा। इस स्टेप के सक्सेसफुल पूरा होने के बाद, वेंडर्स को लॉट की खास शर्तों को सेव करने और पोर्टल के ज़रिए लॉट के लिए अपनी प्राइस बिड सबमिट करने या प्राइस बिड सबमिट करने के लिए एक्सेल फ़ाइल डाउनलोड और

	अपलोड करने की इजाज़त होगी, जैसा भी मामला हो। अगर डॉक्यूमेंट्स अटैच करने और/या कॉमन टर्म्स सेव करने का स्टेप कामयाब नहीं होता है, तो लॉट की खास शर्तों को सेव करने और प्राइस बिड सबमिट करने वाले टैब बंद हो जाएँगे। यह सक्सेसफ़ुल/पेंडिंग है या नहीं, इसका स्टेटस बिड स्टेटस बटन में दिखेगा। सी) सबसे पहले वेंडर को कमर्शियल स्पेसिफिकेशन, अगर कोई हो, भरकर सेव करना होगा। फिर वेंडर को टेक्नो-कमर्शियल बिड भरनी होगी। टेक्नो-कमर्शियल बिड भरने के बाद, बिडर को अपनी टेक्नो-कमर्शियल बिड रिकॉर्ड करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना होगा। ऐसा करने के बाद, प्राइस बिड लिंक एक्टिव हो जाएगा और उसे भरना होगा और फिर बिडर को अपनी प्राइस बिड रिकॉर्ड करने के लिए "सेव" पर क्लिक करना होगा। फिर टेक्नो-कमर्शियल बिड और प्राइस बिड दोनों सेव हो जाने के बाद, बिडर अपनी बिड रजिस्टर करने के लिए "फाइनल सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है। नोट: - फ़ाइनल सबमिशन पर क्लिक करने के बाद "डिलीट बिड" ऑप्शन दिखेगा। अगर वेंडर फ़ाइनल सबमिशन के बाद बिड डिलीट करना चाहता है और बिड को दोबारा सबमिट करना चाहता है, तो उसे डिलीट बिड पर क्लिक करके उसे दोबारा सबमिट करना चाहिए और फिर से फ़ाइनल सबमिशन पर क्लिक करना चाहिए। डी) सभी मामलों में, बिडर को अपनी बिड जमा करते समय डिजिटल सिग्नेचर के साथ अपनी ।D और पासवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। और बाकी सभी के लिए पूरी तरह से एनॉनिमस रहेंगे। एफ़) ई-टेंडर फ़्लोर पहले से बताई गई तारीख और समय से और ऊपर बताए गए समय तक खुला रहेगा। जी) ई-टेंडर प्रोसेस के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बिड बिडर पर कानूनी तौर पर लागू होंगी। किसी भी बिड को उस बिडर की दी गई वैलिड बिड माना जाएगा और बायर के उसे स्वीकार करने से बायर और बिडर के बीच सप्लाई/काम पूरा करने के लिए एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ऐसे सफल टेंडरर को आगे सप्लायर/कॉन्ट्रैक्टर कहा जाएगा। एच) यह ज़रूरी है कि सभी बिड्स क्लास ।।। साइनिंग और एन्क्रिप्शन टाइप के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ सबमिट की जाएं, नहीं तो सिस्टम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। आई) खरीदार के पास बिना कोई कारण बताए, टेंडर को पूरी तरह या कुछ हिस्से में कैंसल करने, रिजेक्ट करने, स्वीकार करने, वापस लेने या बढ़ाने का अधिकार है। जे) ई-टेंडर दस्तावेज़ के नियम एवं शर्तेंमें कोई भी बदलाव मंज़ूर नहीं है। किसी भी बिडर का ई-टेंडर फ्लोर में बिड जमा करना यह कन्फर्म करता है कि उसने ई-टेंडर के टर्म्स एंड कंडीशंस को मान लिया है। के) यूनिट ऑफ़ मेज़र (यूओएम) ई-टेंडर फ़्लोर में बताया गया है। कोट किया जाने वाला रेट ई-टेंडर फ़्लोर/ टेंडर डॉक्यूमेंट में बताए गए यूओएम के अनुसार भारतीय रुपये में होना चाहिए।

विषयसूची

क्र.	मद	पृष्ठ सं
1	खंड I - निविदा का प्रारूप	10 - 11
2	खंड II - निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश	12 - 26
3	धारा III – अनुबंध की सामान्य शर्तें	27 - 37
4	धारा IV – निविदाकर्ता के लिए विशेष निर्देश	38 - 40
5	खंड V – सुरक्षा कोड	41
6	धारा VI – अग्नि सुरक्षा कोड	42
7	खंड VII – कार्य का दायरा	43 - 52
8	धारा VIII – वाणिज्यिक शर्तें	53 - 54
9	एनेक्सर I - बिडर के परफॉर्मेंस के बारे में क्लाइंट के **प्रमाणपत्र** का फॉर्मेट	55
10	पूर्ण हो चुके और चल रहे समान कार्यों का विवरण प्रदान करने के लिए प्रोफार्मा	56
11	अनुलग्नक III - टर्नओवर के लिए **सनदी लेखाकार** द्वारा **प्रमाणपत्र**	57
12	एनेक्सर IV - ऑथराइज़्ड सिग्नेटरी के लिए पावर ऑफ़ अटॉर्नी का फ़ॉर्मेट	58
13	अनुलग्नक V - बोली लगाने वाले और बोली लगाने वाले के बैंकर का विवरण	59 - 60
14	अनुलग्नक VI - समझौते के लेख	61 – 65
14	एनेक्सर VII - **संविदा** लेबर रूल्स/रेगुलेशन के खिलाफ एम्प्लॉयर को हर्जाना देने के लिए प्रोफॉर्मा	66
15	एनेक्सर VIII - **ठेकेदार** को हर बिल के साथ अपने लेटरहेड पर डिक्लेरेशन जमा करने होंगे	67
16	एनेक्सर IX - **कार्यालय भवन**/ **अधिकारी** क्वार्टर्स/ स्टाफ क्वार्टर्स में प्लंबिंग और सैनिटरी मेंटेनेंस कामों के लिए कॉल शीट	68
17	अनुलग्नक X - निवारक रखरखाव कार्यों के लिए प्रोफार्मा	69
18	एनेक्सर XI - बयाना राशि जमा / बोली सुरक्षा के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा	70-71
19	एनेक्सर XII - परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए बैंक गारंटी का प्रोफॉर्मा	72-73
20	भाग II - बिना कीमत वाली मात्रा का बिल	74 - 76

खंड - I
निविदा प्रारूप

स्थान : .....
तारीख: .....

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
संपदा विभाग
आरबीआई, कोच्ची

प्रिय महोदय,

हमने मेमोरेंडम में बताए गए काम से जुड़े स्पेसिफिकेशन्स, डिज़ाइन और क्वांटिटी के शेड्यूल की ध्यान से जांच की है और उस मेमोरेंडम में बताए गए काम की साइट पर जाकर जांच की है और टेंडर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी हासिल की है। हम एतद्द्वारा उस मेमोरेंडम में बताए गए कामों को उस मेमोरेंडम में बताए गए समय के अंदर, साथ में दिए गए क्वांटिटी के शेड्यूल में बताए गए रेट पर और एग्रीमेंट के आर्टिकल्स में बताए गए स्पेसिफिकेशन्स, डिज़ाइन और लिखित निर्देशों, टेंडर देने वालों को दिए गए आम निर्देशों और खास शर्तों, यहां पहले बताई गई शर्तों, स्पेसिफिकेशन्स, काम के शेड्यूल, डेटा शीट और क्वांटिटी के शेड्यूल के अनुसार और दिए गए मटीरियल के साथ, और बाकी सभी मामलों में, ऐसी शर्तों के अनुसार, जहां तक वे लागू हो सकती हैं, पूरा करने का ऑफर देते हैं।

ज्ञापन

(ए)	विवरण का काम करता है	भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची में मुख्य कार्यालय भवन, अधिकारी क्वार्टर और कर्मचारी क्वार्टर में नलसाजी और स्वच्छता कार्यों / स्थापनाओं का वार्षिक रखरखाव अनुबंध
(बी)	अनुमानित लागत	**₹22.20 लाख, जिसमें 18% जीएसटी शामिल है (सिर्फ़ बाईस लाख बीस हज़ार रुपये)**
(सी)	संविदा अवधि	01 फरवरी, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक। कॉन्ट्रैक्टर के संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा दो साल के लिए और "सेक्शन – II - टेंडर्स के लिए सामान्य निर्देश" के पैरा 1.26 के अनुसार रेट बढ़ाने के फ़ॉर्मूले के आधार पर रिन्यू किया जा सकता है।
(डी)	बयाना धन	**₹44,400/-** (केवल चौवालीस हजार चार सौ रुपये)। (सभी बोलीदाताओं द्वारा प्रेषित किया जाना है, जैसा कि भाग- I के खंड II- पैरा 1.9 (i) में उल्लिखित है)
(ई)	भुगतान का तरीका	बोली लगाने वालों के लिए सामान्य निर्देशों के पैरा 1.21 के

2. हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारा टेंडर, टेंडर के पार्ट-I के खुलने की तारीख से 90 दिनों तक बैंक द्वारा मंज़ूरी के लिए वैलिड रहेगा और इस वैलिडिटी पीरियड को बैंक और हमारे बीच लिखित में आपसी सहमति से

तय किए गए समय के लिए बढ़ाया जा सकता है।

3. अगर यह टेंडर स्वीकार हो जाता है, तो मैं/हम टेंडर की शर्तों और नियमों को मानने और पूरा करने के लिए सहमत हूँ/हैं और ऐसा न करने पर, टेंडर में बताई गई रकम ज़ब्त करके भारतीय रिज़र्व बैंक को दे देंगे/देंगी।

4. मैं/हम समझते हैं कि आप बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी टेंडर को पूरा या कुछ हिस्सा स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखते हैं। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने में नाकाम रहते हैं, तो हम इस बात से सहमत हैं कि जमा की गई ईएमडी हमारी तरफ से भारतीय रिज़र्व बैंक को ज़ब्त कर ली जाएगी।

5. हमारे बैंकर्स हैं (नाम और पूरा पता)

(i)	
(ii)	

तारीख: आज, 2025, _____.

दा
एमएस _____ (हस्ताक्षर मुहर सहित)

नाम:

पद का नाम:

जगह:

तारीख:

(ऊपर बताए गए साइन करने वाले के पावर ऑफ़ अटॉर्नी की सर्टिफाइड सच्ची कॉपी साथ में लगानी होगी)।

गवाह

(1) हस्ताक्षर के साथ
नाम, पता और दिनांक

(2) हस्ताक्षर
नाम, पता और दिनांक

खंड - II

सामान्य निविदाकर्ताओं के लिए निर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची में भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, अधिकारी क्वार्टर्स और स्टाफ क्वार्टर्स में प्लंबिंग और सैनिटरी कामों / इंस्टॉलेशन के वार्षिक रखरखाव संविदा के लिए, तय प्री-क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के हिसाब से एलिजिबल बिडर्स से कम्पेटिटिव ई-टेंडर्स मंगा रहा है। काम की अनुमानित लागत **₹22.20 लाख/- (जीएसटी मिलाकर) है।** AMC कॉन्ट्रैक्ट 14 महीने के लिए है, जो 01 फरवरी, 2026 से शुरू होकर 31 मार्च, 2027 तक चलेगा। कॉन्ट्रैक्टर के परफॉर्मेंस और बैंक की एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा दो साल के लिए रिन्यू किया जा सकता है।

1.1	**टेंडर में हिस्सा लेने के लिए, टेंडर देने वालों को ये शर्तें पूरी करनी होंगी:**	
	ए	बोली लगाने वाले के पास *ऑफिस भवन /कमर्शियल जगह/इंडस्ट्रियल घरों के लिए प्लंबिंग और सैनिटरी काम/इंस्टॉलेशन के वार्षिक रखरखाव संविदा जैसे काम करने का कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। इसे लगाने के लिए, बोली लगाने वाले को* **31 अक्टूबर, 2020** को या उससे पहले जारी किए गए वर्क ऑर्डर और ऐसे कामों के लिए संबंधित कंप्लीशन सर्टिफिकेट की कॉपी जमा करनी होंगी।
	बी	बोली लगाने वाले ने पिछले 5 सालों में इसी तरह के काम सफलतापूर्वक किए हों, **यानी 31 अक्टूबर, 2020 के बाद पूरे हुए काम,** जिनकी अलग-अलग लागत इस तरह हो:- तीन काम, हर एक की लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर रकम से कम नहीं या दो काम, हर एक की लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर से कम नहीं होनी चाहिए। या एक काम जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% के बराबर हो।
	सी	बोली लगाने वाले का कम से कम सालाना टर्नओवर, 31 मार्च, 2025 को खत्म होने वाले पिछले 3 फाइनेंशियल सालों (2022-23, 2023-24, 2024-25) के दौरान अनुमानित लागत का 100% होना चाहिए, जिसके साथ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट (बैलेंस शीट, P & L स्टेटमेंट) होने चाहिए।
	डी	बोली लगाने वाले को अपने बैंकर से जारी किया गया सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट देना होगा, जो अनुमानित कीमत के 100% के बराबर होगा।
	ई	बोली लगाने वाले का कोच्ची में सर्विस सेटअप होना चाहिए।

अगर कोई फर्म ऊपर दिए गए क्राइटेरिया को पूरा नहीं करती है, तो उसका टेंडर रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

1.2 टेंडर देने वालों को ये डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने होंगे (स्कैन करके एमएसटीसी ई-टेंडरिंग पोर्टल पर अटैच करना होगा):

(ए)	फर्म की संरचना	कॉन्ट्रैक्टर की फर्म के बारे में पूरी जानकारी (चाहे कॉन्ट्रैक्टर कोई व्यक्ति हो, या पार्टनरशिप फर्म हो, या कंपनी वगैरह) डिटेल में, पार्टनर के नाम और पते, आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन / पावर ऑफ़ अटॉर्नी / अटॉर्नी / दूसरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट की कॉपी के साथ जमा करनी होगी। पावर ऑफ़ अटॉर्नी का फ़ॉर्मेट **अनुलग्नक IV में दिया गया है।**
(बी)	काम का अनुभव और तय समय में तय कीमत के मिलते-जुलते काम पूरे करना	क्वालिफाइंग कामों के लिए डिटेल्ड वर्क ऑर्डर की कॉपी (जैसा कि ऊपर पैरा 1.1 A&B में बताया गया है) जिसमें काम देने की तारीख, काम की कीमत, काम पूरा करने के लिए दिया गया समय वगैरह लिखा हो, और उससे जुड़े कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिसमें काम पूरा होने की असली तारीख और किए गए वैसे ही कामों की असली कीमत लिखी हो, काम के अनुभव और एलिजिबिलिटी के सबूत के तौर पर साथ में लगाने होंगे। किसी भी सेंटर पर भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए काम करने के पिछले अनुभव, अगर कोई हो, के डॉक्यूमेंट्री सबूत के साथ डिटेल्स भी देनी होंगी। डिटेल्स **अनुलग्नक II में दी जा सकती हैं।**
(सी)	कारोबार	पिछले तीन फाइनेंशियल ईयर यानी 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट जिसमें इन फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर बताया गया हो। CA द्वारा सर्टिफिकेट का फॉर्मेट **अनुलग्नक III में दिया गया है।**
(डी)	कॉन्ट्रैक्टर की क्रेडिट योग्यता और बताई गई अवधि के दौरान उनका टर्नओवर	इनकम टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट / इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर की कॉपी, साथ ही बिडर के बिज़नेस के लेटेस्ट फ़ाइनल अकाउंट, जो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफ़ाई किए गए हों, उनकी क्रेडिट और पिछले तीन सालों के टर्नओवर के सबूत के तौर पर अटैच किए जाने चाहिए।
(ई)	सॉल्वेंसी / बैंकर सर्टिफिकेट	टेंडर देने का इरादा रखने वाले को अनुमानित लागत के 100% के बराबर रकम के लिए संबंधित बैंकर से जारी किया गया सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट देना होगा।
(एफ)	बैंकर्स और उनके मौजूदा कॉन्टैक्ट एग्जीक्यूटिव्स के नाम और पते	अपने बैंकर्स के नाम और पते के बारे में लिखी हुई जानकारी, साथ ही कॉन्टैक्ट एग्जीक्यूटिव (यानी वे लोग जिनसे ज़रूरत पड़ने पर बैंक अपने बैंकर्स के ऑफिस में संपर्क कर सकता है) की पूरी जानकारी, जैसे नाम, पोस्टल एड्रेस, ई-मेल ID, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर वगैरह, देनी होगी। इसका फॉर्मेट **अनुलग्नक V में दिया गया है।**
(जी)	बैंक खातों का विवरण	उनके बैंक अकाउंट की पूरी जानकारी, जैसे अकाउंट नंबर, टाइप वगैरह दी जानी चाहिए। इसका फॉर्मेट अनुलग्नक **V में दिया गया है।**

(एच)	ग्राहकों की सूची	क्लाइंट के हिसाब से काम के नाम, काम पूरा होने का साल, दिए गए काम की असली कीमत, कॉन्ट्रैक्ट में तय काम पूरा होने का समय और काम पूरा होने में लगा असली समय, जिन अधिकारियों/अधिकारियों/डिपार्टमेंट के तहत काम किया गया/किए गए, उनके नाम और पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी होंगी। इसका फॉर्मेट **अनुलग्नक II** में दिया गया है।
(i)	ग्राहक का प्रमाणपत्र	**अनुलग्नक I** में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार, उनके क्लाइंट्स से, जिनके लिए उन्होंने इस नोटिस में बताए गए एलिजिबिलिटी (प्री-क्वालिफिकेशन) क्राइटेरिया के हिसाब से "एलिजिबल काम" किए हैं। क्लाइंट के सर्टिफिकेट पर किसी सरकारी/सेमी-गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन या PSU के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर/सुपरिटेंडेंट इंजीनियर या उसके बराबर रैंक के अधिकारी का साइन तभी होगा, जब उनके पास कॉन्ट्रैक्टर को उसके किए गए काम के लिए मिले पेमेंट का सही सबूत हो । प्राइवेट ऑर्गनाइजेशन द्वारा जारी किया गया क्लाइंट का सर्टिफिकेट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) सर्टिफिकेट (फॉर्म 26AS) के साथ भी होना चाहिए।
(जे)	ऑफिस सेटअप की जानकारी	कोच्ची में बने ऑफिस का पता और कॉन्टैक्ट डिटेल्स।
(क)	रजिस्ट्रेशन की जानकारी और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट/डॉक्यूमेंट्स की कॉपी	• कड़ाही • जीएसटी • माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज़ (MSE) GOI, अगर लागू हो। • लेबर कमिश्नर का ऑफिस, अगर लागू हो। • ESI, EPF रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
1.3	**दो बिड सिस्टम में बिड्स** इच्छुक बिडर्स को अपने प्री-क्वालिफिकेशन (PQ) पेपर्स; सेक्शन 1.2 में बताए गए डॉक्यूमेंट्स और सही तरीके से भरे हुए, साइन किए हुए और स्टैम्प किए हुए टेंडर डॉक्यूमेंट्स एमएसटीसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर तय तारीख और समय के अंदर अपलोड करने होंगे। टेंडर मिलने की तय तारीख और समय के बाद किसी भी हालत में कोई टेंडर नहीं लिया जाएगा।	
1.4	**निविदा/बोली से संबंधित दस्तावेज़**	
	पार्ट I: (टेक्नो-कमर्शियल बिड)	
	(i)	निविदा का प्रारूप
	(ii)	बयाना राशि जमा (ईएमडी)/ बोली सुरक्षा
	(iii)	कोच्ची में बने ऑफिस की डिटेल्स (पता, कॉन्टैक्ट नंबर, ऑथराइज़्ड व्यक्ति का नाम वगैरह)
	(iv)	पक्ष में पावर ऑफ़ अटॉर्नी (साथ में दिए गए प्रोफ़ॉर्मा के अनुसार)। इसका फ़ॉर्मेट **अनुलग्नक IV में दिया गया है।**

	(v)	विधिवत भरा हुआ टेंडर दस्तावेज़	
		ए	संपूर्ण निविदा दस्तावेज़
		बी	**सेक्शन 1.2** में बताए गए डॉक्यूमेंट्स के साथ यहां अटैच किए गए हैं, ठीक से भरे हुए हैं।
	भाग II: (मूल्य बोली)		
	टेंडर के पार्ट-II में सिर्फ़ बिडर की प्राइस बिड होगी।		

1.5	**स्पष्टीकरण और बोली-पूर्व बैठक**	
	अगर बिडर को आम शर्तों के किसी हिस्से, या खास शर्तों या काम के दायरे या काम से जुड़ी किसी दूसरी बात के मतलब के बारे में कोई शक है, तो उसे प्री-बिड मीटिंग की तय तारीख से पहले, उसकी डिटेल्स बतानी होंगी और उन्हें टेंडर इनवाइटिंग अथॉरिटी को लिखकर आरबीआई को जमा करना होगा, ताकि प्री-बिड मीटिंग के दौरान ऐसे शक को सही तरीके से दूर किया जा सके और यह क्लैरिफिकेशन एमएसटीसी /आरबीआई वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। एक बार टेंडर जमा हो जाने के बाद, ऐसे असली प्री-क्लैरिफिकेशन के न होने पर टेंडर की शर्तों के हिसाब से मामले पर फैसला किया जाएगा।	
	कार्य के दायरे, अन्य विवरणों को समझाने और बोलीदाताओं द्वारा उठाए गए किसी भी मुद्दे/प्रश्नों को स्पष्ट करने के लिए, निविदा आमंत्रण नोटिस में निर्दिष्ट तिथि, समय और स्थान पर एक पूर्व-बोली बैठक की व्यवस्था की जाएगी। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा का अध्ययन करें और साइट पर जाएं और स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाले किसी भी मामले को पूर्व-बोली बैठक के पिछले कार्य दिवस को शाम 5:00 बजे तक आरबीआई को प्रस्तुत करें। यदि बोलीदाता कार्य के लिए निविदा करते समय कोई शर्त शामिल करना चाहता है, तो उसे आरबीआई को उसकी जांच/विचार करने में सक्षम बनाने के लिए पूर्व-बोली बैठक से पहले उसे प्रस्तुत करना होगा। मामले में आरबीआई का निर्णय सभी बोलीदाताओं को पूर्व-बोली बैठक के बाद लेकिन निविदाओं को जमा करने की निर्धारित तिथि से पहले बता दिया जाएगा। सभी बोलीदाताओं को अपने हित में पूर्व-बोली बैठक में भाग लेने की सलाह दी जाती है।	
1.6	**निविदा दस्तावेज़ में संशोधन**	
	i)	टेंडर/बिड जमा करने की डेडलाइन से पहले किसी भी समय, आरबीआई किसी भी वजह से, चाहे अपनी पहल पर या किसी होने वाले बिडर के क्लैरिफिकेशन या सवाल के जवाब में, टेंडर डॉक्यूमेंट के किसी भी हिस्से में बदलाव कर सकता है।
	ii)	एडेंडम/कोरिजेंडम के रूप में यह बदलाव एमएसटीसी ई-कॉमर्स और आरबीआई वेबसाइट पर टेंडर/बिड इनवाइटिंग नोटिस में बताई गई आखिरी तारीख को या उससे पहले होस्ट किया जाएगा। यह कम्युनिकेशन बिडर्स के लिए बाइंडिंग होगा। बिडर्स को सलाह दी जाती है कि वे रेगुलर एमएसटीसी ई-कॉमर्स वेबसाइट देखें ताकि यह पक्का हो सके कि उन्हें किसी भी बदलाव के बारे में पता है, अगर कोई है। अगर कोई एडेंडम जारी किया गया है, तो वह कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट का हिस्सा होगा।

	iii)	ध्यान में रखते हुए, होने वाले बिडर्स को अपनी बिड्स तैयार करने के लिए सही समय देने के लिए, आरबीआई अपनी मर्ज़ी से बिड्स जमा करने की डेडलाइन बढ़ा सकता है।
1.7	**बोली की तैयारी और बोली की लागत**	
	i)	टेंडर देने वाले को कॉन्ट्रैक्ट की आम शर्तों, आम निर्देशों वगैरह में दिए गए नियम और शर्तों को पढ़ना होगा और उसका ऑफर पूरी तरह से उसमें बताई गई शर्तों के हिसाब से होगा। बताई गई शर्तों से कोई भी बदलाव मंज़ूर नहीं होगा। टेंडर डॉक्यूमेंट्स के हर पेज पर साइन करना होगा ताकि वह कॉन्ट्रैक्ट की आम शर्तों, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स वगैरह से खुद को परिचित कर सके।
	ii)	**बोली लगाने वाले ध्यान दें कि मज़दूरी, एरिया "B" (कंस्ट्रक्शन/मेंटेनेंस या भवन ऑपरेशन वगैरह में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए)** (स्किल्ड वर्कमैन/सेमी-स्किल्ड वर्कमैन) पर लागू मिनिमम मज़दूरी से कम नहीं बताई जा सकती, जो चीफ लेबर कमिश्नर (सेंट्रल) ने तय की है। इसलिए, काम करने वालों के लिए मज़दूरी का हिस्सा टेंडर के पार्ट-II (प्राइस बिड - क्वांटिटी का शेड्यूल) में मिनिमम मज़दूरी पर तय किया गया है। हालांकि, जो बोली लगाने वाले काम करने वालों को मौजूदा मार्केट मज़दूरी के हिसाब से मिनिमम मज़दूरी से ज़्यादा सैलरी देना चाहते हैं, वे मिनिमम मज़दूरी के अलावा सैलरी की एक्स्ट्रा रकम का हिस्सा टेंडर के पार्ट-II में सीरियल नंबर 1 (B) में मज़दूरी के वेरिएबल हिस्से में बता सकते हैं।
	iii)	उद्धृत दरों में कंपनी/एजेंसी/फर्म की सभी अन्य वैधानिक देनदारियों (संबंधित अधिनियमों/नियमों इत्यादि के तहत फर्म की प्रयोज्यता के अनुसार, वेतन सीमा और मौजूदा ईपीएफ सदस्यों के योगदान के अनुसार) जैसे ईएसआई, ईपीएफ, बोनस योगदान/भुगतान इत्यादि शामिल होंगे। इस संबंध में वर्तमान में लागू या अनुबंध अवधि के दौरान लागू होने वाले सभी केंद्रीय सरकार के कानूनों/दिशानिर्देशों का संदर्भ लिया जा सकता है। ठेकेदार अनुबंध अवधि के दौरान तैनात किए जाने वाले कामगारों/कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी और ऊपर बताए गए मजदूरी से संबंधित घटकों (ईएसआई/ईपीएफ/बोनस इत्यादि) (फर्म की प्रयोज्यता के अनुसार) के संबंध में वैधानिक देनदारियों के अनुपालन को हमेशा सुनिश्चित करेगा। बोनस (फर्म की प्रयोज्यता के अनुसार) का भुगतान किया जा सकता है। यदि ईएसआई/ईपीएफ या किसी अन्य वैधानिक दायित्व के संबंध में फर्म की प्रयोज्यता में परिवर्तन होता है, मेंटेनेंस एजेंसी समय-समय पर लागू होने वाले अलग-अलग लेबर कानूनों का पालन पक्का करने के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगी। इस वजह से कोई भी लायबिलिटी और इसका पालन न करने से होने वाली कोई भी लायबिलिटी मेंटेनेंस एजेंसी अपने रिस्क और कॉस्ट पर उठाएगी।
	iv)	सबसे कम (L1) बोली लगाने वाले द्वारा उद्धृत दरें अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार कम से कम न्यूनतम मजदूरी (भारत सरकार) के भुगतान की आवश्यकता का अनुपालन करना चाहिए और न्यूनतम मजदूरी/उद्धृत मजदूरी से जुड़े मजदूरी घटकों जैसे बोनस, पीएफ, ईएसआई, लागू कानूनों और किसी भी अन्य कानून/कोड आदि के अनुसार जो अनुबंध अवधि के दौरान लागू होंगे। इसलिए दरों को सभी घटकों को शामिल करते हुए और उपरोक्त सभी आवश्यकताओं और निविदा में

		निर्दिष्ट कार्य के दायरे को ध्यान में रखते हुए उद्धृत किया जाना चाहिए। यदि बोली लगाने वाले द्वारा उद्धृत दरें कम से कम न्यूनतम मजदूरी और अन्य वैधानिक घटकों के भुगतान की उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं पाई जाती हैं, तो उन्हें काम देने के लिए विचार नहीं किया जाएगा
	v)	स्किल्ड/सेमी-स्किल्ड/अनस्किल्ड लेबर को मिलने वाली कुल मज़दूरी में मिनिमम मज़दूरी और कानूनी बकाया (बेसिक + वेरिएबल महंगाई भत्ता), बोनस वगैरह शामिल होंगे।
	vi)	बिड की कीमतें सिर्फ़ भारतीय रुपये में बताई जाएंगी। बताई गई दरों में काम से जुड़ी सभी लागतें शामिल होनी चाहिए, जिसमें जेब से होने वाला खर्च / मोबिलाइज़ेशन खर्च, सभी टैक्स (GST सहित), चार्ज, लेवी, सेस, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, दूसरे सरकारी टैक्स, कर्मचारियों की यूनिफॉर्म, मोबाइल हैंडसेट वगैरह शामिल हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, बताई गई दरों में GST शामिल होना चाहिए, जिसका पेमेंट सरकारी निर्देशों के अनुसार अलग से किया जाएगा।
	vii)	काम के लिए रेट, क्वांटिटी के शेड्यूल में बताए गए कॉलम में आंकड़ों और शब्दों दोनों में बताए जाने चाहिए। आंकड़ों और शब्दों में दिए गए रेट में कोई अंतर न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। हर आइटम का अमाउंट सिस्टम से निकाला जाएगा और ज़रूरी टोटल बताए गए कॉलम में भरा जाएगा।
	viii)	अगर किसी आइटम के लिए कोई रेट नहीं बताया गया है, और फिगर, शब्द और अमाउंट में जगह खाली छोड़ दी गई है, तो टेंडर अधूरा माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
	ix)	टेंडर खुलने के बाद रेट या शर्तों में किसी भी बदलाव की सलाह पर विचार नहीं किया जाएगा।
	x)	बोली लगाने वाले को अपनी ज़िम्मेदारी और अपने खर्चे पर टेंडर डालने और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी सारी जानकारी लेनी होगी और स्पेसिफिकेशन की जांच करनी होगी और काम की जगह का इंस्पेक्शन करना होगा और सभी लोकल हालात, काम तक पहुंचने के तरीके, काम का नेचर और उससे जुड़ी सभी बातों की जानकारी लेनी होगी।
	xi)	यह माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्टर ने काम और साइट के हालात, जिसमें लेबर, आम और खास हालात, स्पेसिफिकेशन, शेड्यूल शामिल हैं, की ध्यान से जांच की है और यह भी माना जाएगा कि उसने काम की जगह का दौरा किया है, लोकल हालात के बारे में पूरी जानकारी ली है और टेंडर में बताए गए रेट पर पहुंचने के लिए खुद जांच की है।
	xii)	कोट किए गए रेट में सभी टैक्स (GST को छोड़कर) शामिल माने जाएंगे, जैसे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, लोकल लेवी, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट टैक्स, वगैरह, अगर सेंट्रल/स्टेट गवर्नमेंट/लोकल बॉडीज़ द्वारा लगाए गए हों। अगर टेंडर देने वाला टेंडर में ऐसे टैक्स और ड्यूटी शामिल नहीं करता है, तो बैंक बाद में उस पर कोई क्लेम नहीं लेगा। भारतीय कानूनों के अनुसार, मौजूदा/लागू रेट के हिसाब से इनकम टैक्स सोर्स पर काटा जाएगा। साथ ही, जमा किए गए बिलों से लागू GST-TDS काटा जाएगा।
1.8	**उपयोग किए जाने वाले प्रारूप**	

	बिडर को सिर्फ़ आरबीआई द्वारा अपलोड किए गए टेंडर फ़ॉर्म भरकर जमा करने होंगे, जिसमें यह बताना होगा कि वह किस रेट पर काम करने को तैयार है। ऐसे टेंडर, जिनमें टेंडर के इनविटेशन के फ़ॉर्म में बताए गए काम में कोई बदलाव करने का प्रस्ताव हो, या जिनमें कंडीशनल रिबेट सहित किसी भी तरह की कोई दूसरी शर्तें हों, उन्हें रिजेक्ट/डिसक्वालिफ़िकेशन किया जा सकता है। हालांकि, अगर वे और जानकारी जमा करना चाहते हैं, तो वे अपने लेटर हेड/पेपर पर ऐसा कर सकते हैं। टेंडर फ़ॉर्म के हर पेज पर साइन करके एमएसटीसी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।	
1.9	**बयाना राशि जमा (ईएमडी)/बोली सुरक्षा**	
	i)	बोली लगाने वालों को ₹44,400/- (सिर्फ़ चौवालीस हज़ार चार सौ रुपये) की अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट (ईएमडी)/बिड सिक्योरिटी जमा करनी होगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। NEFT / RTGS ट्रांज़ैक्शन के लिए अकाउंट डिटेल्स इस तरह हैं: लाभार्थी का नाम: **आरबीआई कोच्ची संपदा** IFSC: **RBIS0KCPA01** ('0' दोनों जगहों पर ज़ीरो है) खाता संख्या: **186003001** टिप्पणी: **एएमसी प्लंबिंग**
	ii)	जिन बिड्स के साथ ईएमडी नहीं होगी, उन्हें नॉन-रिस्पॉन्सिव माना जाएगा, और बैंक अपनी मर्ज़ी से उन्हें रिजेक्ट कर देगा। अगर बिडर का टेंडर स्वीकार नहीं होता है, तो अर्नेस्ट मनी उसे बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
	iii)	असफल बिडर्स की ईएमडी बैंक द्वारा सफल बिडर्स को काम देने के बाद वापस कर दी जाएगी और सफल बिडर्स की ईएमडी इस सेक्शन के क्लॉज़ 1.17 के अनुसार परफ़ॉर्मेंस बैंक गारंटी जमा करने के बाद वापस कर दी जाएगी।
	iv)	ईएमडी ज़ब्त हो जाएगी अगर बिडर (a) जमा किए गए फ़ॉर्म, स्टेटमेंट और अटैचमेंट में गुमराह करने वाली या झूठी जानकारी देता है, कोई भी ज़रूरी जानकारी, कोर्ट में पेंडिंग किसी भी कानूनी कार्रवाई की डिटेल्स छिपाता है, जिससे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर कोई असर पड़ सकता था; (b) बिड वैलिडिटी के समय के दौरान अपनी बिड वापस ले लेता है, या (c) किसी सरकारी एजेंसी ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है और ब्लैकलिस्ट अभी भी लागू है।
	v)	ईएमडी बैंक गारंटी के रूप में भी जमा करना होगा, जिसका फॉर्मेट Annexure-XI में दिया गया है।
1.10	**बोली पर हस्ताक्षर, पावर ऑफ अटॉर्नी**	
	i)	हर टेंडर डॉक्यूमेंट को सही अथॉरिटी वाले व्यक्ति को भरना और अपलोड करना होगा और अपने डिजिटल सिग्नेचर के साथ, यह दिखाने के लिए कि वह कॉन्ट्रैक्ट की जनरल कंडीशंस, स्पेसिफिकेशन्स, स्पेशल कंडीशंस और दूसरी टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह से परिचित है, जैसा कि बताया गया है।
	ii)	किसी फर्म की तरफ से जमा किए गए टेंडर पर उस व्यक्ति का डिजिटल साइन होना चाहिए जिसके पास फर्म की तरफ से प्रस्तावित कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने के लिए पावर-ऑफ अटॉर्नी हो, ऐसी पावर-ऑफ अटॉर्नी टेंडर के साथ अपलोड की जाएगी। इसमें यह

		बताना होगा कि फर्म इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1952 के तहत सही तरीके से रजिस्टर्ड है, नहीं तो टेंडर को आरबीआई रिजेक्ट कर सकता है।
	iii)	बिडर्स को टेंडर के पार्ट-I के साथ, सही कीमत के स्टाम्प पेपर पर, नोटराइज़ किया हुआ, एक पावर ऑफ़ अटॉर्नी जमा करना होगा। यह बिड डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने वाले व्यक्ति के नाम पर होगा। इसमें उसे बिड डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने, उनमें सुधार/बदलाव करने और भारतीय रिज़र्व बैंक से बातचीत करने और कॉन्टैक्ट पर्सन के तौर पर काम करने का अधिकार होगा। पावर ऑफ़ अटॉर्नी का प्रोफ़ॉर्मा साथ में दिया गया है।
1.11	**बोलियों में संशोधन / प्रतिस्थापन / वापसी**	
	i)	टेंडर जमा करने की तय तारीख और समय के बाद जमा की गई बिड में कोई बदलाव या बदलाव की इजाज़त नहीं होगी।
	ii)	कोई बिडर अपनी जमा की गई बिड वापस ले सकता है, बशर्ते कि बिड जमा करने की आखिरी तारीख से पहले आरबीआई को बिड वापस लेने की लिखित सूचना मिल जाए। अगर कोई बिडर अपनी बिड दोबारा जमा करना चाहता है, तो उसे तय तारीख के अंदर सभी लागू शर्तों का पालन करते हुए नई बिड जमा करनी होगी।
1.12	**बोली की नियत तिथि**	
	बिड्स टेंडर इनवाइटिंग नोटिस में बताए गए तय समय और तारीख को या उससे पहले मिल जानी चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक, खास हालात में, और अपनी मर्ज़ी से, बिड की ड्यू डेट बढ़ा सकता है।	
1.13	**वित्तीय बोलियों का उद्घाटन**	
	सही तरीके से भरा हुआ ई-टेंडर पार्ट I, ईएमडी के साथ प्री-क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, टेक्निकल डिटेल्स, वगैरह, जिसे टेंडर का पार्ट I कहा जाता है, उसे टेंडर इनवाइटिंग नोटिस में बताए गए समय और तारीख पर, टेंडर इनवाइटिंग नोटिस में बताए गए टेंडर इनवाइटिंग अथॉरिटी, या उनके ऑथराइज़्ड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा, बिडर्स के ऑथराइज़्ड रिप्रेजेंटेटिव की मौजूदगी में, जो मौजूद रहना चाहें, खोला जाएगा। पार्ट-I की स्क्रूटनी के दौरान, अगर कोई डॉक्यूमेंट/जानकारी गायब पाई जाती है या बिडर से कोई और डॉक्यूमेंट/जानकारी चाहिए होती है, तो बिडर को आरबीआई द्वारा बताए गए तय समय के अंदर उसे आरबीआई को देने की सलाह दी जाएगी। तय समय के अंदर ज़रूरी डॉक्यूमेंट/जानकारी न देने पर आरबीआई अपनी मर्ज़ी से बिड रिजेक्ट कर देगा। टेंडर डॉक्यूमेंट्स के पार्ट I की जांच के बाद क्वालिफाइड पाए जाने वाले बिडर्स का, जो सही तरीके से भरा हुआ ई-टेंडर-पार्ट II होगा, उसे क्वालिफाइड बिडर्स के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने अगली तारीख को खोला जाएगा, जिसकी जानकारी सभी क्वालिफाइड बिडर्स को दे दी जाएगी।	
1.14	**बोली वैधता**	
	, टेंडर के पार्ट-I के खुलने की तारीख से 90 दिनों के समय के लिए आरबीआई द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए खुले रहेंगे, इस समय को आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है और बोली लगाने वाला इस समय के दौरान टेंडर को कैंसिल या वापस नहीं लेगा।	
1.15	**बोलियों का स्पष्टीकरण और मूल्यांकन**	

	आरबीआई इसके बाद नीचे दिए गए तरीके से बिड्स की जांच और मूल्यांकन करेगा:	
	i)	सिर्फ़ उन्हीं बिडर्स की प्राइस बिड्स खोली जाएंगी जो टेक्निकली क्वालिफाइड हैं।
	ii)	वेरिफिकेशन/स्क्रूटनी के दौरान हर आइटम के लिए दिए गए रेट पर विचार किया जाएगा।
	iii)	अगर आंकड़ों और शब्दों में लिखे रेट मेल नहीं खाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा शब्दों में बताए गए रेट को सही माना जाएगा।
	iv)	अगर कॉन्ट्रैक्टर ने आंकड़ों और शब्दों में जो रेट बताए हैं, वे मेल खाते हैं, लेकिन रकम सही नहीं निकली है, तो कॉन्ट्रैक्टर के बताए रेट को सही माना जाएगा और रकम उसी हिसाब से निकाली जाएगी।
	v)	बिड की जांच, मूल्यांकन और तुलना में मदद के लिए, आरबीआई बिडर्स से अलग-अलग स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिए रिक्वेस्ट और जवाब लिखित में होगा। टेंडर क्लॉज़ के अनुसार बिड्स के मूल्यांकन के दौरान ज़रूरत के अलावा, बिड की कीमत या सार में कोई बदलाव नहीं मांगा जाएगा, ऑफ़र नहीं किया जाएगा या इजाज़त नहीं दी जाएगी।
	vi)	किसी भी टेंडर के मामले में, जहां किसी आइटम/आइटम्स का यूनिट रेट अनरियलिस्टिक लगता है, ऐसे टेंडर को अनबैलेंस्ड माना जाएगा और अगर टेंडर देने वाला संतोषजनक एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है, तो ऐसे टेंडर को डिसक्वालिफाई और रिजेक्ट किया जा सकता है।
	vii)	अगर दो या ज़्यादा बिडर्स की सबसे कम टेंडर की गई रकम (अलग-अलग आइटम के कोट किए गए रेट के आधार पर तय) एक जैसी है, तो ऐसे सबसे कम बिडर्स से एक सील्ड रिवाइज़्ड ऑफ़र जमा करने के लिए कहा जा सकता है, जिसमें उनके पहले से कोट किए गए टेंडर अमाउंट पर परसेंट डिस्काउंट कोट किया गया हो, जो सभी टेंडर आइटम पर लागू होगा। सबसे कम टेंडर का फ़ैसला रिवाइज़्ड ऑफ़र के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा, अगर कोई सबसे कम बोली लगाने वाला अपनी बोली को कम नहीं करता है, तो उसकी ओरिजिनल बोली आगे की प्रोसेसिंग के लिए वैलिड रहेगी।
	viii)	अगर रिवाइज़्ड ऑफर में मिले दो या ज़्यादा बिडर्स की रिवाइज़्ड टेंडर की रकम (अलग-अलग आइटम के कोट किए गए रेट के आधार पर तय) फिर से बराबर पाई जाती है, तो आरबीआई आगे क्या कदम उठाएगा, यह तय करेगा जो सभी बिडर्स के लिए आखिरी और ज़रूरी होगा।
	ix)	टेक्निकल बिड्स के इवैल्यूएशन के बाद, सिर्फ़ शॉर्टलिस्ट किए गए बिडर्स की फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी। ऑफर की टेक्निकल सूटेबिलिटी पर बैंक का फ़ैसला फ़ाइनल होगा और उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।
	x)	बैंक बिडर के क्लाइंट्स और बैंकर्स से उसके पिछले परफॉर्मेंस पर रिपोर्ट लेगा। बैंक टेंडर्स का पार्ट-II खोलने से पहले इन रिपोर्ट्स को इवैल्यूएट करेगा। अगर किसी भी समय किसी बिडर में टेंडरिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए ज़रूरी एलिजिबिलिटी नहीं पाई जाती है और/या उसके क्लाइंट्स से मिली उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स और/या उसके बैंकर्स की रिपोर्ट ठीक नहीं पाई जाती है, तो बैंक टेंडर का पार्ट-I खुलने के बाद भी

		उसके ऑफर को रिजेक्ट करने का अधिकार रखता है। बैंक ऐसा करने के लिए कोई कारण बताने के लिए मजबूर नहीं है।
1.16	**निविदा की स्वीकृति और कार्य का पुरस्कार**	
	आरबीआई से अपने टेंडर के मंज़ूर होने की जानकारी मिलने पर, सफल बिडर कॉन्ट्रैक्ट को लागू करने के लिए मजबूर होगा और उसके चौदह दिनों के अंदर, सफल बिडर एग्रीमेंट के ड्राफ़्ट आर्टिकल्स के अनुसार एक एग्रीमेंट पर साइन करेगा। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा टेंडर की लिखित मंज़ूरी, भारतीय रिज़र्व बैंक और टेंडर देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, चाहे ऐसा फ़ॉर्मल एग्रीमेंट बाद में किया जाए या नहीं।	
1.17	**प्रदर्शन की गारंटी**	
	जिस कॉन्ट्रैक्टर का टेंडर स्वीकार किया जाता है, उसे वर्कऑर्डर जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर टेंडर की गई रकम का 5% (पांच प्रतिशत) परफॉर्मेंस गारंटी देनी होगी। यह गारंटी किसी भी शेड्यूल्ड बैंक से होगी, जो साथ में दिए गए अप्रूव्ड प्रोफॉर्मा के अनुसार होगी। सफल टेंडरर द्वारा पेमेंट किया गया PBG, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए सिक्योरिटी डिपॉज़िट (SD) के तौर पर भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रहेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट को आगे के समय के लिए रिन्यू किया जाता है, तो फर्म को कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 5% परफॉर्मेंस बैंक गारंटी के तौर पर जमा करना होगा। बैंक का फ़ैसला आखिरी और मानने वाला होगा। अगर किसी ज़रूरी वजह से PBG जमा करने में देरी होती है, तो कॉन्ट्रैक्टर के बिल से बैंक के रेट पर चार्ज वसूला जाएगा। अगर सफल टेंडरर कॉन्ट्रैक्ट की किसी भी शर्त को पूरा नहीं कर पाता है, तो उसका पूरा सिक्योरिटी डिपॉज़िट ज़ब्त कर लिया जाएगा।	
1.18	**अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर**	
	टेंडर डॉक्यूमेंट्स के साथ दिए गए टेंडर देने वालों के लिए जनरल इंस्ट्रक्शन्स और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें वगैरह, बैंक और टेंडर देने वाले के बीच बाद में हुई बातचीत और दिया गया वर्क ऑर्डर, सफल टेंडर देने वाले के साथ किए जाने वाले फाइनल कॉन्ट्रैक्ट का आधार होंगे।	
	बैंक से अपने टेंडर के एक्सेप्ट होने की जानकारी मिलने पर, सफल टेंडरर कॉन्ट्रैक्ट को लागू करने के लिए मजबूर होगा और इसके चौदह दिनों के अंदर, सफल टेंडरर ड्राफ्ट एग्रीमेंट के अनुसार एक एग्रीमेंट पर साइन करेगा। एग्रीमेंट पर साइन करने के बावजूद, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किसी टेंडर को लिखित रूप से एक्सेप्ट करना, अपने आप में भारतीय रिज़र्व बैंक और टेंडर देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाइंडिंग एग्रीमेंट होगा, चाहे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बाद में एक्सेप्ट किया जाए या नहीं। आर्टिकल्स ऑफ़ एग्रीमेंट का फॉर्मेट एनेक्सर **VI में दिया गया है।** इन शर्तों के उल्लंघन के मामले में, बैंक सफल बिडर को कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के लिए लिखित में एक नोटिस दे सकता है, जिसके बाद सिक्योरिटी डिपॉज़िट बैंक द्वारा ज़ब्त कर लिया जाएगा, और सफल बिडर के खिलाफ उसके दूसरे उपायों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।	
	कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट किसी और को नहीं देगा। वह एम्प्लॉयर की लिखित सहमति के बिना कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी हिस्सा सबलेट नहीं करेगा। इन शर्तों को तोड़ने पर, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का लिखित नोटिस दे सकता है, जिसके बाद सिक्योरिटी डिपॉज़िट एम्प्लॉयर का ज़ब्त हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ उसके दूसरे उपायों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।	
1.19	**कर/शुल्क/लेवी**	

	i)	इस कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में लागू टर्नओवर टैक्स या कोई अन्य टैक्स कॉन्ट्रैक्टर को देना होगा और आरबीआई इसके संबंध में किसी भी तरह का क्लेम स्वीकार नहीं करेगा।
	ii)	सफल टेंडर देने वाले यह भी ध्यान दें कि आरबीआई के पास कॉन्ट्रैक्ट की रकम पर, जैसा लागू हो और संबंधित एक्ट के तहत लगाया जाए, TDS काटने का अधिकार है, जो उन्हें बैंक से मिलने वाले बिल और रकम से सीधे सरकार को भेजा जाएगा।
1.20	**संविदा अवधि**	
	, इस सेक्शन के पैरा 1.26 में बताई गई बदली हुई दरों पर कॉन्ट्रैक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा दो साल के लिए रिन्यू किया जा सकता है।	
1.21	**अदायगी की शर्तें**	
	इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत किए जाने वाले कामों के लिए पेमेंट इस तरह किया जाएगा और पेमेंट के तरीके में कोई भी बदलाव भारतीय रिज़र्व बैंक को मंज़ूर नहीं होगा।	
	i	मैनपावर डिप्लॉयमेंट के लिए पेमेंट हर महीने किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर को स्टाफ के डिप्लॉयमेंट का प्रूफ और मिनिमम वेज (सेंट्रल मिनिमम वेज-CLC(C)), EPF/ESI, बोनस पेमेंट के पेमेंट का प्रूफ बिल के साथ जमा करना होगा। काम के लिए दी गई वेज पर हर महीने ESI/EPF कंट्रीब्यूशन देना होगा। कॉन्ट्रैक्टर को अपने डिप्लॉय किए गए स्टाफ के बैंक अकाउंट में सीधे वेज क्रेडिट करना चाहिए और इस टेंडर में बताए गए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ डिप्लॉय किए गए स्टाफ को वेज का पेमेंट दिखाते हुए हर महीने का बैंक स्टेटमेंट जमा करना चाहिए।
	ii	इस टेंडर में बताए गए सामान के अलावा इस्तेमाल हुए दूसरे सामान का बिल अलग से जमा करना होगा, जिसमें शिकायत नंबर, जगह, और कंप्लायंट और काम पूरा होने के बाद किए गए काम की डिटेल्स (कॉल शीट सैंपल/कम्प्लायंट फॉर्मेट) बैंक के इंजीनियर/इंजीनियरों के सर्टिफिकेशन के साथ देनी होंगी।
	iii	न्यूनतम मजदूरी और / या परिवर्तनीय महंगाई भत्ता मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार संशोधित किया जाएगा अर्थात हर साल 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से, **निर्माण या रखरखाव या भवन संचालन में कार्यरत कर्मचारियों के लिए क्षेत्र "बी" पर** लागू ..... आदि (कुशल श्रमिक / अर्ध-कुशल श्रमिक)।
	iv	फाइनेंशियल बिड में कॉन्ट्रैक्टर का दिया गया कोटेशन पक्का और फाइनल होगा और बैंक कॉन्ट्रैक्ट के दौरान रेट्स में बदलाव के लिए कॉन्ट्रैक्टर के क्लेम पर विचार नहीं करेगा, सिवाय तब जब मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत भारत सरकार द्वारा घोषित मिनिमम वेजेज के सिर्फ दो हिस्सों यानी बेसिक रेट्स और वेरिएबल डियरनेस अलाउंस (VDA) में बदलाव हो। मंथली कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट में इस तरह की बढ़ोतरी, मंथली ड्यूटी के हिसाब से, सिर्फ बेसिक रेट्स और वेरिएबल डियरनेस अलाउंस (VDA) में बढ़ोतरी तक ही सीमित होगी। कोई भी दूसरा हिस्सा जो वेजेज या अलाउंस का हिस्सा है और जो कानूनी है, जैसे EPF, ESI, बोनस वगैरह, पूरे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए तब तक एक जैसा रहेगा जब तक भारत सरकार मौजूदा नियमों और रेगुलेशन में बदलाव नहीं करती। इस मामले में बैंक का फैसला आखिरी होगा।

	v	अगर कॉन्ट्रैक्टर, बताए गए सही समय के अंदर काम के दायरे के हिसाब से प्लंबिंग/सैनिटरी इंस्टॉलेशन से जुड़े ज़रूरी सुधार करने के लिए बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो बैंक अपनी मर्ज़ी से बैंक गारंटी रद्द कर देगा और कॉन्ट्रैक्टर को बिना कोई कारण बताए और कोई और रेफरेंस दिए कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगा। इस बारे में बैंक का फ़ैसला आखिरी होगा और कॉन्ट्रैक्टर को मानना होगा और कॉन्ट्रैक्टर का इस बारे में कोई भी दावा नहीं होगा, चाहे वह कुछ भी हो।
1.22	**बैंक का किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार**	
	ऊपर बताई गई किसी भी बात के बावजूद, आरबीआई के पास कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले किसी भी समय किसी भी बिड को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है, जिससे प्रभावित बिडर या बिडर्स पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं आएगी। एम्प्लॉयर किसी भी या सभी बिड्स को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं बताएगा। बैंक के पास कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले किसी भी स्टेज पर, नीचे दी गई वजहों से सिलेक्शन प्रोसेस को कैंसल / रद्द करने का अधिकार है:	
	(i)	यदि कोई बोली प्राप्त नहीं होती है
	(ii)	किसी भी घटना के कारण चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाना संभव नहीं है
	(iii)	बिडर्स की तरफ से संभावित मिलीभगत/सांठगांठ/शरारत का सबूत, जिससे कॉम्पिटिशन और सिलेक्शन प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी पर असर पड़ रहा हो,
	(iv)	कोई और कारण, जिसके कारण बैंक की राय में चयन प्रक्रिया को रद्द करना ज़रूरी हो
	बैंक सबसे कम कीमत वाले या किसी भी टेंडर को स्वीकार करने या न स्वीकार करने का कोई कारण बताने के लिए मजबूर नहीं है। जिस टेंडरर का टेंडर स्वीकार नहीं किया जाता है, वह टेंडर जमा करने के दौरान या उससे जुड़े किसी भी खर्च, चार्ज, नुकसान और खर्च का दावा करने का हकदार नहीं होगा, भले ही बैंक टेंडर को बदलने/वापस लेने का फैसला कर ले।	
1.23	**बीमा**	
	कॉन्ट्रैक्टर, लोगों, जानवरों या चीज़ों को लगी किसी भी चोट या नुकसान के लिए, और प्रॉपर्टी को हुए किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार होगा जो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ़ से किसी भी गलती से हो सकता है। इसलिए, कॉन्ट्रैक्टर को काम शुरू करने से पहले, **<u>एम्प्लॉयर यानी भारतीय रिज़र्व बैंक और ठेकेदार के जॉइंट नाम से नीचे दी गई इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होंगी, जिसमें पॉलिसी में ठेकेदार का नाम सबसे पहले लिखा होगा।</u>** a) पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्टर की पूरी रिस्क पॉलिसी अवधि b) साइट पर तैनात सभी वर्कमैन के लिए वर्कमैन कम्पनसेशन पॉलिसी c) थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी, नीचे दी गई जानकारी के अनुसार: (i) घायल व्यक्तियों के लिए – प्रति दुर्घटना प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपये (ii) संपत्ति के नुकसान के लिए – संपत्ति के नुकसान के संबंध में ₹5 लाख किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए अधिकतम सीमा ₹10 लाख होगी । **टिप्पणी:** • तैनात श्रमिकों (अत्यधिक कुशल/कुशल/अर्धकुशल/अकुशल) की बीमा पॉलिसी की प्रतियां कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी होंगी।	

	• ये पॉलिसी पूरे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए वैलिड होंगी। अगर सक्सेसफुल बिडर ये पॉलिसी नहीं देता है, तो बैंक के पास ऊपर बताई गई इंश्योरेंस पॉलिसी लेने और सक्सेसफुल बिडर के बिल से उसका खर्च वसूलने का अधिकार है। • कॉन्ट्रैक्टर किसी भी ऐसी लायबिलिटी के लिए ज़िम्मेदार होगा जो ऊपर बताई गई इंश्योरेंस पॉलिसियों में कवर नहीं होती है, और किसी भी व्यक्ति, जानवर या इस कॉन्ट्रैक्ट को ठीक से पूरा न करने पर हुए सभी दूसरे नुकसानों के लिए भी, चाहे किसी भी वजह से नुकसान हुआ हो। • ठेकेदार, कार्य से संबंधित किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली सभी लागतों, शुल्कों या खर्चों के खिलाफ और साथ ही उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान या मुआवजे के संबंध में नियोक्ता को क्षतिपूर्ति भी देगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा।	
1.24	**मिनिमम वेज एक्ट/रूल्स और कॉन्ट्रैक्ट लेबर (R & A) एक्ट/रूल्स और दूसरे कानून/नियम/नोटिफिकेशन की ज़रूरतों का पालन, जैसा भी लागू हो**		
	(i)	कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन एंड एबोलिशन) एक्ट, 1970 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अलग-अलग नियमों के तहत बताई गई सभी ज़रूरतों को मानना और पूरा करना होगा। कॉन्ट्रैक्टर को बैंक को यह बताना होगा कि एक दिन में कितने लेबर काम पर रखे जा सकते हैं। बाद में अगर संख्या बढ़ती है, तो बिना देर किए बैंक को बताना होगा। <u>अगर काम के लिए बीस या उससे ज़्यादा लेबर काम पर रखे गए हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर को रीजनल लेबर कमिश्नर से लाइसेंस लेना होगा</u> । कॉन्ट्रैक्टर को यह पक्का करना होगा कि उसके द्वारा काम पर रखे गए सभी लेबर/वर्कमैन स्टाफ को मिनिमम वेज का पेमेंट हो और काम के लिए काम पर रखे गए लेबर का रिकॉर्ड रखना होगा। उसे अपने द्वारा काम पर रखे गए वर्कर्स को CLRA एक्ट के तहत बताई गई सभी सुविधाएं देनी होंगी और उन्हें मिनिमम वेज एक्ट के तहत बताई गई मिनिमम वेज से कम नहीं देना होगा। सफल बोली लगाने वाले को, तय फॉर्मेट के अनुसार, 100 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक सर्टिफिकेट बैंक को एग्रीमेंट के साथ जमा करना होगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि उसके यहां काम करने वाले वर्कर्स को मिनिमम वेज एक्ट के तहत तय मिनिमम वेज दिया गया है, और साथ ही, वह बैंक को उन सभी एक्शन से बचाएगा जो कानूनी अथॉरिटीज़ उसके खिलाफ ऐसी वेज न देने और ज़रूरी सुविधाएं न देने पर शुरू कर सकती हैं।
	(ii)	कॉन्ट्रैक्टर की ज़िम्मेदारी होगी कि जब भी ज़रूरत हो, वह कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन एंड एबोलिशन) एक्ट, 1970 / कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन एंड एबोलिशन) सेंट्रल रूल्स, 1971 और दूसरे संबंधित कानूनों के तहत खुद को रजिस्टर करवाए। कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेबर (R & A) एक्ट, 1970 और कॉन्ट्रैक्ट लेबर (R & A) सेंट्रल रूल्स, 1971 के सभी संबंधित नियमों का पालन करेगा और यह पक्का करेगा कि लेबर कमिश्नर (सेंट्रल) के ऑफिस द्वारा बताए गए सभी रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएं।
	(iii)	ठेकेदार अपने काम करने वालों को मिनिमम वेज एक्ट, 1948 और मिनिमम वेज (सेंट्रल) रूल्स 1950 के नियमों और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार पेमेंट करने के लिए ज़िम्मेदार होगा। कॉन्ट्रैक्टर मिनिमम वेज एक्ट / रूल्स / भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार मिनिमम वेज के बारे में ज़रूरी रिकॉर्ड रखेगा। कॉन्ट्रैक्टर एक रजिस्टर रखेगा जिसमें उसके काम करने वालों को महीने के हिसाब से और काम के हिसाब से दी गई

		सैलरी के साथ-साथ हर कर्मचारी के साइन होंगे जो उन्हें किए गए महीने के पेमेंट को स्वीकार करेंगे।
	(iv)	नए कानूनों के प्रावधान (मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य शर्तें संहिता, 2020) जहाँ भी आवश्यक होगा, यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।
1.25	**अप्रत्याशित घटना:** अगर कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में देरी या कोई और नाकामी किसी फ़ोर्स मेज्योर की वजह से होती है, तो बोली लगाने वाला/सफल बोली लगाने वाला अपनी ईएमडी /सिक्योरिटी डिपॉज़िट (परफ़ॉर्मेंस बैंक गारंटी - PBG) ज़ब्त करने या नुकसान की भरपाई या डिफ़ॉल्ट के लिए टर्मिनेशन के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। इस क्लॉज़ के मकसद के लिए, "फ़ोर्स मेज्योर" का मतलब है ऐसी घटना जो बोली लगाने वाले/सफल बोली लगाने वाले के कंट्रोल से बाहर हो और जिसमें बोली लगाने वाले/सफल बोली लगाने वाले की गलती या लापरवाही शामिल न हो और जिसका पहले से अंदाज़ा न लगाया जा सके। ऐसी घटनाओं में युद्ध या क्रांति, आग, बाढ़, महामारी, क्वारंटाइन पाबंदियां, माल ढुलाई पर रोक वगैरह शामिल हो सकते हैं। बैंक यह तय करेगा कि बोली लगाने वाले/सफल बोली लगाने वाले की तरफ़ से देरी या नाकामी उसके कंट्रोल से बाहर की किसी घटना की वजह से हुई थी या नहीं। इस बारे में बैंक का फ़ैसला आख़िरी होना चाहिए और बोली लगाने वाले/सफल बोली लगाने वाले पर लागू होना चाहिए और किसी भी कार्रवाई में किसी भी कोर्ट/फ़ोरम के सामने इस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।	
1.26	**कॉन्ट्रैक्ट के रिन्यूअल पर लागू रेट**	
	सेवा अनुबंध को संतोषजनक सेवा प्रदान करने और आपसी सहमति के अधीन दो (2) वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए वार्षिक रूप से नवीनीकृत किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते समय, नए कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट नीचे दिए गए तरीके से आएगा: a) मद संख्या 1 (ए) के लिए, बैंक मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा निर्धारित मौजूदा न्यूनतम मजदूरी (नवीनीकरण के समय प्रचलित) देगा । b) आइटम नंबर 1 (B) के लिए, नए कॉन्ट्रैक्ट की रकम इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से कॉस्ट एस्केलेशन फॉर्मूले के आधार पर तय की जाएगी। हालांकि, EPF, ESI, EDLI और बोनस जैसी कानूनी देनदारियों से जुड़ी रकम को तब तक बढ़ाने पर विचार नहीं किया जाएगा, जब तक भारत सरकार मौजूदा नियमों और रेगुलेशन में बदलाव नहीं करती। c) आइटम 2 और 3 के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के रिन्यूअल पर रेट्स में बदलाव कॉस्ट एस्केलेशन फ़ॉर्मूले के आधार पर किया जाएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार लागत वृद्धि के सूत्र रिन्यूअल फ़ॉर्मूला: NCA=CCA x (CPIC/CPIP) कहाँ: NCA: नई कॉन्ट्रैक्ट राशि CCA: मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट	

	CPIC- इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, रिन्यूअल के लिए साल/पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने की तारीख से 6 महीने पहले। CPIP- इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, साल/चालू समय के कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने की तारीख से 6 महीने पहले।

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने टेंडर देने वालों की गाइडेंस के लिए ऊपर दिए गए इंस्ट्रक्शन पढ़ और समझ लिए हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं।

टेंडर देने वाले के हस्ताक्षर और मोहर

खंड III
अनुबंध की सामान्य शर्तें

इसके पहले बताई गई शर्तें

1. इन शर्तों, स्पेसिफिकेशन, मात्राओं के शेड्यूल और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को बनाते समय, नीचे दिए गए शब्दों का वही मतलब होगा जो उन्हें यहां दिया गया है, सिवाय इसके कि जहां विषय या संदर्भ के हिसाब से कुछ और ज़रूरी हो।

क) "नियोक्ता"	इसका मतलब होगा जनरल मैनेजर, ऑफिसर-इन-चार्ज, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची और इसमें उनके असाइन्ड और सक्सेसर शामिल होंगे।
ख) "ठेकेदार" (कंपनी के मामले में) c) "बैंक इंजीनियर"	"कॉन्ट्रैक्टर का मतलब _____ से होगा, जो _____ ___ के तहत शामिल एक कंपनी है और जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस _____ में है और इसमें उसके उत्तराधिकारी और असाइनी शामिल होंगे। शैल का मतलब है वह व्यक्ति जिसे एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रैक्ट के मकसद से बैंक के इंजीनियर के तौर पर काम करने के लिए अपॉइंट किया है और शर्तों में उसका नाम ऐसा ही है। [AM (Tech)/ मैनेजर (Tech)/ AGM (Tech)]।
d) "साइट"	इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट के काम की साइट से है, जिसमें कोई भी भवन और उस पर बनाया गया सामान और कोई भी दूसरी ज़मीन (इसमें शामिल है) जो एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रैक्टर के इस्तेमाल के लिए दी है।
ई) "यह अनुबंध" च)" विनिर्देश"	इसका मतलब होगा एग्रीमेंट का आर्टिकल, खास शर्तें, शर्तें, मात्रा और स्पेसिफिकेशन्स का शेड्यूल, इसके साथ जुड़े और सही तरह से साइन किए हुए डिज़ाइन ड्रॉइंग। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कामों की स्पेसिफिकेशन और उसमें कोई भी बदलाव या कुछ जोड़ना जो कॉन्ट्रैक्टर ने किया हो या सबमिट किया हो और इंजीनियर ने मंज़ूरी दी हो।
छ)"लिखित सूचना"	इसका मतलब है लिखा हुआ, टाइप किया हुआ या प्रिंट किया हुआ या "लिखा हुआ नोटिस" जो (जब तक कि खुद डिलीवर न किया गया हो, वरना यह साबित हो गया हो कि वह मिल गया है) रजिस्टर्ड पोस्ट से पता पाने वाले के आखिरी जाने-पहचाने प्राइवेट या बिज़नेस पते या रजिस्टर्ड ऑफिस पर भेजा गया हो और उसे तब मिला हुआ माना जाएगा जब पोस्ट के आम तरीके से उसे डिलीवर किया जाता। इसका मतलब है टेंडर का हिस्सा बनने वाली मात्राओं की कीमत

h) "मात्राओं की अनुसूची"	और पूरा शेड्यूल
i) "निविदा" j) "स्वीकृति पत्र" k) "दिवालियापन अधिनियम"	इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्टर का एम्प्लॉयर को कॉन्ट्रैक्ट के नियमों के अनुसार काम पूरा करने और उसमें किसी भी कमी को ठीक करने के लिए कीमत का ऑफ़र, जैसा कि एक्सेप्टेंस लेटर में स्वीकार किया गया है। इसका मतलब है टेंडर को एम्प्लॉयर द्वारा फॉर्मल एक्सेप्टेंस देना। इसका मतलब प्रेसीडेंसी टाउन इन्सॉल्वेंसी एक्ट, या प्रोविंशियल इन्सॉल्वेंसी एक्ट या ऐसे ओरिजिनल एक्ट में बदलाव करने वाले किसी एक्ट के तहत बताए गए किसी भी इन्सॉल्वेंसी एक्ट से होगा।
एल) "शुद्ध मूल्य"	अगर कॉन्ट्रैक्ट की रकम तय करने में कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर में मौजूद चीज़ों के कुल योग में कोई रकम जोड़ी या घटाई है, चाहे वह परसेंटेज के तौर पर हो या किसी और तरह से, तो उनके टेंडर में किसी भी चीज़ की नेट कीमत, टेंडर में उस चीज़ की कीमत के तौर पर दिखाई देने वाले असली आंकड़ों में उसी तरह का परसेंटेज या उसी हिसाब से रकम जोड़कर या घटाकर तय की गई रकम होगी। बशर्ते कि कॉन्ट्रैक्टर द्वारा इस तरह जोड़ी या घटाई गई रकम का परसेंटेज या हिस्सा तय करते समय, किसी भी प्राइम कॉस्ट आइटम की कुल रकम और प्रोविजनल रकम को टेंडर की कुल रकम में से घटाया जाएगा। "नेट रेट्स" या "नेट प्राइसेस" शब्द का इस्तेमाल कॉन्ट्रैक्ट या अकाउंट के बारे में करने पर, इसका मतलब इस तरह तय की गई रेट्स या कीमतें ही माना जाएगा।
m) "काम"	इसका अभिप्राय '**भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची के मुख्य कार्यालय भवन और आवासीय कॉलोनियों में नलसाजी और स्वच्छता कार्यों/स्थापनाओं के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध' से होगा**, जैसा कि यहां प्रदान किया गया है।

नोट: जिन शब्दों में व्यक्ति शामिल हैं, उनमें फर्म और कॉर्पोरेशन शामिल हैं। जिन शब्दों में सिर्फ़ एकवचन शामिल है, उनमें बहुवचन भी शामिल है और जहाँ संदर्भ की ज़रूरत हो, वहाँ बहुवचन भी शामिल है।

2. **<u>कॉन्ट्रैक्ट का दायरा</u>** : कॉन्ट्रैक्टर इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से और बैंक के इंजीनियर के निर्देशों और उनकी संतुष्टि के हिसाब से हर तरह से काम करेगा और पूरा करेगा। बैंक का इंजीनियर अपनी मर्ज़ी से और समय-समय पर आगे की ड्राइंग और/या लिखित निर्देश, डिटेल्स, निर्देश और एक्सप्लेनेशन जारी कर सकता है, जिन्हें आगे से एक साथ "बैंक के इंजीनियर के निर्देश" कहा जाएगा:

a) किसी काम के डिज़ाइन, क्वालिटी या काम में बदलाव या बदलाव या किसी काम को जोड़ना, हटाना या बदलना।
b) ड्राइंग में या क्वांटिटी के शेड्यूल और/या ड्राइंग और/या स्पेसिफिकेशन्स के बीच कोई भी अंतर।
c) कॉन्ट्रैक्टर द्वारा साइट पर लाए गए किसी भी सामान को साइट से हटाना और उसकी जगह कोई दूसरा सामान रखना।
d) कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किए गए किसी भी काम को हटाना और/या दोबारा करना।
e) वहां काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को काम से निकालना।
f) किसी भी छिपे हुए काम के इंस्पेक्शन के लिए रास्ता खुलना।
g) किसी भी कमी को ठीक करना और उसे ठीक करना।

कॉन्ट्रैक्टर को बैंक इंजीनियर के निर्देशों में शामिल किसी भी काम को तुरंत मानना होगा और उसे ठीक से पूरा करना होगा, बशर्ते कि बैंक इंजीनियर द्वारा कॉन्ट्रैक्टर या उसके प्रतिनिधि को काम के बारे में दिए गए बोलकर दिए गए निर्देश, डायरेक्शन और एक्सप्लेनेशन, अगर उनमें कोई बदलाव होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर को सात दिनों के अंदर लिखकर कन्फर्म करना होगा, इन्हें कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में एम्प्लॉयर के निर्देश माना जाएगा।

3. **<u>कॉन्ट्रैक्टर को अपने खर्च पर सभी ज़रूरी चीज़ें देनी होंगी:</u>** कॉन्ट्रैक्टर को ड्राइंग के मकसद और मतलब के हिसाब से काम को ठीक से करने के लिए ज़रूरी सभी चीज़ें अपने खर्च पर देनी होंगी। मात्राओं का शेड्यूल और स्पेसिफिकेशन, साथ में यह भी कि उन्हें उसमें खास तौर पर दिखाया या बताया गया है या नहीं, बशर्ते कि उससे इसका सही अंदाज़ा लगाया जा सके और अगर कॉन्ट्रैक्टर को ड्राइंग में या ड्राइंग, मात्राओं के शेड्यूल और स्पेसिफिकेशन के बीच कोई फ़र्क मिलता है, तो वह तुरंत और लिखकर बैंक के इंजीनियर को बताएगा जो तय करेगा कि किसका पालन किया जाए।

4. **<u>अथॉरिटी, नोटिस और पेटेंट</u>** : कॉन्ट्रैक्टर को काम से जुड़े लेजिस्लेचर के किसी भी एक्ट के प्रोविज़न और किसी भी अथॉरिटी, और किसी भी पानी, बिजली सप्लाई और दूसरी कंपनियों और/या अथॉरिटी के रेगुलेशन और बाय-लॉज़ के हिसाब से काम करना होगा, जिनके सिस्टम से स्ट्रक्चर को जोड़ने का प्रपोज़ल है, और ड्रॉइंग (अगर कोई हो) या स्पेसिफिकेशन्स में कोई भी बदलाव करने से पहले, जो ऐसा करने की वजह से ज़रूरी हो, बैंक के इंजीनियर को लिखित नोटिस देगा, जिसमें किए जाने वाले बदलाव और उसे करने की वजह बताई जाएगी और उस पर इंस्ट्रक्शन के लिए अप्लाई करेगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर को दस दिनों के अंदर ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं मिलते हैं, तो वह सवाल में दिए गए प्रोविज़न, रेगुलेशन या बाय-लॉज़ के हिसाब से काम करेगा, और इस तरह ज़रूरी किसी भी बदलाव से क्लॉज़ 18 के तहत निपटा जाएगा।

कॉन्ट्रैक्टर को एम्प्लॉयर को उन सभी नोटिस की जानकारी देनी होगी जो किसी भी अथॉरिटी को दिए जाने वाले एक्ट, रेगुलेशन या बाय-लॉ के तहत ज़रूरी हैं और उस अथॉरिटी या किसी पब्लिक ऑफिस को काम के संबंध में लगने वाली सभी फीस देनी होगी और रसीदें एम्प्लॉयर के पास जमा करनी होंगी।

5. **<u>मटेरियल और कारीगरी बताई गई जानकारी के मुताबिक होनी चाहिए</u>** : सभी मटेरियल और कारीगरी,

जहाँ तक मिल सके, क्वांटिटी के शेड्यूल और/या स्पेसिफिकेशन्स में बताए गए अपने-अपने टाइप की होनी चाहिए और बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए, और कॉन्ट्रैक्टर बैंक के इंजीनियर के कहने पर उसे सभी इनवॉइस, अकाउंट, रसीदें और दूसरे वाउचर देगा ताकि यह साबित हो सके कि मटेरियल बताए गए तरीके के मुताबिक हैं। कॉन्ट्रैक्टर अपने खर्च पर काम में इस्तेमाल करने से पहले, किसी भी मटेरियल का टेस्ट, IS के नियमों के हिसाब से जानी-मानी लैब में करवाएगा और/या करवाएगा।

6. **काम करने वालों को निकालना** : कॉन्ट्रैक्टर, बैंक के इंजीनियर के कहने पर, काम पर रखे गए ऐसे किसी भी व्यक्ति को तुरंत काम से निकाल देगा जो बैंक के इंजीनियर की राय में नाकाबिल हो या जिसने खुद गलत काम किया हो और ऐसे लोगों को कंसल्टेंट की इजाज़त के बिना काम पर दोबारा नहीं रखा जाएगा।

7. **काम तक पहुँच** : एम्प्लॉयर, बैंक के इंजीनियर और उनके प्रतिनिधियों को हर सही समय पर काम और/या वर्कशॉप, फैक्ट्री या दूसरी जगहों पर आसानी से जाने की इजाज़त होगी जहाँ सामान रखा है या जहाँ से उसे लिया जा रहा है और कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर, बैंक के इंजीनियर और उनके प्रतिनिधियों को सामान और कारीगरी के इंस्पेक्शन, जाँच और टेस्ट के लिए हर ज़रूरी सुविधा देगा।

8. **असिस्टेंट मैनेजर (टेक)/ मैनेजर (टेक)/ AGM (टेक) :** "असिस्टेंट मैनेजर (टेक)/ मैनेजर (टेक)/ AGM (टेक)" शब्द का मतलब है वह व्यक्ति जिसे एम्प्लॉयर ने कामों का इंस्पेक्शन करने के लिए अपॉइंट किया है और पेमेंट किया है। कॉन्ट्रैक्टर असिस्टेंट मैनेजर (टेक)/ मैनेजर (टेक)/ AGM (टेक) को कामों और मटीरियल का इंस्पेक्शन करने और समय और मटीरियल को चेक करने और मापने के लिए हर सुविधा और मदद देगा।

असिस्टेंट मैनेजर (टेक)/मैनेजर (टेक)/AGM (टेक) के पास कॉन्ट्रैक्टर या उसके प्रतिनिधि को किसी काम या मटीरियल के अप्रूवल न मिलने पर नोटिस देने का अधिकार होगा और ऐसे काम को रोक दिया जाएगा, या ऐसे मटीरियल का इस्तेमाल बंद कर दिया जाएगा। काम की जांच समय-समय पर असिस्टेंट मैनेजर (टेक)/मैनेजर (टेक)/AGM (टेक) करेंगे, लेकिन ऐसी जांच किसी भी तरह से कॉन्ट्रैक्टर को किसी भी कमी को ठीक करने की ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगी, जो काम के किसी भी स्टेज पर या काम पूरा होने के बाद पाई जा सकती है। इस क्लॉज़ की सीमाओं के तहत कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ़ बैंक के इंजीनियर से ही निर्देश लेगा।

9. **असाइनमेंट और सबलेटिंग** : कॉन्ट्रैक्ट में शामिल पूरा काम कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किया जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉयर की पहले से लिखी हुई मंज़ूरी के बिना कॉन्ट्रैक्ट या उसके किसी हिस्से या उसमें किसी हिस्से को सीधे या परोक्ष रूप से ट्रांसफर, असाइन या अंडरलेट नहीं करेगा और ऐसा न करने पर कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट की पूरी और संपूर्ण ज़िम्मेदारी से या काम के दौरान काम की एक्टिव निगरानी से आज़ाद हो जाएगा।

10. **बदलाव, जोड़ना, हटाना वगैरह:** कोई भी बदलाव, हटाना या फेरबदल इस कॉन्ट्रैक्ट को खराब नहीं करेगा, सिवाय इसके कि एम्प्लॉयर (बैंक के इंजीनियर के ज़रिए) काम के दौरान किसी भी समय काम में कोई बदलाव करने, जोड़ने या हटाने या उसमें इस्तेमाल होने वाले मटीरियल की क्वालिटी में कोई बदलाव करने के लिए निर्देश/नोटिस दे और इसकी लिखित सूचना कॉन्ट्रैक्टर को अपने हाथ से दे। कॉन्ट्रैक्टर ऐसे नोटिस के अनुसार, जैसा भी मामला हो, बदलाव करेगा, जोड़ेगा या हटाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा या काम में कोई बदलाव या जोड़ना या हटाना या कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी नियम से कोई बदलाव नहीं करेगा। एम्प्लॉयर की पहले से लिखकर मंज़ूरी लिए बिना शर्तों, स्पेसिफिकेशन्स या कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉइंग्स में कोई बदलाव, बढ़ोतरी या कमी नहीं की जाएगी और ऐसे एक्स्ट्रा बदलावों, बढ़ोतरी या कमी की कीमत, सभी मामलों में, एम्प्लॉयर द्वारा क्लॉज़ 18 के नियमों के अनुसार तय की जाएगी, और उसे कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट में जोड़ा जाएगा, या उसमें से घटाया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

11. **मात्राओं की अनुसूची की पर्याप्तता** : ठेकेदार को निविदा देने से पहले कार्यों के लिए अपनी निविदा की शुद्धता और पर्याप्तता और मात्राओं की अनुसूची और/या दरों और कीमतों की अनुसूची में बताई गई कीमतों के बारे में खुद को संतुष्ट माना जाएगा, जिन दरों और कीमतों में अनुबंध के तहत उसकी सभी बाध्यताओं और कार्यों के उचित समापन के लिए आवश्यक सभी मामलों और चीजों को शामिल किया जाएगा।

12. **कॉन्ट्रैक्ट के समय में कमियां** : कॉन्ट्रैक्ट के दौरान कोई भी कमी या गलती, जो बैंक के इंजीनियर की राय में कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं बने मटीरियल या काम की वजह से हो, उसे बैंक के इंजीनियर के लिखित निर्देशों पर, और उसमें बताए गए सही समय के अंदर, कॉन्ट्रैक्टर अपने खर्च पर ठीक करेगा और ठीक करेगा। अगर कोई गलती नहीं होती है, तो बैंक ऐसे नुकसान या गलतियों को ठीक करने और ठीक करने के लिए दूसरे लोगों को काम पर रख सकता है और उन्हें पैसे दे सकता है, और इससे होने वाले या उससे जुड़े सभी नुकसान, हानि और खर्च की भरपाई बैंक, बैंक के इंजीनियर के लिखित सर्टिफिकेट पर, कॉन्ट्रैक्टर को मिलने वाले किसी भी पैसे में से करेगा या बैंक कॉन्ट्रैक्टर को मिलने वाले पैसे में से वसूल करेगा। या बैंक कॉन्ट्रैक्टर द्वारा ऐसे बदलाव और ठीक करने के बदले में, कॉन्ट्रैक्टर को मिलने वाले किसी भी पैसे में से ऐसे काम को ठीक करने की लागत के बराबर रकम काट सकता है और अगर रखी गई रकम काफी नहीं है, तो बाकी रकम कॉन्ट्रैक्टर से वसूल करेगा, साथ ही बैंक ने इससे जुड़े जो भी खर्च किए हों, उन्हें भी वसूल करेगा। अगर बैंक के इंजीनियर द्वारा नॉमिनेट या अप्रूव किए गए किसी सब-कॉन्ट्रैक्टर ने कोई खराब काम किया है या सामान सप्लाई किया है, तो कॉन्ट्रैक्टर को उसे ठीक करना होगा, जैसे कि वह काम या सामान कॉन्ट्रैक्टर ने किया हो या सप्लाई किया हो। बैंक के इंजीनियर द्वारा किसी भी सर्टिफिकेट पर साइन करने या कोई अकाउंट पास करने के बावजूद, कॉन्ट्रैक्टर इस क्लॉज़ के प्रोविज़न के तहत ज़िम्मेदार रहेगा।

13. **लोगों और प्रॉपर्टी को हुए नुकसान के लिए इंश्योरेंस** : कॉन्ट्रैक्टर, लोगों, जानवरों या चीज़ों को लगी किसी भी चोट या नुकसान और प्रॉपर्टी को हुए सभी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार होगा, जो कॉन्ट्रैक्टर या किसी सब-कॉन्ट्रैक्टर या किसी नॉमिनेटेड सब-कॉन्ट्रैक्टर या उनके किसी भी कर्मचारी की तरफ से किसी भी गलती से हो सकता है। इस क्लॉज़ के तहत ज़िम्मेदारी में, दूसरी बातों के अलावा, स्ट्रक्चर को हुए किसी भी नुकसान को भी कवर किया जाएगा, चाहे वह काम के ठीक पास हो या कहीं और; सड़कों, गलियों, फुटपाथों, पुलों को हुए किसी भी नुकसान के साथ-साथ इस कॉन्ट्रैक्ट का विषय बनने वाली भवन और दूसरे स्ट्रक्चर और कामों को हुए नुकसान को भी कवर किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर बारिश, हवा, पाला या मौसम की दूसरी खराबियों की वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट का विषय बनने वाली भवन और दूसरे स्ट्रक्चर और कामों को हुए किसी भी नुकसान के लिए भी ज़िम्मेदार होगा। ठेकेदार, नियोक्ता को क्षतिपूर्ति देगा तथा क्षतिपूर्ति देता रहेगा तथा पूर्वोक्त किसी भी चोट या व्यक्ति अथवा संपत्ति को हुए नुकसान से उत्पन्न होने वाले सभी तथा किसी भी हानि और व्यय के संबंध में उसे क्षतिपूर्ति नहीं देगा तथा साथ ही चोट या नुकसान के संबंध में किए गए किसी भी दावे के विरुद्ध, चाहे वह किसी कानून के अंतर्गत हो या अन्यथा तथा ऐसे दावों के परिणामस्वरूप दिए गए किसी भी पुरस्कार, मुआवजे या नुकसान के संबंध में भी उसे क्षतिपूर्ति नहीं देगा।

कॉन्ट्रैक्टर अपने खर्च पर, इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वर्चुअल कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी होने तक, एम्प्लॉयर द्वारा अप्रूव्ड इंश्योरेंस कंपनी के साथ, कॉन्ट्रैक्ट की पूरी रकम के लिए एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर के जॉइंट नाम पर एक **ऑल रिस्क** इंश्योरेंस पॉलिसी लागू करेगा और बनाए रखेगा (पॉलिसी में कॉन्ट्रैक्टर का नाम पहले रखा जाएगा) कॉन्ट्रैक्टर के लिए ऑल रिस्क पॉलिसी के तहत और काम शुरू करने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को एम्प्लॉयर के पास जमा कर देगा।

कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉयर को उन सभी दावों से भी हर्जाना देगा और हर्जाना देता रहेगा जो कोई भी व्यक्ति काम के

संबंध में या उसके नतीजे में होने वाली किसी भी चीज़ के लिए एम्प्लॉयर के खिलाफ कर सकता है। और अपने खर्च पर, कॉन्ट्रैक्ट के लगभग पूरा होने तक, एम्प्लॉयर द्वारा मंज़ूर किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ, एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर (पॉलिसी में पहले कॉन्ट्रैक्टर का नाम पहले रखा जाएगा) के जॉइंट नाम से ऐसे रिस्क के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी बनाएगा और काम शुरू होने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को जमा कर देगा। पॉलिसी के तहत कवरेज की कम से कम लिमिट किसी एक एक्सीडेंट या घटना के लिए प्रति व्यक्ति ₹2 लाख और किसी एक एक्सीडेंट या घटना के लिए प्रॉपर्टी के नुकसान के लिए ₹5 लाख होगी, जिसकी कुल लिमिट ₹10 लाख होगी। कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉयर को उन सभी दावों से भी बचाएगा जो एम्प्लॉयर पर किए जा सकते हैं, चाहे वे **वर्कमैन्स कम्पनसेशन एक्ट के तहत हों** या किसी दूसरे लागू कानून के तहत, इस कॉन्ट्रैक्ट के चलने के दौरान या कॉमन लॉ के तहत कॉन्ट्रैक्टर या सब-कॉन्ट्रैक्टर के किसी भी कर्मचारी के संबंध में हों। और कॉन्ट्रैक्ट के लगभग पूरा होने तक या एम्प्लॉयर द्वारा मंज़ूर किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ, अपने **खर्च** पर ऐसे जोखिमों के खिलाफ इंश्योरेंस पॉलिसी बनाए रखेगा और बनाए रखेगा, और इस कॉन्ट्रैक्ट के चलने के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को एम्प्लॉयर के पास जमा करेगा।

अगर कॉन्ट्रैक्टर ऊपर बताए गए तरीके से इंश्योरेंस नहीं करता है, तो एम्प्लॉयर इंश्योरेंस कर सकता है और दिए गए प्रीमियम को कॉन्ट्रैक्टर को मिलने वाले या मिलने वाले किसी भी पैसे में से काट सकता है।

कॉन्ट्रैक्टर किसी भी ऐसी लायबिलिटी के लिए ज़िम्मेदार होगा जो ऊपर बताई गई इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होती है, और किसी भी व्यक्ति, जानवर या इस कॉन्ट्रैक्ट को ठीक से पूरा न करने पर हुए सभी दूसरे नुकसानों के लिए भी, चाहे नुकसान किसी भी वजह से हुआ हो।

ठेकेदार, कार्य से संबंधित किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली सभी लागतों, शुल्कों या खर्चों के खिलाफ और उससे उत्पन्न होने वाली किसी भी क्षति या मुआवजे के संबंध में भी नियोक्ता को क्षतिपूर्ति देगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा।

ऐसी गलती के मामले में कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ एम्प्लॉयर के दूसरे अधिकारों पर कोई असर डाले बिना, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर को मिलने वाली किसी भी रकम में से एम्प्लॉयर द्वारा दिए गए किसी भी नुकसान, मुआवज़े की लागत, चार्ज और दूसरे खर्चों की रकम काटने का हकदार होगा, जो इस क्लॉज़ के तहत कॉन्ट्रैक्टर को देने हैं।

इस क्लॉज़ के तहत ली गई पॉलिसी के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी से सेटलमेंट होने पर, कॉन्ट्रैक्टर पूरी सावधानी से नष्ट या खराब हुए काम को फिर से बनाने या रिपेयर करने के लिए आगे बढ़ेगा। ऐसे में, ऐसे नुकसान के लिए इंश्योरेंस कंपनी से मिले सभी पैसे कॉन्ट्रैक्टर को दिए जाएंगे और कॉन्ट्रैक्टर नष्ट या खराब हुए सामान को फिर से बनाने या रिपेयर करने में हुए खर्च के लिए कोई और पेमेंट पाने का हकदार नहीं होगा।
नुकसान के बाद दोबारा बनाने या ठीक करने के मामले में, कॉन्ट्रैक्टर को काम पूरा करने के लिए बैंक के इंजीनियर की सलाह के अनुसार समय बढ़ाने का हक होगा, लेकिन, यहां बताए गए किसी भी क्लेम के सेटलमेंट में इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आखिर में दी गई रकम में किसी भी कमी या कमी के लिए एम्प्लॉयर से रीइंबर्समेंट का हकदार नहीं होगा।
इस क्लॉज़ के तहत अपनी ज़िम्मेदारी पर कोई असर डाले बिना, कॉन्ट्रैक्टर सभी नॉमिनेटेड सब-कॉन्ट्रैक्टर से काम के अपने-अपने हिस्से के लिए, इस क्लॉज़ के नियमों के अनुसार एक जैसी इंश्योरेंस पॉलिसी भी लागू करवाएगा और एम्प्लॉयर को ऐसी पॉलिसी बनाएगा या बनवाएगा**। ठेकेदार किसी नॉमिनेटेड सब-ठेकेदार को साइट पर काम शुरू करने की इजाज़त तब तक नहीं देगा जब तक कि बताई गई इंश्योरेंस पॉलिसी जमा न कर दी जाए। अगर** सब -कॉन्ट्रैक्टर साइट पर काम शुरू करने से पहले ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले पाता है, तो

कॉन्ट्रैक्टर उस सब-कॉन्ट्रैक्टर से जुड़े किसी भी क्लेम या नुकसान के लिए ज़िम्मेदार होगा।
ठेकेदार अपने खर्च पर, एक मंज़ूर **कार्यालय** से, एम्प्लॉयर और खुद के जॉइंट नाम पर नीचे दी गई इंश्योरेंस पॉलिसी को लागू करने और मेंटेन करने का इंतज़ाम करेगा (जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट लगभग पूरा न हो जाए), जिसमें एम्प्लॉयर पहले (प्रिंसिपल) होगा और इस कॉन्ट्रैक्ट के चलने के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को एम्प्लॉयर के पास जमा करेगा।
a) वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी। b) CAR पॉलिसी c) थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी

14. **कॉन्ट्रैक्टर का एम्प्लॉयर के निर्देश न मानना** : अगर एम्प्लॉयर से लिखित नोटिस मिलने के बाद, जिसमें 10 दिनों के अंदर पालन करने की ज़रूरत है, कॉन्ट्रैक्टर आगे की ड्रॉइंग और/या बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो एम्प्लॉयर ऐसे किसी भी काम को करने के लिए दूसरे लोगों को काम पर रख सकता है और उन्हें पैसे दे सकता है, जो इसे पूरा करने के लिए ज़रूरी हो, और इससे जुड़े सभी खर्च एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर से कर्ज़ के तौर पर वसूल कर सकता है या कॉन्ट्रैक्टर को मिलने वाले किसी भी पैसे में से काट सकता है।

15. **एम्प्लॉयर द्वारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना** : अगर कॉन्ट्रैक्टर, जो एक व्यक्ति या फर्म है, कोई "दिवालियापन का काम" करता है या उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है या वह एक इनकॉरपोरेटेड कंपनी है, तो उसके खिलाफ कंपलसरी वाइंडिंग अप का ऑर्डर दिया जाएगा या वह अपनी मर्ज़ी से या कोर्ट की देखरेख में वाइंडिंग अप के लिए एक असरदार प्रस्ताव पास करेगा और ऐसे दिवालियापन या वाइंडिंग अप के कामों में, जैसा भी मामला हो, ऑफिशियल असाइनी या लिक्विडेटर, उसे नोटिस देने के सात दिनों के अंदर यह नहीं कर पाएगा कि वह एम्प्लॉयर को यह दिखाने के लिए कहे कि वह कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में सक्षम है और अगर एम्प्लॉयर ऐसा चाहता है, तो इसके लिए सिक्योरिटी दे।

या अगर कॉन्ट्रैक्टर, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, पहली कंपनी हो या कंपनी, उसके खिलाफ कोर्ट से प्रॉपर्टी अटैच करने का एग्जीक्यूशन या कोई और प्रोसेस जारी किया जाएगा।

या इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी भी पेमेंट को कॉन्ट्रैक्टर के किसी भी क्रेडिटर द्वारा या उसकी ओर से अटैच होने दिया जाएगा।

या एम्प्लॉयर की लिखित सहमति के बिना इस कॉन्ट्रैक्ट को सबलेट पर दे देगा, जो पहले ली और ली गई थी।

या इस कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्टर को इसके तहत मिलने वाले किसी भी पेमेंट पर चार्ज या बोझ नहीं डालेगा।

या अगर बैंक का इंजीनियर लिखकर सर्टिफ़ाई करे कि कॉन्ट्रैक्टर,

(i) कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया है, या

(ii) काम शुरू करने में नाकाम रहा है, या इन हालात में बिना किसी कानूनी वजह के बैंक से नोटिस मिलने के बाद चौदह दिनों के लिए काम रोक दिया है, या

(iii) काम को पूरी सावधानी से आगे बढ़ाने में नाकाम रहा है और ऐसी सही प्रोग्रेस करने में नाकाम रहा है जिससे काम तय समय में पूरा हो सके, या

(iv) बैंक से लिखित नोटिस मिलने के बाद कि उक्त सामग्री या काम को बैंक के इंजीनियर ने इन शर्तों के तहत खारिज कर दिया है, सात दिनों तक साइट से सामान हटाने या काम को गिराने और बदलने में नाकाम रहा है' या

(v) संविदा के तहत बताए गए किसी भी काम, बात या चीज़ को सात दिनों तक लगातार नज़रअंदाज़ किया गया है या लगातार नहीं किया गया है, जब तक कॉन्ट्रैक्टर को लिखकर नोटिस नहीं दिया गया होगा कि वह उनका पालन करे या उन्हें पूरा करे।

फिर और ऐसे किसी भी मामले में, एम्प्लॉयर, किसी भी पिछली छूट के बावजूद, कॉन्ट्रैक्टर को सात दिन का लिखित नोटिस देने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट तय कर सकता है, जो पूरा वैसा ही लागू रहेगा जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट तय नहीं किया गया हो, और अगर बाद में किए गए काम कॉन्ट्रैक्टर ने या उसकी ओर से किए गए हों। और इसके अलावा, एम्प्लॉयर अपने एजेंट या नौकरों के ज़रिए काम में घुसकर काम और सभी प्लांट, औजार, मचान, शेड, मशीनरी, स्टीम और दूसरे पावर के बर्तन और परिसर या आस-पास की ज़मीन या सड़कों पर पड़े सामान को अपने कब्ज़े में ले सकता है, और उसे अपनी प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल कर सकता है या काम को आगे बढ़ाने और पूरा करने के लिए अपने नौकरों और काम करने वालों के ज़रिए या काम पूरा करने के लिए किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर या दूसरे व्यक्ति या लोगों को काम पर रख सकता है, और कॉन्ट्रैक्टर किसी भी तरह से ऐसे दूसरे कॉन्ट्रैक्टर या दूसरे व्यक्ति या लोगों को काम पूरा करने और फिनिशिंग के लिए काम पर रखने या काम के लिए सामान और प्लांट का इस्तेमाल करने से रोकने या रुकावट डालने के लिए कोई काम नहीं करेगा। जब काम पूरा हो जाएगा या उसके तुरंत बाद, बैंक कॉन्ट्रैक्टर को अपना बचा हुआ सामान और प्लांट हटाने के लिए लिखकर नोटिस देगा, और अगर कॉन्ट्रैक्टर नोटिस मिलने के चौदह दिन के अंदर ऐसा नहीं करता है, तो एम्प्लॉयर उसे पब्लिक ऑक्शन में बेच सकता है, और कॉन्ट्रैक्टर को मिली कुल रकम का क्रेडिट दे सकता है। इसके बाद एम्प्लॉयर यह पता लगाएगा और लिखकर सर्टिफ़ाई करेगा कि इस तरह लिए गए प्लांट और सामान में से कितना एम्प्लॉयर के कब्ज़े में है और एम्प्लॉयर को काम पूरा करने में कितना खर्च या नुकसान हुआ है और अगर कोई रकम कॉन्ट्रैक्टर पर बकाया है और जो रकम इस तरह सर्टिफ़ाई की जाएगी, वह एम्प्लॉयर द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को या कॉन्ट्रैक्टर द्वारा एम्प्लॉयर को, जैसा भी हो, दी जाएगी, और बैंक का सर्टिफ़िकेट पार्टियों के बीच आख़िरी और पक्का होगा।

16. **<u>कॉन्ट्रैक्टर द्वारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना</u>** : अगर बैंक के इंजीनियर के सर्टिफिकेट के तहत एम्प्लॉयर द्वारा पेमेंट की जाने वाली रकम का यह पेमेंट, कॉन्ट्रैक्टर द्वारा एम्प्लॉयर को ऊपर बताई गई रकम के पेमेंट की लिखित सूचना देने के तीस दिन बाद भी बकाया और बिना पेमेंट के रहता है, या अगर एम्प्लॉयर ऐसे किसी सर्टिफिकेट को जारी करने में दखल देता है या रुकावट डालता है, या अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट को नामंज़ूर कर देता है, या अगर आर्किटेक्ट या एम्प्लॉयर के आदेश से या किसी कोर्ट के आदेश या किसी और आदेश से काम तीन महीने के लिए रोक दिया जाता है, तो और ऐसे किसी भी मामले में, कॉन्ट्रैक्टर को एम्प्लॉयर को लिखित नोटिस देकर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की आज़ादी होगी, और वह एम्प्लॉयर से किए गए सभी कामों के लिए और कॉन्ट्रैक्ट के मकसद के लिए सप्लाई किए गए, खरीदे गए या तैयार किए गए किसी भी प्लांट या मटीरियल से हुए किसी भी नुकसान के लिए पेमेंट वसूलने का हकदार होगा।

ऐसे पेमेंट की रकम तय करने में कॉन्ट्रैक्टर के ओरिजिनल टेंडर में दिए गए नेट रेट को फॉलो किया जाएगा या जहां वे लागू न हों, वहां वैल्यूएशन टेंडर की शर्तों के हिसाब से किया जाएगा।

17. **<u>बैंक द्वारा आखिरी में तय किए जाने वाले मामले:</u>** यहां दिए गए सभी या किसी भी मामले (जिन्हें यहां एक्सपेक्टेड मामले कहा गया है) के बारे में फैसला, राय, डायरेक्शन सर्टिफिकेट (पेमेंट को छोड़कर) आखिरी और पक्का होगा और पार्टियों पर लागू होगा और इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। कोई भी दूसरा फैसला, राय, डायरेक्शन, आर्बिट्रेशन के अधिकार और यहां रिव्यू के तहत होगा, ठीक वैसे ही जैसे सभी मामलों में (रेफरेंस खोलने के नियमों सहित) जैसे कि यह बैंक के इंजीनियर का फैसला हो।

18. **<u>आर्बिट्रेशन से झगड़ों का निपटारा : कॉन्ट्रैक्ट या</u>** काम करने से जुड़े किसी भी तरह के सभी झगड़ों और मतभेदों को, विवाद वाले मामले की पूरी जानकारी देते हुए, जैसे मात्रा, रेट, क्लेम की गई रकम और उसका कारण, भेजा जाएगा और एम्प्लॉयर द्वारा निपटाया जाएगा, जो अपना फैसला लिखकर बताएगा। ऐसा फैसला फाइनल सर्टिफिकेट या किसी और तरह से हो सकता है। किसी भी छूटे हुए मामले के बारे में एम्प्लॉयर का फैसला आखिरी होगा और उसमें कोई अपील नहीं होगी। लेकिन अगर एम्प्लॉयर या कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट के किसी भी तरह के मामले, सवाल या विवाद पर, सिवाय किसी छूटे हुए मामले के, या आर्किटेक्ट द्वारा किसी ऐसे सर्टिफिकेट को रोके रखने के फैसले से खुश नहीं हैं, जिसका कॉन्ट्रैक्टर दावा कर सकता है कि वह हकदार है, तो ऐसे किसी भी मामले में कोई भी पार्टी (एम्प्लॉयर या कॉन्ट्रैक्टर) ऐसे फैसले की सूचना मिलने के 28 दिनों के अंदर आर्किटेक्ट के ज़रिए दूसरी पार्टी को लिखकर सूचना दे सकता है कि उस विवाद वाले मामले पर आर्बिट्रेशन किया जाए। ऐसे लिखित नोटिस में उन मामलों की पूरी जानकारी और रकम बताई जाएगी जिन पर विवाद है या जिनके बारे में ऐसा लिखित नोटिस दिया गया है और कोई दूसरा मामला आर्बिट्रेशन के लिए नहीं भेजा जाएगा और दोनों पार्टियों की सहमति से और नियुक्त किए गए आर्बिट्रेटर का आखिरी फैसला होगा। एकमात्र आर्बिट्रेटर एम्प्लॉयर द्वारा सुझाए गए आर्बिट्रेटर के पैनल से होगा।

आर्बिट्रेटर के पास किसी भी सर्टिफिकेट, राय, फैसले, रिक्विजिशन या नोटिस को खोलने, रिव्यू करने और रिवाइज़ करने का अधिकार होगा, सिवाय उन मामलों के जिनका ज़िक्र पिछले क्लॉज़ में किया गया है। साथ ही, वह उन सभी विवादित मामलों को तय कर सकता है जिन्हें आर्बिट्रेशन के लिए सबमिट किया जाएगा और जिनके बारे में पहले बताया गया नोटिस दिया गया होगा।

आर्बिट्रेटर रेफरेंस दर्ज करने की तारीख से एक साल के अंदर (या पार्टियों की सहमति से उनके द्वारा तय किए गए समय के अंदर) अपना फैसला सुनाएगा। अगर आर्बिट्रेशन की कार्रवाई के दौरान पार्टियां आपसी सहमति से अपने झगड़े या मतभेद को सुलझा लेती हैं, समझौता कर लेती हैं या कंपाउंड कर लेती हैं, तो आर्बिट्रेशन के लिए रेफरेंस और आर्बिट्रेटर की नियुक्ति रद्द मानी जाएगी और आर्बिट्रेशन की कार्रवाई उस तारीख से वापस ले ली जाएगी या खत्म हो जाएगी, जिस तारीख को पार्टियां आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स के पास, जैसा भी मामला हो, एक जॉइंट मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट फाइल करेंगी।

यह सबमिशन इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट, 1940 या उसके किसी कानूनी बदलाव के मतलब में आर्बिट्रेशन के लिए सबमिशन माना जाएगा।

यह तय हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर किसी भी ऐसे मामले, सवाल या झगड़े के आर्बिट्रेशन में जाने की वजह से काम करने में देरी नहीं करेगा, बल्कि पूरी सावधानी से काम करेगा और जब तक आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स का फैसला नहीं आ जाता, तब तक आर्किटेक्ट के फैसले को मानेगा और आर्बिट्रेटर का कोई भी फैसला कॉन्ट्रैक्टर को काम असल में करने के बारे में आर्किटेक्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की उसकी ज़िम्मेदारियों से राहत नहीं देगा। एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर इसके द्वारा इस बात पर भी सहमत हैं कि इस क्लॉज़ के तहत आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी भी कार्रवाई के अधिकार के लिए एक ज़रूरी शर्त होगी।

19. **<u>नियोक्ता कर्मचारियों को दिए गए मुआवजे को कवर करने का हकदार है:</u>** अगर किसी भी वजह से, एम्प्लॉयर, वर्कमैन्स कम्पनसेशन एक्ट, 1923 के नियमों, या उसके किसी कानूनी बदलाव या फिर से लागू होने की वजह से, कॉन्ट्रैक्टर द्वारा काम पर रखे गए किसी वर्कर को कम्पनसेशन देने के लिए मजबूर है, तो एम्प्लॉयर को कॉन्ट्रैक्टर से दिए गए कम्पनसेशन की रकम वसूलने का हक होगा, और इससे उस एक्ट के तहत एम्प्लॉयर के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एम्प्लॉयर को सिक्योरिटी डिपॉज़िट या उसकी तरफ से दी जाने वाली किसी भी रकम में से ऐसी रकम या उसका कोई भी हिस्सा काटकर वसूलने की आज़ादी होगी। एम्प्लॉयर उस एक्ट के तहत अपने खिलाफ किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए मजबूर नहीं होगा, सिवाय कॉन्ट्रैक्टर के लिखकर रिक्वेस्ट करने और एम्प्लॉयर को उन सभी खर्चों के लिए पूरी सिक्योरिटी देने के, जिनके लिए एम्प्लॉयर ऐसे दावे का विरोध करने के नतीजे में ज़िम्मेदार हो सकता है।

20 **<u>नॉन-डिस्क्लोजर क्लॉज:</u>** कॉन्ट्रैक्टर सीधे या इनडायरेक्टली बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर/सिस्टम/इक्विपमेंट वगैरह की कोई भी जानकारी, मटीरियल और डिटेल्स, जो इस एग्रीमेंट के संबंध में अपनी कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारियों को पूरा करने के दौरान कॉन्ट्रैक्टर के पास या जानकारी में आ सकती हैं, किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताएगा और हर समय इसे पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखेगा। कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स को प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल रखेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत जिम्मेदारियों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए यह ज़रूरी हो। कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर की पहले से लिखी हुई सहमति के बिना किसी भी ट्रेड या टेक्निकल पेपर या कहीं और काम की कोई भी डिटेल्स पब्लिश नहीं करेगा, पब्लिश करने की इजाज़त नहीं देगा, या ज़ाहिर नहीं करेगा। कॉन्ट्रैक्टर किसी भी कॉन्फिडेंशियल जानकारी के डिस्क्लोजर के कारण एम्प्लॉयर को हुए किसी भी नुकसान के लिए एम्प्लॉयर को हर्जाना देगा । ऊपर बताई गई बातों का पालन न करने को कॉन्ट्रैक्टर की ओर से कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन माना जाएगा और एम्प्लॉयर नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा।

कॉन्ट्रैक्टर अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी ज़रूरी कदम उठाएगा ताकि यह पक्का हो सके कि इस एग्रीमेंट के तहत गोपनीय जानकारी न बताने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से पूरी हो।

किसी भी वजह से इस एग्रीमेंट के खत्म होने या खत्म होने के बाद भी, नॉन-डिस्क्लोजर और कॉन्फिडेंशियलिटी के संबंध में कॉन्ट्रैक्टर की ज़िम्मेदारियां बनी रहेंगी।

21. **<u>अगर ठेकेदार की मौत हो जाती है, तो एम्प्लॉयर का संविदा खत्म करने का अधिकार:</u>** इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी भी अधिकार या उपाय पर कोई असर डाले बिना, अगर कॉन्ट्रैक्टर, जो एक व्यक्ति है, की मौत हो जाती है, तो एम्प्लॉयर के पास कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का ऑप्शन होगा, और ऐसी मौत के लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

22. कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट ऑफ़ वेजेज़ एक्ट, 1936, मिनिमम वेजेज़ एक्ट, 1948, एम्प्लॉइज़ लायबिलिटी एक्ट, 1938, वर्कमैन्स कम्पनसेशन एक्ट, 1923, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट, 1961, या उनके बदलावों या किसी दूसरे संबंधित कानून और समय-समय पर उनके तहत बनाए गए नियमों का पालन करना होगा।

23. कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन एंड एबोलिशन) एक्ट, 1970 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत बताई गई सभी ज़रूरतों को मानना होगा और उन्हें पूरा करना होगा।

24. कॉन्ट्रैक्टर को यह पक्का करना चाहिए कि उसके यहां काम करने वाले सभी मज़दूरों/वर्कमैन स्टाफ़ को मिनिमम वेज का पेमेंट हो। कॉन्ट्रैक्टर को एक सर्टिफ़िकेट देना चाहिए कि, उसने दिए गए काम/काम/प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अपने यहां काम पर रखे गए सभी तरह के मज़दूरों का सारा बकाया असल में मिनिमम वेज एक्ट, 1948 के तहत तय रेट से कम नहीं चुकाया है और उसने कॉन्ट्रैक्ट मज़दूरों को ज़रूरी सुविधाएँ देने के लिए CLRA एक्ट के नियमों का पालन किया है । इसके अलावा, वह ऐसे सर्टिफ़िकेट की सच्चाई को वेरिफ़ाई और सर्टिफ़ाई करने के लिए बैंक के प्रतिनिधि की मदद ले सकता है।

25. कॉन्ट्रैक्टर को एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस प्रोविज़न एक्ट, 1952 के नियमों का पालन करना होगा।

26. कॉन्ट्रैक्टर को भवन एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स (रेगुलेशन ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ़ सर्विस) एक्ट, 1996 और भवन एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट, 1996 के नियमों का पालन करना होगा

और काबिल अथॉरिटी (लेबर डिपार्टमेंट) से बैंक का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कदम उठाने होंगे; समय पर रिटर्न फाइल करना होगा; सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के अनुसार सेस का पेमेंट करना होगा।

27. **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न**

a) कॉन्ट्रैक्टर/एजेंसी "वर्कप्लेस पर महिलाओं का सेक्सुअल हैरेसमेंट (प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल) एक्ट, 2013" के नियमों का पूरी तरह से पालन करने के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगी। बैंक के कैंपस में अपने कर्मचारी के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कोई भी शिकायत होने पर, कॉन्ट्रैक्टर/एजेंसी द्वारा बनाई गई इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी के सामने शिकायत दर्ज की जाएगी और कॉन्ट्रैक्टर/एजेंसी शिकायत के संबंध में उस एक्ट के तहत सही कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

b) कॉन्ट्रैक्टर के किसी भी पीड़ित कर्मचारी की तरफ़ से बैंक के किसी भी कर्मचारी के ख़िलाफ़ सेक्सुअल हैरेसमेंट की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा बनाई गई रीजनल कंप्लेंट कमेटी ध्यान देगी।

c) अगर घटना में कॉन्ट्रैक्टर के कर्मचारी शामिल हैं, तो किसी भी पैसे की राहत के लिए कॉन्ट्रैक्टर ज़िम्मेदार होगा, जैसे कि अगर कॉन्ट्रैक्टर के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है, तो बैंक के कर्मचारी को कोई भी पैसे की राहत।

d) कॉन्ट्रैक्टर अपने कर्मचारियों को काम की जगह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाव और उससे जुड़े मामलों के बारे में जानकारी देने के लिए ज़िम्मेदार होगा।

e) कॉन्ट्रैक्टर को बैंक की जगह पर काम करने वाले अपने कर्मचारियों की पूरी और अपडेटेड लिस्ट देनी होगी।

28. लेबर सहित सभी टैक्स, लेवी और सेस कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में लागू होने वाला सेस कॉन्ट्रैक्टर को देना होगा और बैंक इस संबंध में किसी भी तरह का क्लेम स्वीकार नहीं करेगा।

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने टेंडर देने वालों की गाइडेंस के लिए ऊपर दिए गए इंस्ट्रक्शन पढ़ और समझ लिए हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं।

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर और मुहर

खंड IV
निविदाकर्ता के लिए विशेष निर्देश

1. काम करने वालों को ड्यूटी के समय के अलावा जगह के अंदर रहने की इजाज़त नहीं होगी।

2. काम या काम करने वालों के लिए ज़रूरी पानी साइट पर मौजूद सोर्स से मुफ़्त में मिल सकता है। कॉन्ट्रैक्टर को दिखाए गए पॉइंट से अपने खर्च पर पानी निकालना होगा।

3. काम के लिए ज़रूरी बिजली भी इसी तरह साइट पर मौजूद सप्लाई से मुफ़्त में ली जा सकती है। कॉन्ट्रैक्टर को इसे दिखाए गए पॉइंट से अपने खर्च पर लेना होगा।

4. कॉन्ट्रैक्टर को लोकल अथॉरिटी/बॉडी से परमिशन लेनी होती है, तो उन्हें मौजूदा लोकल बायलॉज़ के हिसाब से परमिशन लेनी होगी और अगर कोई चार्ज/फीस है, तो उसे कॉन्ट्रैक्टर को देना होगा, जिसमें पानी और ड्रेनिंग चार्ज शामिल हैं।

5. प्रथम के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। फ्लोर, बनर्जी रोड, एर्नाकुलम नॉर्थ, कोच्ची-682018 पर किसी भी बैंक के वर्किंग डे पर संपर्क कर सकते हैं।

6. काम के लिए सारा सामान बैंक के अधिकारियों के निर्देशानुसार, काम के घंटों के तय समय में ही सीढ़ियों से काम करने की जगह पर लाया जाएगा। सामान की डिलीवरी टेंडर में बताई गई मंज़िलों पर ही दी जाएगी।

7. बिडर कृपया ध्यान दें कि काम किसी भवन /जगह पर नॉर्मल वर्किंग आवर्स/रिस्ट्रिक्टेड आवर्स में किया जाना है, ताकि दूसरे रहने वालों को कोई परेशानी न हो। हर आइटम के लिए दिए गए रेट उसी हिसाब से दिए जाएंगे। सभी डिसमेंटलिंग का काम और शोर करने वाला काम दिन के समय और छुट्टियों में किया जाएगा और दिन के समय काम रिस्ट्रिक्टेड आवर्स में भी किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्टर रेट बताते समय ऊपर बताई गई बातों का ध्यान रखेगा । पूरा काम स्टाफ को कम से कम परेशानी के साथ किया जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर को रोज़ाना सफाई भी करनी होगी। लेबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सीढ़ियों और रास्तों को बैंक की पूरी संतुष्टि के लिए रोज़ाना ठीक से साफ किया जाएगा।

8. हर समय साफ़-सफ़ाई रखना कॉन्ट्रैक्टर की ज़िम्मेदारी है। ऊपर बताए गए काम से निकलने वाले मलबे/धूल या किसी भी कचरे को ज़रूरत के हिसाब से बार-बार साफ़ किया जाएगा और बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार, बैंक के परिसर के अंदर बताई गई जगह पर जमा किया जाएगा। बोली लगाने वाला बैंक के परिसर के अंदर बताई गई जगह पर जमा सारा मलबा हटा देगा और जब जमा हुआ कचरा लगभग एक ट्रक लोड हो जाए या बैंक के इंजीनियर के निर्देश पर उससे पहले हो जाए, तो उसे नगर निगम के नियमों के अनुसार मंज़ूर कचरा डंपिंग जगह पर ले जाएगा। इस संबंध में नगर निगम अधिकारियों द्वारा उनके नियमों/रेगुलेशन के उल्लंघन के लिए लगाई गई किसी भी सज़ा/जुर्माना के लिए कॉन्ट्रैक्टर पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा।

10. टेंडर देने वाले को सिर्फ़ अप्रूव्ड ब्रांड का सामान ही इस्तेमाल करना होगा।

11. बैंक को कॉन्ट्रैक्टर से प्रोक्योरमेंट/मैन्युफैक्चर से पहले सभी मटीरियल, एक्सेसरीज़/फिनिश के सैंपल बनाने होंगे। बैंक का इंजीनियर काम के लिए मटीरियल के सैंपल को अप्रूव करेगा। इन इंस्ट्रक्शन को न मानने पर काम रिजेक्ट किया जा सकता है।

12. मज़दूरों की संख्या 20 या उससे ज़्यादा हो, वहां कॉन्ट्रैक्टर के पास लेबर कमिश्नर से वैलिड लेबर लाइसेंस होना चाहिए । कॉन्ट्रैक्टर यह पक्का करेगा कि उसके यहां काम करने वाले मज़दूरों को सेंट्रल लेबर कमिश्नर के रेट के हिसाब से मिनिमम वेज दिया जाए और वेज स्लिप पर उनके साइन या अंगूठे का निशान ले। ऐसी वेज स्लिप की एक कॉपी बैंक में जमा करनी होगी।

13. सभी फर्म/**ठेकेदार** जो कानूनी तौर पर EPF/ESI अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड होने के लिए मजबूर हैं, उन्हें फर्म/**ठेकेदार** का रजिस्ट्रेशन **प्रमाणपत्र** /कोड नंबर जमा करना होगा।

14. रेट बताने से पहले, कॉन्ट्रैक्टर को साइट का इंस्पेक्शन करना चाहिए और खुद काम का नेचर और स्कोप समझना चाहिए।

15. कॉन्ट्रैक्टर को काम पूरी तरह से स्पेसिफिकेशन डिटेल्स और बैंक के अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार करना होगा। बिडर को ध्यान देना चाहिए कि टेंडर ड्रॉइंग और शेड्यूल में हर आइटम के बारे में बताने वाले दूसरे डॉक्यूमेंट्स सिर्फ़ इंडिकेटिव हैं और उन्हें डिटेल और फिनिश में पूरा नहीं माना जा सकता। यह उम्मीद की जाती है कि बिडर टेंडर ड्रॉइंग और स्पेसिफिकेशन्स का मकसद समझेगा और मटीरियल, वर्कमैनशिप, फिनिश और एक्सेसरीज़ का सही इंतज़ाम करेगा ताकि हाई स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट दिया जा सके। बैंक के पास मटीरियल, वर्कमैनशिप, डिटेलिंग और फिनिश के चुनाव पर ज़ोर देने का अधिकार है, जो उन्हें सही और तय इस्तेमाल के लिए सही लगे। कॉन्ट्रैक्टर इस वजह से एक्स्ट्रा क्लेम करने का हकदार नहीं है। इस शर्त को न समझने की वजह से बाद में कॉन्ट्रैक्टर का कोई क्लेम नहीं माना जाएगा। मटीरियल की क्वालिटी, काम का टाइप, वर्कमैनशिप, फिनिश वगैरह के बारे में बैंक का फ़ैसला आखिरी होगा और कॉन्ट्रैक्टर को मानना होगा।

16. बिडर को ध्यान देना चाहिए कि उसे अपने हिस्से का काम भवन के किसी भी हिस्से को कोई नुकसान पहुँचाए बिना और वहाँ रहने वालों को परेशान किए बिना करना चाहिए। इससे होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई बिडर के खर्च और जोखिम पर की जाएगी।

17. कॉन्ट्रैक्टर को साइट पर अपना सामान रखने का इंतज़ाम खुद करना होगा। सफल कॉन्ट्रैक्टर यह पक्का करेगा कि वे इंस्टॉलेशन के दौरान और बाद में अपने सामान को सुरक्षित रखें और उन्हें अच्छी हालत में बैंक को ठीक से सौंप दें। सौंपते समय, कोई भी नुकसान, खरोंच, डेंट या ऐसी कोई भी कमी दिखे तो उसे कॉन्ट्रैक्टर बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के बैंक की संतुष्टि के लिए बताए गए तरीके से ठीक करवाएगा।

18. सफल कॉन्ट्रैक्टर अपने सभी सामान की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी ज़िम्मेदार होगा और काम की जगह पर हर समय आग से बचाव के कदम उठाने के लिए भी ज़िम्मेदार होगा, जिसमें उसका काम का हिस्सा भी शामिल है।

19. कॉन्ट्रैक्टर बैंक को सभी क्लेम, अगर कोई हो, से हर्जाना देगा।

20. कॉन्ट्रैक्टर को एंट्री पास लेने के लिए बैंक को अपने काम के लिए रखे गए वर्कर्स के पते, पर्सनल डिटेल्स और फोटो जमा करने होंगे। वर्कर्स को बैंक से जारी फोटो पास दिखाने पर ही अंदर आने दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर, उसके स्टाफ और लेबर को बैंक के सिक्योरिटी नियमों का पालन करना होगा।

21. सफल कॉन्ट्रैक्टर को साइट पर काम करने वाले अपने वर्कर को पहचान के लिए अपने खर्च पर सही यूनिफॉर्म देनी होगी।

22. अधूरे टेंडर पर आगे की प्रोसेसिंग के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।

23. फर्म/कॉन्ट्रैक्टर का **कोच्ची में एक सर्विस सेटअप होना चाहिए** और उन्हें कोच्ची में अपने सेटअप का पता और दूसरी जानकारी जैसे काम पर रखे गए लोगों/टेक्नीशियनों की संख्या वगैरह बैंक को देनी होगी।

24. **मंथली बिल के साथ जमा करने वाले डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट** : किसी खास महीने के नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, जो कॉन्ट्रैक्टर/सुपरवाइज़र से सर्टिफाइड हो, पेमेंट के लिए मंथली बिल के साथ जमा करनी है:

i. प्राप्त/देखी गई शिकायतों का विवरण

ii. बैंक की मंज़ूरी से खरीदी गई सामग्री का विवरण (अगर कोई हो)

iii. उपस्थिति रजिस्टर की प्रति

iv. कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट और मिनिमम वेज एक्ट और दूसरी कानूनी ज़िम्मेदारियों (जैसे एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वगैरह) के पालन के लिए घोषणा।

v. कॉन्ट्रैक्टर के साइन किए हुए और हर मज़दूर के काउंटर साइन किए हुए वेज स्लिप की फोटो कॉपी बैंक में जमा करनी होगी और उसके पेमेंट का प्रूफ़ बैंक को देना होगा।

vi. EPF/ESI के लिए किए गए पेमेंट का डॉक्यूमेंट्री सबूत

के हस्ताक्षर और मुहर निविदाकार साथ मुहर

खंड V
सुरक्षा कोड

1. प्राथमिक उपचार के उपकरण, जिसमें स्टेरिलाइज़्ड ड्रेसिंग और रूई की पर्याप्त सप्लाई शामिल है, को आसानी से पहुँचने वाली जगह पर रखा जाएगा।

2. अगर चोट की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत हो, तो घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए पब्लिक हॉस्पिटल ले जाया जाएगा।

3. जो काम ज़मीन से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते, उनके लिए काम करने वालों को सही और मज़बूत मचान दिए जाने चाहिए।

4. कोई भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी 8 मीटर से ज़्यादा लंबी नहीं होगी, साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30 cm (साफ़) से कम नहीं होगी और दो आस-पास के डंडों के बीच की दूरी 30 cm से ज़्यादा नहीं होगी। जब सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है, तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक एक्स्ट्रा मज़दूर लगाया जाएगा।

5. खोदी गई सामग्री को खाई के किनारे से 1.5 मीटर या खाई की आधी गहराई के अंदर नहीं रखा जाएगा, जो भी ज़्यादा हो। सभी खाइयों और खुदाई की जगहों की ज़रूरी कम से कम ऊंचाई एक मीटर होनी चाहिए।

6. किसी भवन या वर्किंग प्लेटफॉर्म के फर्श में हर खुली जगह पर लोगों या सामान को गिरने से बचाने के लिए सही तरीके से फेंसिंग या रेलिंग लगाई जाएगी, जिसकी कम से कम ऊंचाई एक मीटर होगी।

7. किसी भी फर्श, छत या संरचना के अन्य भाग पर मलबा या सामग्री इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि वह असुरक्षित हो जाए।

मोर्टार या कंक्रीट और चूना मोर्टार जैसी सामग्री को मिलाने और संभालने पर नियोजित श्रमिकों को सुरक्षात्मक जूते और रबर के दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।

9. वेल्डिंग के काम में लगे लोगों को वेल्डर की सुरक्षा के लिए आई-शील्ड और दस्ताने दिए जाएंगे।

10. सीसा या सीसा उत्पादों से युक्त किसी भी पेंट का इस्तेमाल पेस्ट या रेडीमेड पेंट के रूप में ही किया जाएगा।

11. जब स्प्रे के रूप में पेंट लगाया जाता है या लेड पेंट वाली सतह को सूखा रगड़कर हटाया जाता है, तो काम करने वालों के इस्तेमाल के लिए सही फेस मास्क दिए जाने चाहिए।

12. काम में इस्तेमाल होने वाली होइस्टिंग मशीनें और टैकल, उनके अटैचमेंट, एंकरेज और सपोर्ट सहित, एकदम सही हालत में होंगे।

13. सामान को ऊपर उठाने या नीचे करने या लटकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली रस्सियाँ टिकाऊ क्वालिटी की, काफ़ी मज़बूत और बिना किसी खराबी वाली होनी चाहिए।

निविदाकार के हस्ताक्षर और मुहर साथ मुहर

खंड VI
अग्नि सुरक्षा कोड

1. साइट पर इस्तेमाल होने वाली कटिंग/ड्रिलिंग मशीन और बिजली से चलने वाले दूसरे इक्विपमेंट को सही रेटिंग वाले इलेक्ट्रिकल आउटलेट में प्लग किया जाना चाहिए।

2. सिर्फ़ ।S। मार्क वाले 3-पिन प्लग और दूसरे अप्लायंस और इक्विपमेंट ही इस्तेमाल किए जाएंगे।

3. इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिकल पावर केबल/तारों में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए और उनकी रेटिंग सही होनी चाहिए।

4. सभी बिजली के उपकरण, जैसे ड्रिलिंग, कटिंग मशीन वगैरह, काम करते समय लीकेज करंट को रोकने के लिए सुरक्षित और मज़बूती से अर्थ किए जाएंगे।

5. साइट पर आसानी से पहुंचने वाली जगह पर पानी और रेत की दो बाल्टियां रखी जाएंगी।

6. बताए गए फायर एक्सटिंग्विशर साइट पर रखे जाएंगे।

7. इस्तेमाल किए गए पेंट ड्रम को ठीक से बंद करने के बाद ही बताए गए स्टोर में स्टोर किया जाएगा।

काम की ज़रूरत के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्टर काम करने वालों को काम से होने वाले हेल्थ खतरों से बचाने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे सेफ्टी शूज़, हैंड ग्लव्स, वेल्डर मास्क, इयर प्लग वगैरह देगा।

9. सेफ्टी बेल्ट कॉन्ट्रैक्टर देगा और काम करने वाले ग्राउंड लेवल से 10 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर काम करते समय इसका इस्तेमाल करेंगे।

10. लिफ्ट लॉबी और सीढ़ियों के पास के किसी भी रास्ते का इस्तेमाल किसी भी तरह का सामान/कचरा जमा करने/डंप करने के लिए नहीं किया जाएगा।

11. किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को उसकी तय जगह से हटाया/जगह से हटाया नहीं जाएगा।

12. जब इक्विपमेंट इस्तेमाल में न हो, तो मेन से पावर सप्लाई बंद कर दी जाएगी।

13. काम से निकलने वाले लकड़ी के बुरादे और बुरादे को रोज़ाना इकट्ठा किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा और सही तरीके से तय जगह पर स्टोर किया जाएगा।

14. काम से निकलने वाले किसी भी मलबे को रोज़ाना इकट्ठा किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा और सही तरीके से तय जगह पर स्टोर किया जाएगा।

15. ऑफिस टाइम के बाद काम करते समय कॉन्ट्रैक्टर को काम करने वालों को बैटरी से चलने वाली इमरजेंसी लाइट/टॉर्च देनी होगी।

निविदाकार के हस्ताक्षर और मुहर साथ मुहर

धारा VII
कार्य का दायरा

1. **कार्य का विवरण** :
इस AMC काम में प्लंबिंग और सैनिटरी काम/पानी की टंकियों और मैनहोल/स्टॉर्म वॉटर लाइनों वगैरह को लगाने और साफ़ करने से जुड़े सभी तरह के रूटीन, ठीक करने वाले और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के काम शामिल हैं।

2. **विवरण का जिन जगहों पर सर्विस दी जानी हैं, वे नीचे दी गई हैं:**

क्रम.	**विवरण**	**विवरण**
ए)	मुख्य कार्यालय भवन	जी फ्लोर प्लस तीन मंजिलें
बी)	भवन का अनुलग्नक	जी फ्लोर
सी)	अधिकारियों के क्वार्टर:	जी फ्लोर प्लस आठ मंजिलें
	रेगुलर फ्लैट्स + विज़िटिंग **अधिकारी** फ्लैट का केयरटेकर रूम	19 संख्या
	कार्यकारी विजिटिंग **अधिकारी** फ्लैट्स	4 संख्या
	कार्यकारी सुइट	1 नहीं
	यात्रा पर जाने वाले अधिकारियों का फ्लैट्स+ रिसेप्शन (1)	4 संख्या
	व्यायामशाला	1 नहीं
	अन्य संरचना अंदर परिसर	सिक्योरिटी गार्ड चेंजिंग रूम और सर्विस पर्सन के लिए कॉमन टॉयलेट ब्लॉक, पंप रूम
डी)	कर्मचारियों के रहने के लिए कमरे	
	नियमित फ्लैट	57 संख्या (खाली फ्लैटों सहित)
	विजिटिंग **कार्यालय**र के फ्लैट	9 नंबर
	ट्रांजिट हॉलिडे होम्स	7 नंबर
	सामुदायिक हॉल	1 नहीं
	व्यायामशाला	2 नहीं
	स्वागत कक्ष	1 नहीं
	THH/VOF कैंटीन	1 नहीं
	एकल कमरे का आवास	3 नहीं
	मेडिकल फ्लैट	1 नहीं

3. **जनशक्ति की आवश्यकता:**

न्यूनतम जनशक्ति प्लंबिंग और सैनिटरी काम/इंस्टॉलेशन से जुड़े सभी तरह के रूटीन, सुधार और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कामों के लिए ज़रूरी है। जैसा अंतर्गत :

a) हफ़्ते के दिनों और शनिवार के लिए

क्रमांक	**मज़दूर**	**वर्कर की कैटेगरी/ एम एनपावर**	**आवश्यक संख्या**
i	अनुभवी प्लम्बर	कुशल व्यक्ति	2 संख्या
ii	प्लंबर का हेल्पर	अर्ध-कुशल व्यक्ति	1 नहीं

b) रविवार और पब्लिक हॉलिडे के लिए (5 हॉलिडे)

क्रमांक	**मज़दूर**	**वर्कर की कैटेगरी/ एम एनपावर**	**आवश्यक संख्या**
i.	प्लंबर का हेल्पर	अर्ध-कुशल व्यक्ति	1 नहीं

नोट: (i) सार्वजनिक अवकाशों में गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, मई दिवस, ओणम (एक दिन), गांधी जयंती शामिल हैं।

(ii) इमरजेंसी हालात में (पाइप लीक रिपेयर वगैरह), अगर ज़रूरत हो तो स्किल्ड प्लंबर समेत वर्कर्स को इमरजेंसी खत्म होने तक बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के काम पर रहना होगा।

(iii) ऊपर दी गई टेबल में बताई गई श्रम शक्ति की ज़रूरत सिर्फ़ टेंटेटिव है। बैंक के पास संविदा पीरियड के दौरान श्रम शक्ति की ज़रूरत को कम करने का अधिकार है, जिसमें सफल बिडर को कोई कम्पेनसेशन क्लेम नहीं करना होगा, सिवाय तय रेट पर असल में किए गए डिप्लॉयमेंट/काम के।

4. **जनशक्ति की तैनाती:**

क्रमांक	**मज़दूर**	**दिन**	**समय**	**आवश्यक संख्या**
i	कुशल व्यक्ति	सप्ताह में छह दिन (सप्ताह के दिन और शनिवार)	**पहली पारी** सुबह 8.00 बजे से शाम 4:00 बजे तक (30 मिनट का लंच ब्रेक शामिल है)	1नहीं
	अर्ध-कुशल व्यक्ति			1नहीं
ii	कुशल व्यक्ति	हफ़्ते में छह दिन (हफ़्ते के दिन और शनिवार)	**दूसरी पारी** दोपहर 2.00 बजे से रात 10:00 बजे तक (30 मिनट के ब्रेक सहित)	1 नहीं

तृतीय	अर्ध-कुशल व्यक्ति	रविवार और पब्लिक हॉलिडे (5 हॉलिडे)	सुबह 8.00 बजे से शाम 4:00 बजे तक (30 मिनट का लंच ब्रेक शामिल है)	1 नहीं

5. सामान्य आवश्यकता

(i) कॉन्ट्रैक्टर साइट पर बताए गए समय के हिसाब से ठीक-ठाक काम करने वाले और सुपरवाइज़र (60 साल से कम उम्र के) को रखेगा, जो मेडिकली फिट होने चाहिए। अगर काम करने वाले या सुपरवाइज़र सही और फिजिकली फिट नहीं पाए जाते हैं, तो बैंक उन्हें हटाने का अधिकार रखता है और सर्विस प्रोवाइडर तुरंत सही रिप्लेसमेंट देगा।

(ii) किसी भी दिन ड्यूटी पर मैनपावर की गैर-तैनाती या गैरहाज़िरी पर नीचे पैरा 8 में बताए अनुसार रिकवरी की जाएगी ।

(iii) सभी लेबर को केयरटेकर/बैंक के इंजीनियर को रिपोर्ट करना होगा। काम के घंटे आठ घंटे होंगे (आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ)। दिन और काम के घंटे बैंक तय करेगा और वे ज़रूरी और मानने वाले होंगे। इमरजेंसी हालात में (पाइप लीक की मरम्मत वगैरह), वर्कर को इमरजेंसी खत्म होने तक बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के काम पर आना होगा।

(iv) बिजली और काम के लिए पानी की ज़रूरत करेगा होना दिया गया को एजेंसी पर निकटतम उपलब्ध बिंदु मुक्त का लागत द्वारा किनारा, लेकिन सभी अन्य व्यवस्था पास होना को होना बनाया द्वारा ठेकेदार पर उनका अपना।

(v) कॉन्ट्रैक्टर को रोज़ाना/इमरजेंसी कामों के लिए ज़रूरी सभी टूल्स और मशीनरी देनी होगी, जैसे प्लायर्स, कटर, इलेक्ट्रिक टेस्टर, स्क्रूड्राइवर्स, स्पैनर सेट, ड्रिलिंग मशीन, हैमर, पाइप रिंच, मेगर, टोंग टेस्टर, कॉटन वेस्ट, मलमल क्लॉथ, ड्रिल बिट, स्क्रू, रावल प्लग, PVC इंसुलेशन टेप, वॉटरप्रूफ इंसुलेशन टेप, लैडर वगैरह।

(vi) AMC के दौरान, अटेंडेंस शीट के साथ महीने के बिल पेमेंट के लिए ऑफिस में जमा करने होंगे। कॉन्ट्रैक्टर अपने वर्कर को पेमेंट का रिकॉर्ड रखेंगे और बिल के साथ जमा करेंगे। बैंक मिनिमम वेज वेरिफ़ाई करने के लिए ऑफिसर/स्टाफ़ को भेजने का अधिकार रखता है। कॉन्ट्रैक्टर को यह पक्का करना चाहिए कि कर्मचारियों की तैनाती लेबर एक्ट के अनुसार हो, इसके लिए ज़रूरी है कि वे वीकली ऑफ़, मिनिमम वेज का पेमेंट, पब्लिक हॉलिडे दें । कॉन्ट्रैक्टर हफ़्ते की छुट्टी वाले दिन और पब्लिक छुट्टियों पर रिलीवर के तौर पर स्टैंड-बाय व्यक्ति का इंतज़ाम करेगा ।

(vii) साइट पर बदले गए/इस्तेमाल किए गए सामान की कीमत हर महीने की 10 तारीख तक खरीद वाउचर के साथ जमा करनी होगी। सामान की कीमत के दावे के साथ कॉल शीट/खामियों को ठीक करने की रिपोर्ट होनी चाहिए, जिसे इस्तेमाल किए गए फ्लैट के लिए यूज़र और खाली फ्लैट और कॉमन एरिया वगैरह के लिए केयरटेकर से सही तरीके से वेरिफ़ाई किया गया हो।

(viii) काम पर रखे गए सभी मज़दूरों को काम पर रखने से पहले कॉन्ट्रैक्टर को लोकल पुलिस से वेरिफ़ाई करवाना होगा। पुलिस वेरिफ़िकेशन के लिए एप्लीकेशन, पुलिस स्टेशन से सही रसीद के साथ, वर्क ऑर्डर

की तारीख से 14 दिनों के अंदर जमा करनी होगी।

(ix) कॉन्ट्रैक्टर को तुरंत सर्विस देनी होगी। कॉन्ट्रैक्टर को कंप्लेंट बुक में दर्ज कंप्लेंट को उसी दिन पूरा करना होगा। हालांकि, बड़े रिपेयर के काम के लिए, कॉन्ट्रैक्टर को बैंक के बताए अनुसार काम पूरा करना होगा। तय समय से ज़्यादा देरी होने पर, बैंक को हर उस कंप्लेंट के लिए पेनल्टी लगाने का अधिकार है जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। यह फ़ैसला कॉन्ट्रैक्टर पर लागू होगा।

(x) कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ़ बड़ों को ही काम पर रखेगा, और बाल मज़दूरी पर रोक होगी और अगर कॉन्ट्रैक्ट के दौरान किसी भी स्टेज पर ऐसा पाया गया, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाएगा।

(xi) उद्धृत दरों में उपभोग्य वस्तुएं जैसे वाशर, स्क्रू, कनेक्टर, पीवीसी इंसुलेशन टेप, टेफ्लॉन टेप, ग्रीस, तेल, विलायक, कपास अपशिष्ट, ब्लेड इत्यादि शामिल होने चाहिए। बैंक उपभोग्य वस्तुओं के लिए किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति नहीं करेगा।

(xii) रोज़ाना के काम के लिए ज़रूरी दूसरी फिटिंग/फिक्स्चर और दूसरे मटीरियल की कीमत या तो बैंक देगा या ठेकेदार सीधे खरीदेगा और ऐसे खर्च ठेकेदार को हर महीने बैंक के सामने ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस जमा करने पर वापस किए जाएँगे। हालाँकि, यह ध्यान रखना होगा कि खरीदी जाने वाली चीज़ों के रेट MRP पर ज़रूरी मैन्युफैक्चरर डिस्काउंट देने के बाद कॉम्पिटिटिव हैं और ऐसी चीज़ें खरीदने से पहले बैंक के इंजीनियर से सलाह लेनी होगी। ठेकेदार द्वारा खरीदी गई चीज़ों की कीमत वापस मिलने पर, वह 15% ओवरहेड चार्ज और जीएसटी से पहले मटीरियल की कीमत पर मुनाफ़े का हक़दार होगा। ठेकेदार को खरीदी गई चीज़ों (बैंक द्वारा खरीदी गई चीज़ों सहित) को दुकान से काम की स्थान तक पहुँचाने का इंतज़ाम खुद करना होगा और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा।

(xiii) इमरजेंसी में रेगुलर टाइम के बाद 8.00 बजे से ज़्यादा काम पर जाने पर, काम करने से पहले इंचार्ज इंजीनियर या उनके प्रतिनिधि को इसकी असलियत और ज़रूरत को सर्टिफ़ाई करना होगा।

(xiv) प्लंबिंग और सैनिटरी के रोज़ाना के मेंटेनेंस के काम के अलावा, बैंक की स्थान पर घरेलू पंप चलाने के काम पर भी जाना ज़रूरी है ताकि स्थान में पानी की सप्लाई बिना रुके हो सके। प्लंबर को सम्प में पानी का लेवल (हर दिन) चेक करना होगा और ज़रूरत के हिसाब से पंप चलाते समय ज़रूरी वाल्व चलाना होगा। AMC सर्विस पर्सन/प्लंबर को बैंक के इंजीनियर और बैंक के केयरटेकर के निर्देशों का पालन करना होगा। पंप में कोई भी दिक्कत/फेलियर, केरल वॉटर अथॉरिटी से कम पानी आना वगैरह, बैंक के अधिकारियों को तुरंत सुधार के लिए बताया जाएगा।

(xv) में मामला का कोई व्यक्ति है मिला दे रही है गरीब कारीगरी, अवमानना अनुदेश का किनारा और दुराचार वगैरह।, एजेंसी करेगी ऐसे बदलें व्यक्ति से काम जैसा निर्देशित द्वारा किनारा।

6. दायरा का सेवा को होना प्रतिपादन किया अंतर्गत अनुबंध करेगा मोटे तौर पर शामिल करना निम्नलिखित सामान का काम:-

(ए) नलसाजी और स्वच्छता कार्य:

(i) प्लंबिंग और सैनिटरी से जुड़े रूटीन/समय-समय पर/रोकथाम के लिए मेंटेनेंस/ब्रेकडाउन को ठीक करने के लिए ज़रूरी इंतज़ाम करना। बैंक की जगह पर ठीक से रहने के लिए इंस्टॉलेशन को सर्विस करने लायक, साफ़ और हाइजीनिक हालत में रखना, जिसमें प्राइस-बिड में बताए गए स्पेसिफिकेशन के अनुसार सीवर लाइन/मैनहोल, स्टॉर्म वॉटर ड्रेन वगैरह की समय-समय पर सफ़ाई शामिल है।

(ii) कंप्लेंट रजिस्टर में दर्ज शिकायतों को रोज़ चेक किया जाएगा और सभी शिकायतों पर तुरंत ध्यान दिया जाएगा। संतोषजनक काम पूरा होने के बाद, संबंधित व्यक्ति से साइन लिए जाएंगे और इंजीनियर-इन-चार्ज या उनके प्रतिनिधि के निर्देश के अनुसार, भवन के अंदर और बाहर वॉशर, नल, वाल्व और किसी भी अन्य इंस्टॉलेशन को बदला जाएगा।

(iii) समय-समय पर चेक-अप जिसमें गेट वाल्व, चेक वाल्व वगैरह की मरम्मत/बदलना, सक्शन में पाइपलाइन और पंप वगैरह की डिलीवरी शामिल है। अगर ज़रूरत हो तो पाइपों की छोटी-मोटी वेल्डिंग भी बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के की जाएगी।

(iv) हर टॉयलेट/बाथरूम/वॉश एरिया वगैरह में सभी इंस्टॉलेशन/फिक्स्चर को चालू हालत में रखना।

(v) नहानी ट्रैप, सभी लेवल पर स्टैक, मैनहोल में जाम हटाना, ग्रेटिंग ठीक करना वगैरह, बैंक की जगह के बाहर बिना किसी खर्च के मलबा हटाना। कनेक्टिंग पीस, नल, स्टॉप कॉक, वाल्व या किसी दूसरी C। फिटिंग जैसे आई प्लग वगैरह को हटाने और फिर से लगाने के दौरान, अगर उन्हें बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के बदला जाएगा।

(vi) कुओं, गड्ढों, ओवरहेड और अंडरग्राउंड टैंकों में पानी के लेवल की मॉनिटरिंग करना और रोज़ाना उसका रिकॉर्ड रखना।

(vii) प्री-मानसून काम जैसे स्टॉर्म वॉटर ड्रेन, रेन वॉटर पाइप का इंस्पेक्शन और सफ़ाई, स्टॉर्म वॉटर ड्रेन से गाद निकालना और सफ़ाई (हर छह महीने में), कंपाउंड की दीवारों में वीप होल, पाइप लाइनों के आसपास या छतों पर उगे पेड़-पौधों को हटाना, सनशेड और छत पर या कार शेड/स्कूटर शेड वगैरह की छत पर जमा सूखे पत्ते/कोई भी दूसरा कचरा हटाना और रेन वॉटर गटर/आउटलेट को बिना किसी रुकावट के रखना ताकि बारिश का पानी आसानी से बह सके वगैरह।

(viii) छतों, कैनोपी पर बारिश के पानी के आउटलेट को मलबे, बाहरी चीज़ों वगैरह से साफ़ रखें ताकि छतों वगैरह से पानी का बहाव तेज़ी से हो सके।

(ix) सिस्टर्न फ्लश करने के लिए रबर गैस्केट और लो लेवल फ्लशिंग टैंक के लिए प्लंजर वॉशर की कीमत शामिल है ।

(x) फ्लशिंग सिस्टम CI/PVC / किसी भी दूसरे मेक पोर्सिलेन, फोर्डहम की रिपेयरिंग, जिसमें साइफन, बेल्स, फ्लोट वाल्व हटाना, कॉटर पिन प्लंजर वॉशर, साइफन के लिए नट और बोल्ट लगाना, 'S ' हुक लगाना, जिसमें बैंक के अप्रूव्ड रेट या बैंक द्वारा अप्रूव्ड सही रेट के हिसाब से सही साइज़ की नई एक्सेसरीज़ के साथ टैन को हटाना और फिर से लगाना और फ्लशिंग टैंक को चालू हालत में बनाना शामिल है ।

(xi) वॉटर हीटर, गीज़र, कूलर, बॉयलर, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के मामले में प्लंबिंग कनेक्शन को डिस्कनेक्ट और रीकनेक्ट करना, जब भी ऐसे इलेक्ट्रिक गैजेट्स को बदलने/मरम्मत करने की ज़रूरत हो।

(xii) अलग-अलग ड्रेनेज लाइनों के जोड़ों की सीमेंटिंग, वॉश बेसिन, सिंक और दीवारों के बीच के गैप, फर्श और डैडो की टाइलों के जोड़ों की पॉइंटिंग, ढीली टाइलों, फर्श और डैडो (फ्लैट के सभी एरिया) की सीमेंटिंग, जिसमें उन्हें सफेद सीमेंट और मैचिंग पिगमेंट से फिर से लगाना शामिल है। सीमेंटिंग मटीरियल (यानी सफेद सीमेंट + मैचिंग पिगमेंट वगैरह) की कीमत बताई गई दरों में शामिल होनी चाहिए।

(xiii) जब भी पंप को रिपेयर/रिप्लेसमेंट के लिए ले जाना हो, तो पानी के पंप के सक्शन और डिलीवरी कनेक्शन को डिस्कनेक्ट और रीकनेक्ट करना। ज़रूरत पड़ने पर सक्शन लाइन/डिलीवरी लाइन से एयर लॉक हटाना।

(xiv) बैंक के परिसर/कॉलोनियों के अंदर भवन /स्ट्रक्चर पर और उसके आस-पास किसी भी जंगली पौधे/पेड़-पौधे वगैरह को उखाड़ना, जहाँ भी ज़रूरत हो, एसिड वगैरह का ज़रूरी खर्च उठाना।

(xv) ढीले फिक्स्चर और फिटिंग को फिर से लगाना, जिसमें सपोर्टिंग ब्रैकेट जैसे वॉश बेसिन, सिंक, फ्लशिंग सिस्टर्न, ड्रेन बोर्ड, टॉवल रॉड, मिरर, ग्लास शेल्फ, सोप होल्डर, नहनी ट्रैप, ग्रेटिंग और बैंक की प्रॉपर्टी में मौजूद कोई भी दूसरा फिक्स्चर और फिटिंग शामिल है, जिसमें बिना किसी नुकसान के मौजूदा/फिटिंग फिक्स्चर को हटाना शामिल है। सीमेंट मोर्टार में नई लकड़ी की गट्टियों की ग्राउटिंग करना और नए स्क्रू से लगाना, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ हटाना।

(xvi) महीने में एक बार, बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के, भवन /स्ट्रक्चर से पेड़-पौधों की सफाई करना।

(xvii) सभी इंस्टॉलेशन की रेगुलर जांच की जाएगी, और जहां भी ज़रूरी होगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाएगा।

(xviii) शिकायतों दर्ज कराई द्वारा निवासी / विभाग में शिकायत किताब बनाए रखा साथ केयरटेकर / परिसर अनुभाग / ACT / बैंक इंजीनियरों द्वारा सलाह के अनुसार होना नियमित रूप से चेक किए गए और सभी शिकायतों इच्छा होना उपस्थित हुए तुरंत. बाद संतोषजनक समापन हस्ताक्षर करेगा होना प्राप्त से संबंधित निवासी या उनका प्रतिनिधि।

(xix) बताए गए काम की मात्रा के शेड्यूल के अनुसार बिल जमा करना (टेंडर का पार्ट-II)

(xx) हटाना का मलबा बनाया था देय को नलसाजी/सिविल काम को होना लिया और फेंक दिया में निगम कचरा बिन या उतारू बाहर का बैंक का परिसर पर उपयुक्त स्थान जैसा प्रति वैधानिक मानदंड।

(xxi) नलसाजी और स्वच्छता/सिविल फिटिंग/फिक्सचर में खाली समतल को होना का निरीक्षण किया पर आधा वार्षिक आधार और प्रतिवेदन को होना प्रस्तुत किया गया।

(xxii) रूटीन मेंटेनेंस/रिपेयर के अलावा सैनिटरी और प्लंबिंग इंस्टॉलेशन का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, Annex X में बताए अनुसार किया जाएगा।

(xxiii) सफाई के काम का शेड्यूल बैंक को काफी पहले बता देना चाहिए।

(B) नालियों/सीवर लाइनों वगैरह की सफाई (साल में दो बार)

सभी कानूनी नियमों का पालन करते हुए, परिसर के अंदर स्टॉर्म वॉटर ड्रेन, मैनहोल, सड़क की नाली वगैरह से कीचड़ हटाने सहित नालियों/सीवर लाइनों की सफाई, नगर निगम के मैनहोल तक (जिसमें मलबा हटाना और उसे परिसर से बाहर फेंकना शामिल है)।

क्रमांक	संपत्ति	भूमि का विस्तार
1	कार्यालय भवन और अधिकारियों के क्वार्टर	2.4221 एकड़
2	कर्मचारियों के रहने के लिए कमरे	3.5361 एकड़

(C) पानी की टंकी की सफ़ाई (साल में दो बार):

क्रमांक	विवरण	मात्रा संख्या में.	क्षमता
1	**मुख्य कार्यालय भवन**		
ए	भूमिगत टैंक		
	कुएँ का पानी (आरसीसी)	1	42.88 केएल
बी	ओवरहेड टैंक		
	अग्निशामक (पीवीसी)	1	10 किलोलीटर
	एसी पानी की टंकी (पीवीसी)	1	5 केएल
	कुएं का पानी टैंक (पीवीसी)	1	5 केएल
	पेयजल टैंक (पीवीसी)	1	5 केएल
सी	शीतलन टॉवर	2	2.250 केएल
डी	खुला कुआँ	1	---
2	**अधिकारियों के क्वार्टर**		
ए	भूमिगत टैंक		
	पेय जल	1	55.74 केएल
	अग्निशमन	1	70.57 केएल
बी	ओवरहेड टैंक		
	पेय जल	1	9.83 केएल
	कुआं का पानी	1	12.42 केएल
	अग्निशमन	1	12.83 केएल
सी	खुला कुआँ	1	----
3	**कर्मचारियों के रहने के लिए कमरे**		
ए	भूमिगत टैंक (आरसीसी)	2	80.10 केएल
बी	ओवरहेड टैंक (आरसीसी)	13	5.58 केएल
सी	खुला कुआँ	1	----
डी	स्टेनलेस स्टील टैंक	2	1.20 किलोलीटर

ई	पीवीसी टैंक	1	2 किलोलीटर
एफ	पीवीसी टैंक	1	5 केएल

नोट: बैंक संविदा पीरियड के दौरान बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ (पार्ट II) में दी गई किसी भी क्वांटिटी को कम करने का अधिकार रखता है, और सफल बिडर तय रेट पर किए गए असल काम के अलावा किसी भी तरह के मुआवज़े का दावा नहीं करेगा।

अंडरग्राउंड सम्प, ओवरहेड RCC टैंक की सफाई का तरीका

अंडरग्राउंड सम्प, ओवर हेड RCC टैंक की सफाई का प्रोसेस इस तरह किया जाएगा:

1. टैंक को पंपिंग से पानी से खाली किया जाएगा और नीचे से गाद और दूसरी जमाव को साफ किया जाएगा।

2. सैंप के पूरे सरफेस एरिया को क्लीनिंग केमिकल मिले पानी के प्रेशर जेटिंग से कम से कम दो बार और अच्छी तरह से साफ किया जाएगा और आखिर में दीवार की सरफेस को ठीक से साफ करने के लिए सिंपल वॉटर जेट से धोया जाएगा।

3. लिक्विड क्लोरीन से RCC की अंदरूनी सतह का क्लोरीनेशन।

4. ट्रीट की गई सतह को एयर जेटिंग का इस्तेमाल करके सुखाया जाएगा और सतह से सभी ढीले कण हटा दिए जाएंगे।

5. आखिर में, बैंक के इंजीनियर के निर्देश और संतुष्टि/सर्टिफिकेशन के अनुसार, सतह को अल्ट्रावॉयलेट रेडिएशन वगैरह से ट्रीट किया जाएगा।

पानी की टंकी की सफ़ाई से जुड़े ऊपर बताए गए सभी काम, पानी की टंकी की सफ़ाई के लिए खास लोगों को लगाकर किए जाएंगे और मज़दूरों के लिए सभी ज़रूरी सुरक्षा इंतज़ाम किए जाएंगे, जिसमें उन्हें मेडिकल मदद, रबर के दस्ताने, हेलमेट, मास्क, यूनिफ़ॉर्म वगैरह देना शामिल है।

7) द लागत का अगले सामान का काम चाहिए भी होना शामिल में उद्धरित दरें:

i. **अगले रजिस्टर करेगा होना बनाए रखा द्वारा ठेकेदार पर कालोनियों**
   - उपस्थिति रजिस्टर
   - नियमित/निवारक/आवधिक/पानी का मीटर रखरखाव काम पंजीकरण करवाना
   - संपदा इंचार्ज के बताए अनुसार कोई और लॉगबुक

ii. ऊपर रजिस्टर करेगा होना का निरीक्षण किया द्वारा परिसर अनुभाग अधिकारियों के लिए उनका सत्यापन।

iii. उपलब्ध कराने के का सभी आवश्यक औजार को उसका कर्मचारी के लिए दिन - प्र ति दि न रखरखाव और आपातकाल।

iv. उपलब्ध कराने के का सभी सुरक्षा उपकरणों, सामग्री को उसका कर्मचारी।

v. प्रदान करना**, सुरक्षा जूते**, **अछूता दस्ताने, रेनकोट, टोपी, छाते, मशाल, गतिमान फ़ोन वगैरह।** को उसका सभी कर्मचारी।

vi. उपलब्ध करवाना ज़रूरी प्रशिक्षण को उसका कर्मचारी पर गुणवत्ता, सुरक्षा और तकनीकी।

vii. अगर कोई कर्मचारी है पर छुट्टी/अनुपस्थित से निर्धारित न्यूनतम ताकत, ठेकेदार चाहिए उपलब्ध करवाना प्रतिस्थापन तुरंत साथ समान रूप से योग्य और अनुभवी व्यक्ति।

viii. हर मामले में सर्विस / मेंटेनेंस रिपोर्ट / कॉल शीट रखी जानी चाहिए और मंथली बिल जमा करते समय सुपरवाइज़र और यूज़र/शिकायतकर्ता द्वारा सही तरह से काउंटरसाइन करके जमा की जानी चाहिए।

ix. आरबीआई भंडार सही को पूछना ठेकेदार को आपूर्ति अतिरिक्त जनशक्ति जैसा आवश्यक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक निर्भर करता है ऊपर साइट मांग के लिए कार्यान्वयन का काम उल्लिखित में दायरा का काम बिना कोई अतिरिक्त लागत।

x. द सूची है केवल सूचक। कोई रखरखाव काम नहीं विशेष रूप से उल्लिखित ऊपर लेकिन आवश्यक के लिए स्वस्थ संचालन का प्रणाली संबंधित और के लिए संतुष्टि का निवासी/शिकायतकर्ता इच्छा होना माना में भाग का दायरा का काम।

xi. ठेकेदार का कर्मचारियों की संख्या चाहिए भाग लेना को टूट - फूट पुकारना तुरंत। प्रमुख अप्रधान शिकायतों करेगा होना उपस्थित हुए तुरंत और नहीं अतिरिक्त भुगतान इच्छा होना बनाया के लिए वही। अटल है को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करना पर्याप्त कर्मचारी/तकनीशियन में मामला का आपातकालीन/के लिए बहुत आवश्यक काम/विघटन वगैरह।, बिना अतिरिक्त शुल्क/भुगतान।

8) पेनल्टी: अगर पहचाने गए AMC लेबर शेड्यूल के हिसाब से किसी दिन काम पर नहीं आते हैं, तो ठेकेदार को गैरहाज़िर वर्कर (प्लंबर/हेल्पर) के लिए लीव रिज़र्व रखने का इंतज़ाम करना होगा। अगर लीव रिज़र्व नहीं रखा जाता है या किसी भी वर्कर (प्लंबर/हेल्पर) की गैरहाज़िरी के हर दिन के लिए (कम से कम 2 घंटे) सही समय पर कोई भी ऊपर बताया गया काम/शिकायत नहीं की जाती है, तो ठेकेदार द्वारा रेगुलर तौर पर रखे गए लेबर को हर दिन की सैलरी के हिसाब से उसी हिसाब से रिकवरी की जाएगी, साथ ही बैंक द्वारा शिकायतों/काम को देखने के लिए बाहरी एजेंसी को रखने के लिए दिए गए चार्ज को उन लेबर के हर दिन की गैरहाज़िरी के महीने के बिल से वसूला जाएगा, जिन्हें बैंक ने AMC संविदा दिया था।

9. कॉन्ट्रैक्टर को काम के लिए रखे गए व्यक्ति का बायो डेटा, सरकारी मंज़ूर।-card की कॉपी, हाल का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मोबाइल नंबर वगैरह देना होगा। रेगुलर टेक्नीशियन/सेमी-स्किल्ड टेक्नीशियन के न होने पर, कॉन्ट्रैक्टर दूसरे व्यक्ति को मेंटेनेंस का काम करने के लिए ऑथराइज़ करेगा, जिस पर कॉन्ट्रैक्टर के साइन सही से ऑथेंटिकेट होंगे। कॉन्ट्रैक्टर को एम्प्लॉयर द्वारा अपॉइंट की गई काबिल अथॉरिटी से ज़रूरी एंट्री पास लेने के बाद काम करना होगा। ऐसे सभी स्टाफ़ के पास पते के साथ फ़ोटो आइडेंटिफ़ाई कार्ड होने चाहिए, जिन पर कॉन्ट्रैक्टर के ऑथराइज़्ड सिग्नेटरी के साइन हों।

10. कॉन्ट्रैक्टर को ऐसे टेक्नीशियन/ लेबर रखने होंगे जिनकी काबिलियत साबित हो चुकी हो। काम करने वाली/आबादी वाली आवासीय कॉलोनी में काम करने वालों की लापरवाही से होने वाली किसी भी गड़बड़ी/नुकसान के लिए कॉन्ट्रैक्टर ज़िम्मेदार होगा।

11. टेक्नीशियन का लाइसेंस / कॉन्ट्रैक्टर के लाइसेंस की कॉपी, जहाँ भी लागू हो, और दोनों (टेक्नीशियन और कॉन्ट्रैक्टर) के कॉन्टैक्ट टेलीफोन नंबर और सेल नंबर बैंक में जमा करने होंगे।

12. पेमेंट हर महीने किया जाएगा, जब काम ठीक से पूरा हो जाएगा और काबिल अथॉरिटी/बैंक के अधिकारियों से सर्टिफ़ाई हो जाएगा।

13.बैंक की जगह पर काम करते समय फर्म द्वारा रखे गए सभी स्टाफ़ के किसी भी हादसे/दुर्घटना के लिए बैंक कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेगा। काम के लिए रखे गए सभी मज़दूरों के लिए सही इंश्योरेंस कवर लेना होगा और रिकॉर्ड के लिए उसकी कॉपी बैंक को जमा करनी होगी। कॉन्ट्रैक्टर काम मिलने के समय से सभी तरह के रिस्क को कवर करने के लिए अपने खर्च पर सभी इंश्योरेंस लेने के लिए ज़िम्मेदार होगा। ये इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट का समय पूरा होने तक वैलिड रहेंगी।

14. काम से जुड़े किसी भी विवाद में बैंक का फ़ैसला आखिरी होगा और कॉन्ट्रैक्टर को मानना होगा।

15. बैंक से अपने टेंडर के मंज़ूर होने की जानकारी मिलने पर, सफल टेंडर देने वाला कॉन्ट्रैक्ट को लागू करने के लिए बाध्य होगा और उसके चौदह दिनों के अंदर। सफल टेंडर देने वाला ड्राफ्ट एग्रीमेंट और शर्तों के शेड्यूल के अनुसार एक एग्रीमेंट पर साइन करेगा, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा टेंडर की लिखित मंज़ूरी, भारतीय रिज़र्व बैंक और टेंडर देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, चाहे ऐसा फॉर्मल एग्रीमेंट बाद में किया जाए या नहीं।

<u>टिप्पणी:</u>

ठेकेदारों हैं सलाह दी को उद्धरण उनका दरें बाद साइट यात्रा, पुष्टि को स्थितियाँ और विस्तृत दायरा का काम का पार्ट-मैं और भाग-II नाज़ुक।

हस्ताक्षर और सील का निविदाकार

धारा VIII

आर्थिक स्थितियां

क्रमांक	विवरण	बैंक के नियम और शर्तें	बैंक के नियम और शर्तों को स्वीकार करना
1	निविदा की वैधता	निविदा के भाग I के खुलने की तिथि से 90 दिन	
2	ईएमडी	**₹44,400/-** (पार्ट I के साथ पैसे भेजने का सबूत जमा करना होगा)	
3	अदायगी की शर्तें	पेमेंट हर महीने किया जाएगा, बस इनवॉइस और दूसरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। पेमेंट तब किया जाएगा जब बैंक के अधिकारी यह सर्टिफ़ाई कर देंगे कि सर्विस ठीक से दी गई हैं और सभी कानूनी बकाया/टैक्स वगैरह काट लिए जाएंगे।	
4	काम की गुंजाइश	निविदा की धारा VII	
5	काम देते समय परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (सफल बोली लगाने वाले को जमा करनी होगी)	टेंडर देने वालों के लिए सामान्य निर्देशों का क्लॉज़ 1.17	
6	मटीरियल/फिटिंग/फिक्सचर वगैरह की सप्लाई के लिए मंज़ूरी	जैसा कि धारा VII के खंड 5(xii) में दर्शाया गया है – कार्य का दायरा	
7	बीमा खंड	जैसा कि धारा II के खंड 1.23 में दर्शाया गया है – निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश।	
8	सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान लागू होने वाले मौजूदा कानूनों/कोड/नियमों का पालन करना, जैसे मिनिमम		

	वेजेज एक्ट, 1948/कोड ऑफ़ वेजेज 2019, CLRA एक्ट, 1970, ESI एक्ट, 1948 और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान लागू या लागू होने वाले दूसरे कानून। कॉन्ट्रैक्टर द्वारा इन कानूनों का पालन न करने की वजह से हुए नुकसान की भरपाई के लिए बैंक द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई को कॉन्ट्रैक्टर द्वारा मानना।		

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर और मुहर

<u>अनुलग्नक – I</u>

<u>ठेकेदार के परफॉर्मेंस के बारे में क्लाइंट का सर्टिफिकेट (टेंडर पार्ट I के साथ ऑनलाइन जमा करना होगा)</u>

ग्राहक का नाम और पता
श्री/मेसर्स द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण

1	कार्य और लघु जानकारी	
2	कार्य आदेश संख्या और दिनांक	
3	अनुबंध राशि	
4	उस अथॉरिटी का नाम और पता जिसके तहत काम किया गया	
5	i) काम की क्वालिटी (ग्रेडिंग बताएं)	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/खराब
6	ठेकेदार के खिलाफ शुरू की गई कोई भी कानूनी कार्रवाई	हां नहीं
	ii) अगर हाँ, तो कृपया डिटेल्स बताएँ	
7	ठेकेदार की काबिलियत पर कमेंट्स।	
	क) तकनीकी दक्षता	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/खराब
	ख) वित्तीय सुदृढ़ता	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/खराब
	ग) जनशक्ति का जुटाव	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/खराब
	d) सामान्य व्यवहार	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/खराब

नोट: सभी कॉलम ठीक से भरे जाने चाहिए

रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा कार्यालय की मुहर के साथ प्रतिहस्ताक्षरित।

*एग्जीक्यूटिव इंजीनियर/सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर या उसके बराबर रैंक का अधिकारी जो इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन का इंचार्ज हो।

नोट: प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन द्वारा जारी क्लाइंट की रिपोर्ट के साथ TDS सर्टिफ़िकेट भी होने चाहिए। (रिपोर्ट सीलबंद लिफ़ाफ़े में जनरल मैनेजर (O- i -C), **भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा** सेक्शन, **आरबीआई कोच्ची** के पते पर जमा करनी होगी)

अनुलग्नक II

पूरे हो चुके और चल रहे इसी तरह के कामों की जानकारी देने के लिए प्रोफ़ॉर्मा

31 अक्टूबर, 2020 को या उससे पहले किए गए ऐसे ही कामों की जानकारी (कम से कम 5 साल का अनुभव होने की पात्रता मापदंड को पूरा करने के लिए)

सीनियर नहीं	का नाम फर्म (ग्राहक) पूर्ण के साथ पता और संपर्क नंबर	का नाम काम	की तारीख का पुरस्कार काम	अनुबंध समापन तारीख	वास्तविक समापन तिथि	टिप्पणी

31 अक्टूबर, 2020 के बाद किए गए इसी तरह के कामों की जानकारी

सीनिय नहीं	फर्म का नाम (क्लाइंट) पूरा नाम पता और संपर्क नंबर वगैरह	का नाम काम	का मूल्य काम	की तारीख का पुरस्कार काम	अनुबंध समापन तारीख	टिप्पणी

- ज़रूरी डॉक्यूमेंट्री सबूत अटैच किए जाएंगे।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

अनुलग्नक III –
टर्नओवर के लिए सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणपत्र

वर्ष	टर्नओवर राशि (₹ में)	टैक्स के बाद मुनाफ़ा (₹ में)
2022-23		
2023-24		
2024-25		

CA के हस्ताक्षर और मुहर

अनुलग्नक IV
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रारूप
(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
कोच्ची

महोदय/महोदया

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची के मुख्य कार्यालय भवन और आवासीय कॉलोनियों में नलसाजी और स्वच्छता कार्यों/स्थापनाओं के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध

हम ....(बोलीदाता का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय का पता) इसके द्वारा श्रीमान/सुश्री को नियुक्त और अधिकृत करते हैं।
.... (पावर ऑफ अटॉर्नी धारक का नाम और आवासीय पता) जो वर्तमान में हमारे साथ कार्यरत है और हमारे अटॉर्नी के रूप में ..... का पद धारण कर रहा है, हमारे नाम पर और हमारी ओर से, शीर्षक परियोजना के लिए हमारी बोली के संबंध में या उससे संबंधित सभी ऐसे कार्य, कर्म और चीजें करने के लिए, जिसमें हस्ताक्षर करना और
सभी डॉक्यूमेंट्स जमा करना और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को जानकारी/जवाब देना, आरबीआई के सामने सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करना, और आम तौर पर उस टेंडर के लिए हमारे प्रस्ताव से जुड़े सभी मामलों में आरबीआई के साथ डील करना।
हम अपने वकील द्वारा कानूनी तौर पर किए गए सभी कामों, कामों और चीज़ों को मंज़ूरी देने के लिए सहमत हैं।
इस पावर ऑफ़ अटॉर्नी के अनुसार, और हमारे ऊपर बताए गए अटॉर्नी द्वारा किए गए सभी काम, कर्म और चीज़ें हमेशा हमारे द्वारा किए गए माने जाएंगे।

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर
नाम
बोली लगाने वाले की मुहर/सील
नोट: (a) पावर ऑफ़ अटॉर्नी पर सही तरीके से स्टैम्प और नोटराइज़्ड होना चाहिए
(b) कॉन्ट्रैक्टर द्वारा दिया गया पावर ऑफ़ अटॉर्नी इर्रिवोकेबल होगा

अनुलग्नक - V

बोली लगाने वाले का विवरण

क्रमांक	विवरण	बोली लगाने वाले द्वारा भरा जाना है
1	एजेंसी / फर्म / कंपनी का नाम और पता। i. पंजीकृत कार्यालय का पता और टेलीफोन नंबर ii. कोच्ची में ऑफिस का पता। साथ ही, ऑथराइज़्ड अधिकारी का नाम और उसका टेलीफ़ोन नंबर भी बताएं।	
2	ऑर्गनाइज़ेशन का टाइप: (कंपनी एक्ट, 1956 के तहत बनी प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप / कंपनी वगैरह) (कृपया संबंधित डॉक्यूमेंट्स संलग्न करें।)	
3	ऑर्गनाइज़ेशन के प्रोप्राइटर / पार्टनर्स / डायरेक्टर्स का नाम	
4	पत्राचार विवरण	
	संपर्क व्यक्ति के नाम के साथ टेलीफ़ोन / मोबाइल	
	ईमेल	
5	(i). जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और नंबर. (ii) पैन नं. (ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें)	
6	लेबर, ESI, EPF (अगर कोई हो) के रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स।	
7	कॉन्ट्रैक्टर / कॉन्ट्रैक्टर की फर्म को फील्ड में कितने साल का अनुभव है।	
8	क्या एजेंसी या पार्टनरशिप फर्म के मामले में किसी भी पार्टनर को कभी किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन में कम्पीट करने से डिबार / ब्लैक-लिस्ट किया गया है? अगर हाँ, तो डिटेल्स दें।	
9	क्या एजेंसी अभी चल रहे कॉन्ट्रैक्ट में बार-बार सिविल केस/मुकदमों में शामिल है या कोई कोर्ट केस पेंडिंग है जिसमें बिडर एक	**हां नहीं**

	पार्टी है। अगर हाँ, तो कृपया नीचे दिए गए प्रोफ़ॉर्मा में डिटेल्स दें।	

बोली लगाने वाले के बैंकर का विवरण

क्र	**विवरण**	**बोली लगाने वाले द्वारा भरा जाना है**
1	बैंक का नाम	
2	शाखा पता	
3	IFSC कोड (कैंसल चेक भी साथ में दिया जा सकता है)	
4	संपर्क व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण	

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर और मुहर

<u>अनुलग्नक - VI</u>
<u>करार की शर्तें</u>
<u>(सफल बोलीदाता द्वारा)</u>

यह समझौता _____ के दिन भारतीय रिज़र्व बैंक, बनर्जी रोड, एर्नाकुलम उत्तर, कोच्ची, केरल- 682018 जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400 001 में है (जिसे आगे "नियोक्ता" कहा जाएगा) के एक पक्ष और सुश्री / के बीच किया गया है।_____
दूसरे पक्ष का _____ _(जिसे आगे से "ठेकेदार" कहा जाएगा)।

जबकि नियोक्ता **नलसाजी और स्वच्छता कार्यों / स्थापनाओं का वार्षिक रखरखाव अनुबंध करने का इच्छुक है भारतीय रिज़र्व बैंक में मुख्य कार्यालय भवन, अधिकारियों के क्वार्टर और कर्मचारियों के क्वार्टर, कोच्ची, और किए जाने वाले कामों के बारे में बताते हुए काम का दायरा बताया है (जैसा कि टेंडर दस्तावेज़ में बताया गया है)**

और जबकि काम के बताए गए दायरे और क्वांटिटी के शेड्यूल पर पार्टियों ने या उनकी ओर से साइन किए हैं।

और जबकि पार्टियां उन शर्तों और नियमों को रिकॉर्ड करने की इच्छुक हैं जिनके तहत कॉन्ट्रैक्टर द्वारा सेवाएं दी जानी हैं।

ए **अब यह इस प्रकार सहमत है:**

a) यह एग्रीमेंट ---------- से लागू होगा और ---------- तक लागू रहेगा या जब तक इसे इसमें दी गई शर्तों के अनुसार खत्म नहीं कर दिया जाता।

बी) **रखरखाव सर्विस को अच्छे से देने के लिए ---------- (रुपये---------- ----------सिर्फ़) का चार्ज, जिसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, कंज्यूमेबल्स, श्रम शक्ति (मटीरियल / फिटिंग / फिक्स्चर बैंक के अप्रूव्ड रेट, मार्केट रेट / सही रेट पर अरेंज किए जाएंगे) का खर्च शामिल है, हर महीने टैक्स इनवॉइस जमा करने पर देना होगा। इसका पेमेंट तब किया जाएगा जब बैंक के अधिकारी यह सर्टिफ़ाई कर देंगे कि मेंटेनेंस सर्विस ठीक से दी गई हैं और सभी कानूनी बकाया / टैक्स वगैरह काट लिए गए हैं।**

सी) ऊपर दिए गए चार्ज पक्के हैं और लेबर की शर्तों, एक्सचेंज में बदलाव या किसी भी दूसरी शर्त पर लागू नहीं होते हैं।

डी) ऊपर दिए गए चार्ज में जीएसटी, इंश्योरेंस चार्ज और कोई भी दूसरा टैक्स और ड्यूटी या दूसरी लेवी भी शामिल है, चाहे वह अभी हो या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी लोकल अथॉरिटी द्वारा भविष्य में लगाई जाए।

c) कॉन्ट्रैक्टर काम के दायरे और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार रेगुलर बेसिस पर सर्विस देने के लिए ज़िम्मेदार

होगा।

A. ठेकेदार **द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज़:**
ठेकेदार को:

- पक्का करें कि वह काम करने के लिए ट्रेंड और काबिल लोगों को रखें जो फिजिकली फिट हों और जिन्हें कोई पुरानी या छूत की बीमारी न हो।
- अपने काम के लिए जिन लोगों को रखा है, उन्हें सैलरी, कानूनी मिनिमम वेज और दूसरे कानूनी बकाए के पेमेंट के लिए ज़िम्मेदार और लायबल होगा। एग्रीमेंट के तहत बैंक/एम्प्लॉयर द्वारा ज़रूरी सर्विस देना।
- पक्का करें कि इस एग्रीमेंट के तहत बैंक को ज़रूरी सर्विस देने के लिए उसके द्वारा काम पर रखे गए सभी लोगों का भारत सरकार की मान्यता वाली इंश्योरेंस कंपनियों से इंश्योरेंस हो, जिसके लिए बैंक कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करेगा। कॉन्ट्रैक्टर किसी भी व्यक्ति, जानवर या किसी दूसरी चीज़ को लगी चोट या नुकसान के लिए ज़िम्मेदार होगा।
- यह पक्का करें कि उसके कर्मचारी, बैंक की जगह पर रहते हुए या इस एग्रीमेंट के तहत अपनी ज़िम्मेदारियां निभाते हुए, बैंक या उसके ऑथराइज़्ड एजेंट द्वारा बताए गए साफ़-सफ़ाई, शिष्टाचार, सुरक्षा, अच्छे व्यवहार और आम अनुशासन के स्टैंडर्ड का पालन करें और बैंक/एम्प्लॉयर ही यह तय करेगा कि कॉन्ट्रैक्टर और/या उसके कर्मचारियों ने इनका पालन किया है या नहीं।
- खुद और खास तौर पर सुपरवाइज़ करना ताकि यह पक्का हो सके कि इस एग्रीमेंट के तहत दी गई सर्विस बैंक की संतुष्टि के हिसाब से दी जा रही हैं।
- पक्का करें कि कॉन्ट्रैक्टर का कोई भी कर्मचारी तय समय के बाद बैंक की जगह पर न आए या न रुके, जब तक कि कॉन्ट्रैक्टर की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए यह बहुत ज़रूरी न हो।
- कॉन्ट्रैक्टर या उसके कर्मचारियों या एजेंट के किसी काम, गलती, गलती या लापरवाही से बैंक या उसकी जगह या उसके किसी हिस्से या उसके किसी फिक्स्चर या फिटिंग या बैंक की किसी प्रॉपर्टी को हुए किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।
- अपने कर्मचारियों या एजेंट को पहचान पत्र दें जो बैंक की जगह पर काम करेंगे। सभी कर्मचारियों और एजेंट को बैंक की जगह पर काम करते समय हर समय पहचान पत्र साथ रखना चाहिए।

B. समझौते की समाप्ति:

1. ऊपर बताई गई बातों पर बिना किसी भेदभाव के, बैंक अपने पूरे विवेक से, बिना कोई कारण बताए और बिना कोई मुआवज़ा दिए, लिखित नोटिस देकर इस एग्रीमेंट को तुरंत खत्म करने का हकदार होगा, अगर

a) बैंक की राय में (जिस पर कॉन्ट्रैक्टर सवाल नहीं उठाएगा और यह कॉन्ट्रैक्टर पर लागू होगा), कॉन्ट्रैक्टर बैंक की संतुष्टि के लिए इस एग्रीमेंट को लागू करने में नाकाम रहता है या मना करता है और/या
b) कॉन्ट्रैक्टर इस एग्रीमेंट के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है और/या
c) किसी भी वजह से, कॉन्ट्रैक्टर इस एग्रीमेंट के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कानूनी तौर पर अयोग्य हो जाता है और/या
d) कॉन्ट्रैक्टर या उसके बिज़नेस की ओनरशिप/पार्टनरशिप या मैनेजमेंट में कोई भी बदलाव, बैंक से पहले से लिखकर मंज़ूरी लिए बिना किया जा सकता है।

2. किसी भी वजह से इस एग्रीमेंट के खत्म होने पर, कॉन्ट्रैक्टर/या उसके या उसके एजेंट द्वारा काम पर रखे गए लोग, बैंक से मुआवज़े, नुकसान या किसी और तरह से कोई भी रकम पाने के हकदार नहीं होंगे।

C. स्टाम्प शुल्क

कॉन्ट्रैक्टर को इस एग्रीमेंट की ओरिजिनल कॉपी पर स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी, जिसे डुप्लीकेट में बनाया जाएगा, और बैंक ओरिजिनल कॉपी अपने पास रखेगा और कॉन्ट्रैक्टर डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रखेगा।

E. कॉन्ट्रैक्टर को यह पक्का करना होगा कि उनके यहां काम करने वाले मज़दूरों को NEFT से उनके बैंक अकाउंट में मिनिमम वेज का पेमेंट किया जाए **और** वेज का एक रजिस्टर बनाए रखना होगा। इसके अलावा, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन एंड एबोलिशन) एक्ट, 1970 के अनुसार अपने कर्मचारियों को पीने का पानी, फर्स्ट एड की सुविधा वगैरह जैसी ज़रूरी सुविधाएं देनी होंगी। कर्मचारियों की सैलरी सिर्फ़ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करके दी जाएगी और कंपनी/फर्म अपने कर्मचारी को कोई कैश पेमेंट नहीं करेगी। कॉन्ट्रैक्टर को बैंक में जमा किए गए मंथली इनवॉइस के साथ काम पर रखे गए कर्मचारियों को वेज के पेमेंट का प्रूफ़ देना होगा।

F. कॉन्ट्रैक्टर, पेमेंट ऑफ़ वेजेज एक्ट, 1936, मिनिमम वेजेज एक्ट, 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन एंड एबोलिशन) एक्ट, 1970 या इस संबंध में लागू किसी भी दूसरे लेबर कानून/कानून के किसी भी नियम के उल्लंघन के लिए बैंक को सभी नुकसान और दावों, नुकसान या मुआवज़े के लिए हर्जाना देगा और हर्जाना देता रहेगा। इस संबंध में अगर कोई देनदारी है, तो उसके लिए सिर्फ़ कॉन्ट्रैक्टर ही ज़िम्मेदार होगा।

जी. इस कॉन्ट्रैक्ट के कई हिस्से कॉन्ट्रैक्टर ने पढ़ लिए हैं और उन्हें पूरी तरह समझ लिया है।

H. कॉन्ट्रैक्टर अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी ज़रूरी कदम उठाएगा ताकि यह पक्का हो सके कि इस एग्रीमेंट के तहत कॉन्फिडेंशियल जानकारी न बताने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से पूरी हो। किसी भी वजह से इस एग्रीमेंट के खत्म होने या खत्म होने के बाद भी, जानकारी न बताने और कॉन्फिडेंशियलिटी के संबंध में कॉन्ट्रैक्टर की ज़िम्मेदारियां बनी रहेंगी।"

I. इस **संविदा** के तहत एम्प्लॉयर द्वारा सभी पेमेंट सिर्फ़ **कोच्ची** में किए जाएंगे।

जे। बताई गई शर्तों में बताए गए समय और तरीके से पेमेंट की जाने वाली कॉन्ट्रैक्ट की रकम के बदले, कॉन्ट्रैक्टर, बताई गई शर्तों के तहत, बताई गई स्पेसिफिकेशन्स और मात्रा के शेड्यूल के हिसाब से दिखाया गया काम करेगा और पूरा करेगा।

के. नियोक्ता ठेकेदार को उक्त अनुबंध राशि या ऐसी अन्य राशि का भुगतान करेगा जो उक्त शर्तों में निर्दिष्ट समय पर और तरीके से देय हो जाएगी।

एल. बताई गई शर्तें और उसके अपेंडिक्स को इस एग्रीमेंट का हिस्सा माना जाएगा और इसके पार्टियां क्रमशः इन शर्तों का पालन करेंगी, इनके अधीन रहेंगी और बताई गई शर्तों के तहत अपनी ओर से एग्रीमेंट को पूरा करेंगी।

M. **नॉन-डिस्क्लोजर क्लॉज :** कॉन्ट्रैक्टर सीधे या इनडायरेक्टली बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर/सिस्टम/इक्विपमेंट वगैरह की कोई भी जानकारी, मटीरियल और डिटेल्स, जो इस एग्रीमेंट के संबंध में अपनी कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारियों को पूरा करने के दौरान कॉन्ट्रैक्टर के पास या जानकारी में आ सकती हैं, किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताएगा और हर समय इसे पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखेगा। कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स को

प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल रखेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत जिम्मेदारियों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए यह ज़रूरी हो। कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर की पहले से लिखी हुई सहमति के बिना किसी भी ट्रेड या टेक्निकल पेपर या कहीं और काम की कोई भी डिटेल्स पब्लिश नहीं करेगा, पब्लिश करने की इजाज़त नहीं देगा, या ज़ाहिर नहीं करेगा। कॉन्ट्रैक्टर किसी भी कॉन्फिडेंशियल जानकारी के डिस्क्लोजर के कारण एम्प्लॉयर को हुए किसी भी नुकसान के लिए एम्प्लॉयर को हर्जाना देगा। ऊपर बताई गई बातों का पालन न करने को कॉन्ट्रैक्टर की ओर से कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन माना जाएगा और एम्प्लॉयर नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा। कॉन्ट्रैक्टर अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी ज़रूरी कदम उठाएगा ताकि यह पक्का हो सके कि इस एग्रीमेंट के तहत गोपनीय जानकारी न बताने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से पूरी हो। किसी भी वजह से इस एग्रीमेंट के खत्म होने या खत्म होने के बाद भी, जानकारी न बताने और गोपनीयता के संबंध में कॉन्ट्रैक्टर की ज़िम्मेदारी बनी रहेगी।

N. **यौन उत्पीड़न.** कॉन्ट्रैक्टर " काम की जगह पर महिलाओं का सेक्सुअल हैरेसमेंट (रोकथाम, रोक और निवारण) एक्ट, 2013" के नियमों का पालन करेगा। अगर बैंक के परिसर में उसके कर्मचारी के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कोई शिकायत आती है, तो शिकायत कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बनाई गई इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी के सामने फाइल की जाएगी और कॉन्ट्रैक्टर यह पक्का करेगा कि शिकायत के संबंध में उस एक्ट के तहत सही कार्रवाई हो। कॉन्ट्रैक्टर के किसी भी पीड़ित कर्मचारी की तरफ से बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा बनाई गई रीजनल कंप्लेंट्स कमिटी संज्ञान लेगी। अगर घटना में कॉन्ट्रैक्टर के कर्मचारी शामिल होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर को किसी भी पैसे के मुआवजे के लिए ज़िम्मेदार होगा, जैसे कि अगर कॉन्ट्रैक्टर के कर्मचारी द्वारा सेक्सुअल हिंसा साबित हो जाती है, तो बैंक के कर्मचारी को कोई भी पैसे की राहत। कॉन्ट्रैक्टर अपने कर्मचारियों को काम की जगह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट की रोकथाम और उससे जुड़े मामलों के बारे में जानकारी देने के लिए ज़िम्मेदार होगा।

O. एग्रीमेंट की भाषा यह एग्रीमेंट इंग्लिश और हिंदी में किया गया है। अगर इस एग्रीमेंट का हिंदी ट्रांसलेशन इंग्लिश वर्शन से अलग है या उसमें इंग्लिश वर्शन के अलावा या उससे अलग कोई शब्द है, तो इंग्लिश वर्शन मान्य होगा। इसके सबूत के तौर पर एम्प्लॉयर ने अपने सही ऑथराइज़्ड अधिकारी के ज़रिए इन तोहफ़ों पर दस्तखत किए हैं और कॉन्ट्रैक्टर ने ओरिजिनल एग्रीमेंट और डुप्लीकेट पर अपनी कॉमन सील लगवाई है और ऊपर लिखे पहले दिन और साल में इसकी दोनों कॉपी अपनी तरफ़ से बनवाई हैं।

P. यहां बताए गए एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट्स इस कॉन्ट्रैक्ट का आधार होंगे।

अगर ठेकेदार है ए साझेदारी या एक व्यक्तिगत।	में गवाह जिसका नियोक्ता और ठेकेदार पास होना तय करना उनका संबंधित हाथ को इन प्रस्तुत करता है और दो डुप्लिकेट इस करण दिन और वर्ष पहला इसके बाद लिखा हुआ।

अगर ठेकेदार है ए साझेदारी या एक व्यक्तिगत। अगर ठेकेदार है ए कंपनी।	में गवाह जिसका नियोक्ता सेट किया है इसके हाथ इन पर प्रस्तुत करता है के माध्यम से इसका विधिवत अधिकृत अधिकारी और ठेकेदार है कारण इसका सामान्य मुहर को होना चिपका हुआ यहाँ तक और कहा डुप्लिकेट/ है कारण इन प्रस्तुत करता है और कहा दो डुप्लिकेट इस करण को होना निष्पादित पर इसका ओर से, दिन और वर्ष पहला इसके बाद लिखा हुआ।

<u>प्रश्न: हस्ताक्षर खंड:</u>

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित

(नाम और पदनाम)
की उपस्थिति में:

गवाह:

1.____
पता:
2.____
पता:

अगर पार्टी पार्टनरशिप फर्म या व्यक्ति है:

(नाम और पदनाम)

की उपस्थिति में:

गवाह:

1.____
पता:

2.____
पता:

अनुलग्नक VII –

लेबर रूल्स/रेगुलेशन के खिलाफ एम्प्लॉयर को हर्जाना देने के लिए प्रोफॉर्मा

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

को,
महाप्रबंधक (कार्यकारी)
भारतीय **रिज़र्व** बैंक
संपदा विभाग
कोच्ची

प्रिय महोदय/महोदया

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची के मुख्य कार्यालय भवन और आवासीय कॉलोनियों में नलसाजी और स्वच्छता कार्यों/स्थापनाओं के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध

हम, मेसर्स ..... (ठेकेदार का नाम), एतद्द्वारा वचन देते हैं कि हम ठेका श्रमिकों के रोजगार और उनके भुगतान के संबंध में सभी वैधानिक नियमों/विनियमों का पालन करेंगे।
हम इसके द्वारा एम्प्लॉयर, यानी **भारतीय रिज़र्व बैंक** को **संविदा** लेबर को किए जाने वाले पेमेंट और इस संबंध में कानूनों के पालन के लिए पूरी तरह से हर्जाना देते हैं और हर्जाना देते रहेंगे।

आपका विश्वासी,

के लिए _____

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

अनुलग्नक VIII

हर बिल के साथ ठेकेदार **को अपने लेटरहेड पर डिक्लेरेशन जमा करने होंगे।**

फर्म/प्रतिष्ठान का नाम) का मालिक/प्रोप्राइटर/निदेशक होने के नाते, एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और मजदूरी संहिता, 2019 में निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन किया है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, मेरी फर्म/प्रतिष्ठान पर लागू सीमा तक। इस संदर्भ में, मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने बैंक द्वारा मुझे सौंपे गए कार्य के संबंध में मेरे द्वारा नियोजित श्रमिकों/ श्रमिकों को मौजूदा सीएलसी दरों के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया है।

स्थान : **ठेकेदार** के साइन और सील

तारीख

अनुलग्नक IX

कार्यालय भवन /अधिकारी क्वार्टर्स/स्टाफ क्वार्टर्स में प्लंबिंग और सैनिटरी मेंटेनेंस के काम के लिए कॉल शीट

परिसर का नाम (कार्यालय भवन/अधिकारी क्वार्टर/कर्मचारी क्वार्टर):_ _____

शिकायत नं. : _____दिनांक:_____

फ्लैट नंबर/ लोकेशन की जानकारी:_ _____

का नाम :_ _____

शिकायत का प्रकार: असल में किया गया काम
आउट: 1)_ _____ 1)

2)_____ 2)

3)_____ 3)

की जानकारी, अगर कोई हो

काम पर जाने की तारीख :_ _____

काम मेरी संतुष्टि के अनुसार पूरा हुआ और जैसा बताया गया था, आइटम असल में इस्तेमाल किया गया।
का नाम और हस्ताक्षर :_ _____

बैंक के केयरटेकर को सौंपी गई पुरानी बदली हुई सामग्री की लिस्ट :

ठेकेदार के सिग्नेचर केयरटेकर/बैंक के अधिकारियों के सिग्नेचर
(रखरखाव) तारीख के साथ तारीख के साथ

अनुलग्नक X

<u>निवारक रखरखाव कार्यों के लिए प्रोफार्मा</u>

सीनियर नहीं।	विवरण	उपस्थित हुए या नहीं	संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है या नहीं	टिप्पणी
1.	**छह महीने में एक बार** नालियों/सीवर लाइनों, मैनहोल चैंबर आदि की सफाई।			
2.	**साल में दो बार** मैनहोल, नालियों, गली ट्रैप वगैरह से कीचड़ हटाना			
3.	**तीन महीने में एक बार** सभी तरह के वाल्व का ऑपरेशन और सर्विसिंग			
4.	खाली फ्लैटों में प्लंबिंग और सैनिटरी इंस्टॉलेशन का **छह महीने में एक बार इंस्पेक्शन**			
5.	**ज़रूरत पड़ने पर** पानी जमा होने वाली जगह की सफ़ाई			
6.	**महीने में एक बार या ज़रूरत के हिसाब से** भवन /स्ट्रक्चर से पेड़-पौधों की सफाई करें।			
7.	**रोज़ाना** वॉटर मीटर रजिस्टर या बैंक द्वारा बताए गए किसी दूसरे रजिस्टर को मेंटेन करना।			
8	**तीन महीने में एक बार** टेरेस एरिया/ओपन टेरेस वगैरह की सफाई			
9	पंप रूम एरिया की **तीन महीने में एक बार सफाई**			
10	पंपों (फायर पंप को छोड़कर) की **छह महीने में एक बार** चेकिंग और सर्विसिंग			

ठेकेदार के हस्ताक्षर केयरटेकर/बैंक के अधिकारियों के हस्ताक्षर (रखरखाव) दिनांक के साथ

अनुलग्नक - XI
बयाना राशि जमा / बोली सुरक्षा के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा
(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

को,
महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची।

प्रिय महोदय,
काम का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची के मुख्य कार्यालय भवन और आवासीय कॉलोनियों में प्लंबिंग और सैनिटरी काम / इंस्टॉलेशन के लिए वार्षिक रखरखाव संविदा
संदर्भ: एनआईटी / विज्ञापन संख्या .... , दिनांक .....

जबकि
भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची, जिसका सेंट्रल ऑफिस शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में है (जिसे आगे 'आरबीआई' कहा जाएगा) ने ऊपर बताए गए काम (जिसे आगे "वह टेंडर" कहा जाएगा) के लिए टेंडर डॉक्यूमेंट्स में बताए गए टर्म्स एंड कंडीशंस पर टेंडर मंगाए हैं।
निविदा आमंत्रण की शर्तों में से एक यह है कि निविदाकर्ता को बयाना राशि (ईएमडी) के रूप में ₹ ..... (रुपये ..... मात्र) की राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।
मेसर्स ..... (बोली लगाने वाले का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय का पता), (जिन्हें आगे "निविदाकर्ता / बोलीदाता" कहा जाएगा), जो हमारे ग्राहक / घटक हैं, उक्त कार्य के लिए अपनी निविदा / बोली प्रस्तुत करने का इरादा रखते हैं, और उन्होंने हमें ईएमडी के संबंध में ₹ ..... (रुपये ..... केवल) की उक्त राशि के संबंध में आरबीआई को बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।
अब यह गारंटी गवाह है
1.0 हम, ... (बैंक का नाम), इसके द्वारा आरबीआई, हमारे उत्तराधिकारियों के साथ सहमत हैं और यह वचन देते हैं कि यदि आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि निविदाकर्ता ने निविदा की उक्त शर्तों के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया है या उनका उल्लंघन किया है, तो यह निष्कर्ष हमारे साथ-साथ उक्त निविदाकर्ता के लिए भी बाध्यकारी होगा; हम आरबीआई द्वारा मांगे जाने पर, बिना किसी आपत्ति के आरबीआई को ₹ ..... (रुपये ..... केवल) की राशि या आरबीआई द्वारा मांगी गई कोई कम राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी को उक्त शर्तों के तहत निविदाकर्ता के दायित्वों के उचित प्रदर्शन के लिए बयाना राशि जमा के बराबर माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी राशि के खिलाफ हमारी देनदारी ₹ ..... (रुपये ..... केवल) की राशि से अधिक नहीं होगी।

2.0 हम यह भी मानते हैं कि हम यह पक्का करेंगे कि ऊपर बताई गई रकम ₹ ..... (सिर्फ़ रुपये .....) से ज़्यादा नहीं होगी, और हम बिना किसी आपत्ति या विरोध के, सिर्फ़ आरबीआई से लिखित में नोटिस मिलने पर मांग करने पर पेमेंट कर देंगे, जिसमें बताया गया हो कि यह रकम उन्हें मिलनी है और हम कोई और सबूत नहीं मांगेंगे और आरबीआई का नोटिस हमारे लिए पक्का और बाइंडिंग होगा और हम उस पर किसी भी तरह से सवाल नहीं उठाएंगे। हम ऊपर बताए गए नोटिस के मिलने

की तारीख से एक हफ़्ते के अंदर आरबीआई द्वारा क्लेम की गई रकम का पेमेंट करने का वादा करते हैं।
3.0 हम कन्फर्म करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी आरबीआई और टेंडर देने वाले के बीच हुए एग्रीमेंट या एग्रीमेंट या दूसरी समझ से अलग होगी।
4.0 आरबीआई की लिखित सहमति के बिना हम यह गारंटी रद्द नहीं करेंगे।
हम इस बात से भी सहमत हैं कि-
a) आरबीआई की तरफ से इस एग्रीमेंट की शर्तों को लागू करने में या इस टेंडर में और/या इसके तहत तय किसी भी नियम और शर्तों के पालन में कोई भी नरमी या कमीशन, या आरबीआई की तरफ से टेंडर देने वाले को कोई समय देना या कोई नरमी दिखाना या उससे जुड़े किसी भी दूसरे मामले में, हमें और इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को किसी भी तरह से खत्म नहीं करेगा। यह गारंटी सिर्फ़ टेंडर देने वालों द्वारा अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने और ऐसा करने में नाकाम रहने की हालत में, हमारी तरफ से ₹ ..... (सिर्फ़ ..... रुपये) से ज़्यादा रकम का पेमेंट करने से ही पूरी होगी।
ख) इन उपहारों के अंतर्गत हमारी देनदारी ₹ ..... (रुपये ..... मात्र) की राशि से अधिक नहीं होगी।
c) इस एग्रीमेंट के तहत हमारी ज़िम्मेदारी पर हमारे क्लाइंट्स/कंपनियों की तरफ से काम के लिए टेंडर देने में किसी भी कमी या गड़बड़ी या उसके तहत उनकी ज़िम्मेदारियों या हमारे क्लाइंट्स के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव या विघटन का कोई असर नहीं पड़ेगा।
..... महीने) तक लागू रहेगी, बशर्ते कि यदि आरबीआई ऐसा चाहे तो इस गारंटी को उनके द्वारा इंगित की गई आगे की अवधि के लिए उन्हीं नियमों और शर्तों पर नवीनीकृत किया जा सकता है जो इसमें निहित हैं।
e) इन तोहफ़ों के तहत हमारी ज़िम्मेदारी खत्म हो जाएगी, जब तक कि इन तोहफ़ों को ऊपर बताए गए तरीके से ..... तारीख को या उस दिन जब हमारे बताए गए लोग अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हैं, रिन्यू नहीं किया जाता, जिसके लिए आरबीआई का लिखा हुआ सर्टिफ़िकेट ही पक्का सबूत है, जो भी तारीख बाद में हो। जब तक ..... या किसी ज़्यादा समय के अंदर हमारे ख़िलाफ़ कोई क्लेम या केस या एक्शन फ़ाइल नहीं किया जाता, इस गारंटी के तहत हमारे ख़िलाफ़ आरबीआई के सभी अधिकार ज़ब्त कर लिए जाएँगे और हमें इसके तहत अपनी सभी ज़िम्मेदारियों और देनदारियों से आज़ाद कर दिया जाएगा।
आपका विश्वासी,
दा
_____ बैंक. ऑथराइज़्ड बैंक अधिकारी के सिग्नेचर (सील के साथ)
नाम:
पद का नाम:
जगह:
तारीख:
बैंक की मुहर/सील:
साइन, सील और डिलीवर किया गया, इनकी मौजूदगी में:
गवाह
(1) हस्ताक्षर सहित (2) नाम, पता व दिनांक सहित हस्ताक्षर
नाम, पता और दिनांक
नोट: इस गारंटी पर उस राज्य के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी लगेगी जहाँ इसे बनाया गया है, और इस पर उस अधिकारी का साइन होगा जिसके साइन और अथॉरिटी को वेरिफाई किया जाएगा।

अनुलग्नक – XII
प्रदर्शन सुरक्षा जमा के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा
(सफल बोली लगाने वाले द्वारा उचित मूल्य के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

स्थान :_ _____
तारीख:_ _____

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
कोच्ची

महोदय,
कार्य: भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची के मुख्य कार्यालय भवन और आवासीय कॉलोनियों में प्लंबिंग और सैनिटरी काम / इंस्टॉलेशन का वार्षिक रखरखाव संविदा

जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची, जिसका सेंट्रल ऑफिस शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में है, (जिसे आगे "आरबीआई" कहा जाएगा) ने ऊपर बताए गए प्रोजेक्ट (जिसे आगे "कॉन्ट्रैक्ट" कहा जाएगा) के लिए कॉन्ट्रैक्ट मेसर्स _____ (कॉन्ट्रैक्टर का नाम) (जिसे आगे "कहा गया कॉन्ट्रैक्टर" कहा जाएगा, जिसमें उसके उत्तराधिकारी और असाइनी शामिल होंगे) को दिया है।

और जबकि ठेकेदार उक्त अनुबंध द्वारा उक्त ठेकेदार द्वारा अनुबंध में निहित नियमों और शर्तों की उचित पूर्ति के लिए आरबीआई को कुल ₹._____ (केवल रुपये _____) (आंकड़ों और शब्दों में राशि) के लिए एक प्रदर्शन सुरक्षा जमा करने के लिए बाध्य है।
हम, _____(बैंक का नाम), (इसके बाद बैंक कहा जाएगा) मेसर्स _____, ठेकेदार के अनुरोध पर, अनुबंध की शर्तों और नियमों की उचित पूर्ति के लिए प्रदर्शन गारंटी के रूप में आरबीआई को _____ से अधिक राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

अब यह गारंटी गवाह है
1. हम (बैंक का नाम) इसके द्वारा आरबीआई, हमारे उत्तराधिकारियों के साथ सहमत हैं और यह दायित्व लेते हैं कि यदि आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ठेकेदार ने अनुबंध की शर्तों के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया है या उसका उल्लंघन किया है, तो यह निष्कर्ष हमारे साथ-साथ ठेकेदार पर भी बाध्यकारी होगा; आरबीआई द्वारा मांग किए जाने पर हम आरबीआई को बिना किसी आपत्ति के 25,000 रुपये (केवल रुपये) की राशि या आरबीआई द्वारा मांगी गई कोई कम राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी को उक्त अनुबंध के तहत ठेकेदार के दायित्वों के उचित प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन गारंटी राशि के बराबर माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी राशि के खिलाफ हमारी देयता 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगी।
(केवल रुपए)
2. हम यह भी मानते हैं कि ऊपर बताई गई रकम, जो Rs. (सिर्फ़ Rs) से ज़्यादा नहीं होगी, हम बिना किसी आपत्ति या विरोध के, सिर्फ़ आरबीआई से मांगने पर, लिखित में नोटिस मिलने पर कि यह रकम उन्हें मिलनी है, पेमेंट कर देंगे और हम कोई और सबूत नहीं मांगेंगे और आरबीआई का नोटिस हमारे लिए पक्का और बाइंडिंग होगा और हम उस पर किसी भी तरह से सवाल नहीं उठाएंगे। बैंक, कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किसी भी कोर्ट,

ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रेटर के सामने पेंडिंग किसी भी मुकदमे या कार्रवाई में उठाए गए किसी भी विवाद/विवादों के बावजूद, आरबीआई को इस तरह मांगी गई कोई भी रकम देगा और इस गारंटी के तहत ज़िम्मेदारी पूरी और साफ़ होगी। हम ऊपर बताए गए नोटिस मिलने की तारीख से एक हफ़्ते के अंदर आरबीआई द्वारा क्लेम की गई रकम का पेमेंट करने का वादा करते हैं।

3. हम कन्फर्म करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी आरबीआई और कॉन्ट्रैक्टर के बीच हुए एग्रीमेंट या एग्रीमेंट्स या दूसरी समझ से अलग होगी।

4. आरबीआई की लिखित सहमति के बिना हम यह गारंटी रद्द नहीं करेंगे।

हम इस बात पर भी सहमत हैं कि –

a) आरबीआई की तरफ से इस एग्रीमेंट की शर्तों को लागू करने में या इस कॉन्ट्रैक्ट और/या इसके तहत तय किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने में कोई भी काम, लापरवाही या चूक, या आरबीआई द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को कोई समय देना या कोई छूट दिखाना या इससे जुड़े किसी भी दूसरे मामले में, हमें किसी भी तरह से और इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारी से छुटकारा नहीं दिलाएगा।

यह गारंटी सिर्फ़ तभी पूरी होगी जब कॉन्ट्रैक्टर अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करेगा और अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है, तो हम Rs. (सिर्फ़ Rs) से ज़्यादा की रकम का पेमेंट करेंगे।

b) इन शर्तों के तहत हमारी लायबिलिटी 50,000 रुपये (सिर्फ़ रुपये) से ज़्यादा नहीं होगी।

c) इस एग्रीमेंट के तहत हमारी लायबिलिटी पर हमारे बताए गए लोगों/क्लाइंट्स की तरफ से किसी भी कमी या गड़बड़ी या उनके दायित्वों या हमारे बताए गए लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव या विघटन का कोई असर नहीं पड़ेगा।

d) लागू रहेगी, बशर्ते कि अगर आरबीआई चाहे, तो इस गारंटी को उनके बताए गए समय के लिए, उन्हीं नियमों और शर्तों पर रिन्यू किया जा सकेगा जो इसमें दिए गए हैं।

e) इन तोहफ़ों के तहत हमारी ज़िम्मेदारी तब तक खत्म हो जाएगी जब तक कि इन तोहफ़ों को ऊपर बताए गए तरीके से उस दिन या उस दिन रिन्यू नहीं किया जाता जब हमारे बताए गए लोग अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हैं, जिसके लिए सिर्फ़ आरबीआई का लिखा हुआ सर्टिफ़िकेट ही पक्का सबूत है, चाहे तारीख बाद की हो। जब तक हमारे ख़िलाफ़ किसी बढ़े हुए समय के अंदर कोई दावा या मुकदमा या कार्रवाई नहीं की जाती, इस गारंटी के तहत हमारे ख़िलाफ़ आरबीआई के सभी अधिकार ज़ब्त कर लिए जाएँगे और हमें इसके तहत अपनी सभी ज़िम्मेदारियों और देनदारियों से आज़ाद कर दिया जाएगा।

जिसके साक्ष्य स्वरूप, मैं/हम बैंक की ओर से इस गारंटी पर हस्ताक्षर तथा मुहर लगा चुके हैं --------

--- दिन ---------- (माह) 2025 को इसके द्वारा विधिवत अधिकृत किया जाता है।

_____ (बैंक का नाम) के लिए और उसकी ओर से

अधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम:

पद का नाम

बैंक की मुहर/सील

बैंक की ओर से ऊपर बताए गए व्यक्ति द्वारा साइन, सील और डिलीवर किया गया।

उपस्थिति :

गवाह 1

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पता

गवाह 2

हस्ताक्षर .....

नाम .....

के लिए निविदा

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची के मुख्य कार्यालय भवन और आवासीय कॉलोनियों में प्लंबिंग और सैनिटरी काम / इंस्टॉलेशन के लिए वार्षिक रखरखाव संविदा

भाग II

मात्राओं की अमूल्य अनुसूची

मद सं (1)	कार्यों का विवरण (2)	14 महीनों के लिए ड्यूटी की संख्या (3)	इकाई (4)	दर (5)
1	**तय श्रम शक्ति लगाकर रोज़ाना के मेंटेनेंस के काम करने के लिए**			
ए	**श्रम घटक (निश्चित दर)** बिडर को इस आइटम के लिए कोटेशन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस आइटम का रेट मिनिस्ट्री ऑफ़ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ़िस ऑफ़ चीफ़ लेबर कमिश्नर के 25 सितंबर, 2025 के नोटिफ़िकेशन के अनुसार तय किया गया है। रेट में मिनिमम बेसिक वेज और वेरिएबल डियरनेस अलाउंस शामिल है। 14 महीने के लिए और नीचे दिए गए शेड्यूल के अनुसार तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों की कुल सैलरी: - a) हफ़्ते के दिनों और शनिवार के लिए: 2 स्किल्ड प्लंबर और 1 सेमी-स्किल्ड व्यक्ति 358 दिनों के लिए। b) रविवार और 5 पब्लिक छुट्टियों के लिए: 66 दिनों के लिए 1 सेमी-स्किल्ड व्यक्ति।			
i	**कुशल प्लम्बर – सप्ताह में छह दिन के लिए 2 व्यक्ति – 358 दिन (रविवार और 5 सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर) x 2 संख्या**	716	कर्तव्य	**₹893.00**
Ii	**अर्ध-कुशल श्रमिक - 1 व्यक्ति, सप्ताह में छह दिन - 358 दिन (रविवार और 5 सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर) x 1 संख्या**	358	कर्तव्य	**₹760.00**

Iii	**सेमी-स्किल्ड लेबर – रविवार और पब्लिक हॉलिडे के लिए 1 व्यक्ति -**	66	कर्तव्य	**₹760.00**
बी	**<u>चर दर</u>** बोली लगाने वाला नीचे दिए गए हिस्से के लिए एकमुश्त रकम बता सकता है i) 14 महीनों के लिए सेवा शुल्क (ii) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई), कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (ईडीएलआई) जैसे वेतन से संबंधित वैधानिक घटकों और बोनस अधिनियम, 1965 के अनुसार बोनस के लिए योगदान (iii) धारा VII में निर्धारित उपभोग्य वस्तुओं की लागत - कार्यों का दायरा (iv) अन्य विविध घटक जैसे अतिरिक्त श्रम शुल्क यदि बोलीदाता न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त भुगतान करना चाहता है; आपातकाल के मामले में ओवरटाइम मजदूरी, यदि कोई हो, अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात करने के लिए भुगतान किया जाना है और ऐसा कोई भी व्यय जो ठेकेदार के दायित्वों का हिस्सा है जो प्रकृति में वैधानिक हैं या निविदा दस्तावेज और किसी भी अन्य शुल्क के अनुसार हैं। बोलीदाता अधिक विवरण के लिए दस्तावेज के भाग। को देखेगा।	1	एकमुश्त	**ऑनलाइन कोट किया जाएगा**
	कुल राशि 1(ए)+1(बी) ..... (i)			
क्र	**कार्य का वर्णन**	**मात्रा/ आवृत्ति**	**इकाइयों**	**प्रति सफाई दर**
(2)	**ओवरहेड और अंडरग्राउंड पानी की टंकियों की सफाई**			
	सभी ओवरहेड और अंडरग्राउंड पानी की टंकियों की हर छह महीने में एक बार प्रोफेशनल सफाई, बैंक के केयरटेकर/इंजीनियर से सलाह करके, काम के दायरे में बताए गए तरीके के अनुसार। नोट: पानी की टंकियों की कैपेसिटी और नंबर सेक्शन VII - काम का दायरा में दिए गए हैं। फर्मों से रिक्वेस्ट है कि वे कॉलोनियों का फिजिकली इंस्पेक्शन करके इसकी जांच करें और असली संख्या और उनकी कैपेसिटी पक्का करें।			
ए	कार्यालय भवन और अधिकारियों के क्वार्टर	वर्ष में 2 बार	नग	**ऑनलाइन कोट किया जाएगा**
बी	कर्मचारियों के रहने के लिए कमरे	वर्ष में 2	नग	**ऑनलाइन**

		बार		**कोट किया जाएगा**
	कुल राशि 2(ए)+2(बी).....(ii)			
(3)	**सतह/तूफ़ानी पानी की सफाई नालियां, वर्षा जल पाइप आदि**			
	सरफेस / स्टॉर्म वॉटर ड्रेन, रेनवॉटर पाइप, टेरेस, छज्जा / एक्सटर्नल फेसेड बैंड, जालियां और रोड गली, चैंबर मैनहोल वगैरह की सफाई के लिए एकमुश्त चार्ज, छह महीने में एक बार और मानसून से पहले और जब भी ज़रूरत हो, साइट की कंडीशन के हिसाब से, बैंक के केयरटेकर/इंजीनियर से सलाह करके, ज़रूरी एक्स्ट्रा मैनपावर लगाकर।			
ए	कार्यालय भवन और अधिकारियों के क्वार्टर	वर्ष में 2 बार	नग	**ऑनलाइन कोट किया जाएगा**
बी	कर्मचारियों के रहने के लिए कमरे	वर्ष में 2 बार	नग	**ऑनलाइन कोट किया जाएगा**
	कुल राशि 3(ए)+3(बी).....(ii)			
	(i)+(ii)+(iii) की कुल राशि			
	जीएसटी 18%			
	कुल राशि			

टिप्पणी:

1. रेट सिर्फ़ ऑनलाइन प्राइस बिड में ही बताए जाने हैं। ऑनलाइन रेट बताने से पहले, बिड करने वालों को टेंडर डॉक्यूमेंट का पार्ट। ज़रूर पढ़ना चाहिए।

2. ऊपर दिया गया प्राइस बिड फ़ॉर्मेट सिर्फ़ उदाहरण के लिए है। बिड लगाने वालों से रिक्वेस्ट है कि वे पार्ट। टेंडर डॉक्यूमेंट्स के साथ प्राइस बिड अपलोड न करें। प्राइस सिर्फ़ एमएसटीसी पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन सबमिट किया जाना चाहिए। पार्ट-। टेंडर डॉक्यूमेंट्स के साथ प्राइस बिड सबमिट करने पर टेंडर डिसक्वालिफ़ाई हो जाएगा।

3. **ऊपर दी गई टेबल में सीरियल नंबर 1 (A) में बताई गई श्रम शक्ति की ज़रूरत सिर्फ़ टेंटेटिव है। बैंक संविदा पीरियड के दौरान बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ (पार्ट II) में बताई गई क्वांटिटी (सफ़ाई के काम सहित) को कम करने का अधिकार रखता है, जिसमें सफल बिडर बिना किसी मुआवज़े का दावा किए, तय रेट पर असल में किए गए काम/काम के अलावा।**

4. नए कानूनों के प्रावधान (मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य शर्तें संहिता, 2020) जहाँ भी आवश्यक होगा, यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

स्थान: ठेकेदार के हस्ताक्षर एवं मोहर

तारीख: